लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

खण्ड ८, १९५६

(१४ नवम्बर से ११ दिसम्बर, १९५६)

1st Lok Sabha

चौदहवां सत्र, १९५६

(खण्ड ८ में संख्या १ से २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

(भाग १ — वाद-विवाद, खंड ८—१४ नवम्बर से ११ दिसम्बर, १९५६)

अंक १—बुधवार, १४ नवम्बर, १९५६ — **पृष्ठ**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १ से १०, १२ से १४, १६ से १९, २१, २२, २४, २६ से २८, ३०, और ३२ ... १–२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ११, १५, २०, २३, २५, ३१ और ३३ से ३८ ... २६–३१

अतारांकित प्रश्न संख्या १ और ३ से २४ ३१–४०

दैनिक संक्षेपिका ४१–४२

अंक २—गुरुवार, १५ नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४०, ८०, ४१, ४३ से ४७, ४९ से ५५ और ५७ ४३–६३

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४२, ४८, ५६, ५८ से ६३, ६५, ६७ से ७९ और ८१ से ८६ ... ... ६३–७२

अतारांकित प्रश्न संख्या २५ से ७६ ... ... ७२–९४

२२-३-१९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या १३२९ के उत्तर की शुद्धि ९४

दैनिक संक्षेपिका ९५–९८

अंक ३—शुक्रवार, १६ नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८७, ८८, ९२, ९४ से ९६, ९८, ९९, १०१ से १०६, १०९ से ११५ और ११७ से १२० ... ... ९९–१२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८९, ९०, ९१, ९३, ९७, १०७, १०८, ११६ और १२१ से १३६ ... ... १२१–२८

अतारांकित प्रश्न संख्या ७७ से ११० १२८–३९

दैनिक संक्षेपिका १४०–४२

टिप्पणी : किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

अंक ४—सोमवार, १९ नवम्बर, १९५६ पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १३७, १३८, १४०, १४३ से १४७, १४९ से १५१, १५३ से १५६, १५८, १५९, १६२ से १६४, १६७ से १७१ और १७३ १४३–६७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १३९, १४१, १४२, १४८, १५२, १५७, १६०, १६१, १६५, १६६, १७२ और १७४ से १९१ ... १६७–७७

अतारांकित प्रश्न संख्या १११ से १३९ १७७–८७

दैनिक संक्षेपिका ... १८८–९१

अंक ५—मंगलवार, २० नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९२ से १९४, १९६, १९७, १९९ से २०२, २०४, २०८, २१०-क, २१२, २१३, २१६ से २१८, २२० और २२१ १९१–२१२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९५, १९८, २०३, २०५ से २०७, २०९, २१० २११, २१४, २१५, २१९ और २२२ से २४२ २१२–२२

अतारांकित प्रश्न संख्या १४० से १७४ ... २२२–३८

दैनिक संक्षेपिका २३९–४१

अंक ६—बुधवार, २१ नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २४४, २४६, २४७, २५०, २५१, २५४, २५५, २५७ से २६१, २६५, २६६, २६८, २७० से २७२, २७५ और २७७ से २७९ २४३–६६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २४५, २४८, २४९, २५२, २५३, २५६, २६२ से २६४, २६७, २६९, २७३, २७४, २७६ और २८० से २८२ ... २६६–७२

अतारांकित प्रश्न संख्या १७५ और १७७ से २१३ ... २७२–८४

दैनिक संक्षेपिका २८५–८८

अंक ७—गुरुवार, २२ नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २८३, २८६, २८८, २९०, २९२, २९४, २९५, २९७, ३०२, ३०५, ३०७ से ३१०, ३१४ से ३१६, ३१९, ३२६ से ३२८ २९३ और ३२९ ... ... २८९–३१०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २८४, २८५, २८७, २८९, २९१, २९६, २९८ से ३०१, ३०३, ३०४, ३११ से ३१३, ३१७, ३१८, ३२० से ३२२, ३२४ और ३२५ ३१०–१८

अतारांकित प्रश्न संख्या २१४ और २१६ से २४१ ... ... ३१९–२८

दैनिक संक्षेपिका ३२९–३१

अंक ८—शुक्रवार, २३ नवम्बर, १९५६ — पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ३३१ से ३३७, ३४० से ३४२, ३४४, ३४७, ३५१ से ३५३, ३५५, ३५७ और ३५८ — ३३३–५३

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ३३८, ३३९, ३४३, ३४५, ३४८ से ३५०, ३५४, ३५६ और ३५९ से ३८४ ... — ३५३–६४

अतारांकित प्रश्न संख्या २४२ से २८५ और २८७ से २९५ — ३६५–८४

दैनिक संक्षेपिका — ३८५–८८

अंक ९—सोमवार, २६ नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ३८५, ३८६, ४२१, ३८७ से ४०२, ४०४ और ४०६ — ३८९–४१०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४०५, ४०७ से ४१३, ४१५ से ४२० और ४२२ से ४३७ — ४१०–२०

अतारांकित प्रश्न संख्या २९६ से ३४५ — ४२०–३८

दैनिक संक्षेपिका ... — ४३९–४२

अंक १०—मंगलवार, २७ नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४३७, ४४०, ४४२ से ४४५, ५०१, ४४६, ४४७, ४५१ ४५२, ४५५ से ४५८, ४६२ से ४६४ और ४६६ — ३४३–६५

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४३८, ४३९, ४४१, ४४८ से ४५०, ४५३, ४५४, ४५९ से ४६१, ४६५, ४६७ से ४८७, ४८९ से ५०० और ५०२ से ५०९ — ४६५–८३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३४६ से ३७४ और ३७६ से ३८२ ... — ४८३–९६

दैनिक संक्षपिका — ४९७–५००

अंक ११—बुधवार, २८ नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५१०, ५११, ५१३ से ५१९, ५२२ से ५२६, ५२८, ५३०, ५३५, ५३९, ५४०, ५४२, ५४३, ५४५ और ५४६ — ५०१–२३

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५१२, ५२०, ५२१, ५२९, ५३१ से ५३४, ५३६ से ५३८, ५४१, ५४४, ५४७ से ५७९ और ५८१ से ५८७ — ५२३–४१

अतारांकित प्रश्न संख्या ३८३ से ४३६ ... ... — ५४१–६४

तारांकित प्रश्न संख्या २५८९ दिनांक २८-५-१९५६ के उत्तर की शुद्धि — ५६४

दैनिक संक्षेपिका ... ... — ५६५–६८

अंक १२—गुरुवार, २९ नवम्बर, १९५६ पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५८९ से ६००, ६०३ से ६०५, ६०८, ६०९, ६११ और ६१३ ... ... ५६९–८९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५८८, ६०१, ६०२, ६०६, ६०७, ६१०, ६१२, ६१३ से ६२६, और ६२८ से ६३१ ... ... ५८९–९६

अतारांकित प्रश्न संख्या ४३७ से ४७१ ५९७–६०८

दैनिक संक्षेपिका ... ६०९–११

अंक १३—शुक्रवार, ३० नवम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६३२ से ६३६, ६३८, ६३९, ६४२ से ६४७, ६५४, ६५६, ६५८, ६६१, ६६३, ६६५ और ६६६ ... ... ६१३–३४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६३७, ६४१, ६४८ से ६५२, ६५५, ६५७, ६५९, ६६०, ६६४ और ६६७ से ६७६ ... ६३५–४१

अतारांकित प्रश्न संख्या ४७२ से ४९५ ६४१–५१

दैनिक संक्षेपिका ६५२–५४

अंक १४—सोमवार, ३ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६८० से ६८५, ६८७ से ६९०, ६९३, ६९४, ६९८, ६९९, ७०१, ७०५, ७०८, ७१०, ७११, ७१३, ७१४, ७१६ और ७१७ ६५५–७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६७७ से ६७९, ६८६, ६९१, ६९२, ६९५ से ६९७ ७००, ७०२ से ७०४, ७०६, स ७०७, ७०९, ७१२, ७१५ और ७१८ से ७४० ... ... ६७७–९०

अतारांकित प्रश्न संख्या ४९६ से ५३१ और ५३३ से ५५८ ६९०–७१४

दैनिक संक्षेपिका ७१५–१८

अंक १५—मंगलवार, ४ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ७४१, ७४२, ७४५, ७४६, ७४८ से ७५१, ७५४, ७५६, ७५८, ७६० से ७६४, ७६६, ७६८ और ७६९ ... ७१९–४०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ ... ७४०–४१

प्रश्नों के लिखित उत्तर पृष्ठ

तारांकित प्रश्न संख्या ७४३, ७४४, ७४७, ७५२, ७५३, ७५५, ७५७, ७५९, ७६५, ७६७ और ७७० से ८१२ ... ... ७४२–५८

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५९ से ५८८ और ५९० से ५९६ ७५८–७१

दैनिक संक्षेपिका ७७२–७५

अंक १६—बुधवार, ५ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८१४ से ७१६, ८२०, ८२४, ८२६, ८२७, ८३०, ८३१, ८२९, ८३४, ८३९, ८४१ से ८४३, और ८४५ से ८४७ ७७७–९९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८१३, ८१७, ८१९, ८२१ से ८२३, ८२५, ८२८, ८३२, ८३३, ८३५ से ८३८, ८४०, ८४४, ८४९ से ८६८, ६४०, ६५३ और ६६२ ... ... ८००–१२

अतारांकित प्रश्न संख्या ५९७ से ६०६, ६०८ से ६५१ और ६५३ से ६६८ ८१२–३९

दैनिक संक्षेपिका ८४०–४३

अंक १७—गुरुवार, ६ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८६९ से ८७१, ८७६, ८७८, ८८० से ८८२, ८८५ से ८८८, ८९०, ८९२, ८९६, ९०३, ९०४, ९०६, ९०७ और ९१५ ८४५–६५

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८७२ से ८७५, ८७७, ८७९, ८८३, ८८४, ८८९, ८९१, ८९३, ८९४, ८९७ से ९०२, ९०५, ९०८ से ९१४ और ९१६ से ९२६ ८६५–७८

अतारांकित प्रश्न संख्या ६६९ से ७१५ ... ८७८–९४

दैनिक संक्षेपिका ८९५–९८

अंक १८—शुक्रवार, ७ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ९२७ से ९३०, ९३३ से ९३८, ९४२, ९४५, ९४६, ९५७, ९४७, ९४९, ९५०, ९५२ और ९६३ ... ८९९–९२२

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या २ और ३ ... ९२२–२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ९३१, ९३२, ९३९ से ९४१, ९४३, ९४४, ९४८, ९५१, ९५३ से ९५६, ९५८ से ९६२ और ९६४ से ९६६ ... ९२५–३२

अतारांकित प्रश्न संख्या ७१४ से ७६२ ९३२–४८

दैनिक संक्षेपिका ... ९४९–५१

अंक १९—सोमवार, १० दिसम्बर, १९५६ **पृष्ठ**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ९६७ से ९७०, ९७५ से ९८३, ९८५, ९८६ और ९८८ से ९९१ ९५३–७५

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ९७१ से ९७४, ९८४, ९८७ और ९९२ से १०१७ ... ९७५–८५

अतारांकित प्रश्न संख्या ७६३ से ८१४ ९८६–१००८

दैनिक संक्षेपिका ... १००९–१२

अंक २०—मंगलवार, ११ दिसम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १०२०, १०२२, १०२४, १०२६ से १०२८, १०३०, १०३३ से १०३६, १०३९ से १०४१, १०४४, १०४५, १०४७ और १०५१ ... ... १०१३–३४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १०१८, १०१९, १०२१, १०२३, १०२५, १०२९, १०३१, १०३२, १०३७, १०३८, १०४२, १०४३, १०४६, १०४८ से १०५० और १०५२ से १०७३ ... ... १०३५–४६

अतारांकित प्रश्न संख्या ८१५ से ८२० और ८२२ से ८५३ ... ... १०४७–६१

दैनिक संक्षेपिका ... १०६२–६४

M20LSD—190—25-3-1958—GIPF.

लोक-सभा

सोमवार, १९ नवम्बर, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

उर्वरक का कारखाना, बम्बई

†*१३७. **श्री बंसल** :
श्री गिडवानी :
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री राम दास :
श्री विश्व नाथ राय :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :

क्या **उत्पादन** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई में 'बर्मा शैल' और 'स्टॉनवैक रिफाइनरी' की गैसों के आधार पर चलने वाले राज्य-स्वामित्व वाले खाद के कारखाने की स्थापना का प्रस्ताव अब किस अवस्था पर है; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में तब से कोई प्रगति की गई है ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र)** : (क) और (ख). योजना आयोग के परामर्श से इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

†**श्री बंसल** : इस प्रश्न को सभा में कई अवसरों पर उठाया गया है, और हमें हर बार इसी प्रकार का उत्तर दे दिया जाता है। क्या मैं जान सकता हूं कि इस विषय के सम्बन्ध में शीघ्र ही कोई निर्णय कर देने में सरकार को किस प्रकार की कठिनाइयां आड़े आ रही हैं ?

†**श्री सतीशचन्द्र** : द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उर्वरकों के प्रस्तावित उत्पादन के प्रारम्भिक लक्ष्य की व्यवस्था आयोजित कारखानों में की जा चुकी है । चूंकि खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा खाद्यान्नों के उत्पादन के उत्पादन-लक्ष्य को बढ़ाया जा रहा है, इसलिये सम्भव है कि उर्वरक के उत्पादन-लक्ष्य को भी बढ़ाया जाये ।

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री बंसल** : क्या मैं इससे यह समझूं कि योजना में किसी उपयुक्त लक्ष्य के निर्धारित न होने के कारण ही यह कारखाना चालू नहीं हो पा रहा है, और अलग-अलग रूप से वार्ता आगे नहीं बढ़ पा रही है; या इसमें कुछ अन्य कठिनाइयां भी हैं ?

†**श्री सतीशचन्द्र** : मुख्य कठिनाई तो उर्वरकों के उत्पादन-लक्ष्य के पुनरीक्षण के बारे में है । क्योंकि खाद्य तथा कृषि मंत्रालय उस प्रश्न की परीक्षा कर रहा है, इसलिये उसका कोई परिणाम निकल आने के बाद ही इसे किया जा सकता है । अब प्रश्न यह है कि यह कारखाना तो दूनी मात्रा में नमक और यूरिया (मूत्र-सार) का उत्पादन करने के लिये आर्थिक दृष्टि से सक्षम है, इनका उत्पादन और कारखानों में भी किया जा रहा है । लेकिन खाद्य तथा कृषि मंत्रालय को अभी तक इस बात का निश्चय नहीं है कि इस उर्वरक को जिसे अभी लोकप्रिय बनाया जाना है किसान लोग इतनी अधिक मात्रा में तुरन्त ले लेंगे । वह अभी इस सम्बन्ध में विचार कर रहा है ।

†**श्री मुहीउद्दीन** : क्या यह सच है कि प्रस्ताव किया गया था कि गैस को नलों के द्वारा अन्य स्थानों पर ले जाकर उसे औद्योगिक शक्ति के रूप में प्रयुक्त किया जाना चाहिये, जिससे कि बम्बई में दूरस्थ स्थानों से कोयले की बड़ी-बड़ी मात्राओं को न लाना पड़े ?

†**श्री सतीशचन्द्र** : यह किया जा सकता है । वास्तव में, स्टॉनवैक रिफाइनरी ने टाटा के साथ तापीय शक्ति के उत्पादन के लिये गैसों का सम्भरण करने के लिये एक करार किया है, लेकिन यह गैस का सर्वोत्तम उपयोग नहीं है, क्योंकि उसका और भी अधिक लाभदायक उपयोग किया जा सकता है ।

पंडित द्वा० ना० तिवारी : क्या मैं जान सकता हूं कि वर्तमान उत्पादन जरूरत से कितना कम पड़ता है ?

श्री सतीशचन्द्र : जो तीन फैक्टरियां (कारखाने) नाईवैली, नंगल और रूरकेला में बनायी जाने वाली हैं, उनका और सिंदरी फैक्टरी का उत्पादन मिलकर, जो वर्तमान जरूरत महसूस की जाती है उससे ज्यादा हो जायेगा ।

†**श्री गिडवानी** : क्या यह सच है कि मसूरी में हुए कृषि मंत्रियों के सम्मेलन ने यह सिफारिश की थी कि उर्वरकों के उत्पादन के लिये कार्यवाही की जानी चाहिये, और इसलिये यह प्रस्ताव लाया गया था ?

†**श्री सतीशचन्द्र** : मसूरी में हुए इस सम्मेलन में इस सम्बन्ध में भी चर्चा की गई थी, लेकिन खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने अभी तक हमें इस सम्बन्ध में आगे कार्यवाही करने के लिये स्पष्ट रूप से नहीं कहा है ।

†**श्री बंसल** : पिछले एक अवसर पर जबकि एक ऐसा ही प्रश्न पूछा गया था, तो उसका उत्तर दिया गया था कि बेकार गैसों के उपयोग के लिये 'बर्मा शैल रिफाइनरी' भारत सरकार के साथ वार्ता करने की इच्छुक नहीं थी । क्या अब उस स्थिति में कोई सुधार हुआ है ?

†**श्री सतीशचन्द्र** : माननीय सदस्य एक ऐसे उत्तर का उल्लेख कर रहे हैं जो बहुत पहले दिया गया था । मूलतः तो 'बर्मा-शैल' स्वयं ही अपने स्थापित किये हुए एक कारखाने में उर्वरकों का उत्पादन करना चाहता था । बाद में, कुछ महीने पहिले ही, उसने हमें सूचित किया है कि सरकार कारखाना स्थापित कर सकती है और वह गैस का विक्रय करने के लिये तैयार रहेगा ।

†**श्री बंसल** : क्या गैस के मूल्य के प्रश्न का निर्णय किया जा चुका है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री सतीशचन्द्र** : अभी तक नहीं ।

अणु-शक्ति चालित इंजिन

†*१३८. **श्री राधा रमण** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि जापानी रेलवे गवेषणा ब्यूरो ने एक अणु-शक्ति चालित रेलवे-इंजिन की एक मूल योजना तैयार कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो वह मूल योजना किस प्रकार की है और क्या भारत में भी इस दिशा में इसी प्रकार का कोई गवेषणा कार्य किया जा रहा था ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). जापानी वैज्ञानिक अभी तक अणु-शक्ति चालित रेलवे इंजिन के उत्पादन की एक निश्चित मूल योजना बनाने की अवस्था तक नहीं पहुंच पाये हैं ।

†**श्री राधा रमण** : क्या भारत में अणु-शक्ति के उपयोग के सम्बन्ध में की जा रही गवेषणायें ऐसे किसी या इसी प्रकार के किसी कार्य के लिये उसका उपयोग करने में सफल हुई हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : अणु-शक्ति के सम्बन्ध में पूछे गये इन प्रश्नों का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि वे नितान्त असंगत हैं । माननीय सदस्य की चिन्ता उनकी इस विषय सम्बन्धी जानकारी को कहीं पीछे छोड़ जाती है । अणु-शक्ति का उत्पादन हो जाने पर उसे शक्ति से किये जाने वाले किसी भी कार्य के लिये उपयोग में लाया जा सकता है, फिर वह चाहे जहाज के लिये हो, या इंजिन के लिये या किसी अन्य चीज के लिये । मेरा ख्याल है कि अमरीका में पनडुब्बियों के लिये उसका उपयोग किया जा चुका है । गरमी पहुंचाने के लिये भी उसका उपयोग किया जाता है । सोवियत संघ में उसका उपयोग शक्ति से कार्य करने वाले सामान्य कार्यों के लिये किया जाता है । ब्रिटेन में, मैं समझता हूं कि एक बड़े कारखाने में लगभग ५०,००० किलोवाट अणु-शक्ति तैयार की जाती है, और उसे अभी हाल ही में चालू किया गया है । इसलिये उत्पादित होने वाली अणु-शक्ति के उपयोग के सम्बन्ध में कोई भी सैद्धान्तिक कठिनाई नहीं है । हम अभी उसका उत्पादन ही नहीं करते हैं । इसलिये, उसके बल पर एक इंजिन चलाने का प्रयास करने से कोई लाभ नहीं होगा । भविष्य में, जबकि हम उसका उत्पादन करें भी, तो हमें विचार करना पड़ेगा कि इंजिन को अणु-शक्ति से चलाने में कम खर्च पड़ेगा, या कोयले से चलाने में, या बिजली से चलाने में । यह एक आर्थिक प्रश्न है जो हमारे सामने काफी बाद में आयेगा, इसलिये इस समय, जबकि हम स्वयं अणु-शक्ति के उत्पादन पर ही अपनी सारी शक्ति केन्द्रित कर रहे हैं, इन चीजों पर बहस करने से कोई फायदा नहीं है ।

मलाबार स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स्, कल्लाई

†*१४०. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **वाणिज्य और उपभोग वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मलाबार स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स् कम्पनी लिमिटेड, कल्लाई के मामलों के सम्बन्ध में जांच करने की मांग करने वाला कोई प्रतिनिधान सूती मिल मजदूर संघ, कल्लाई, पी० ओ० मलाबार जिला की ओर से प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस विषय में क्या कार्यवाही की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). जी, हां। मिल्स के मामलों की जांच की जा रही है और उसका प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही आगे की आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

†**श्री अ० क० गोपालन** : क्या यह सच है कि गत चार वर्षों से यह मिल घाटे में चल रही है, और यदि हां तो क्या इसका कारण मिल के उपकरणों का पुराना और घिसा-पिटा होना ही है ?

†**श्री कानूनगो** : कार्यकरण दल के वर्ष १९५० जितने पहले के प्रतिवेदन में भी कहा गया था कि कई मिलें ऐसी हैं जिनकी मशीनें पुराने ढंग की हैं और अच्छी दशा में नहीं हैं। उन मिलों में से एक यह भी है।

†**श्री अ० क० गोपालन** : क्या यह सच है कि मशीनों की ऐसी दशा होने के कारण इस मिल के मजदूरों को उत्पादन पर मिलने वाली रियायतों, बोनस आदि से वंचित रखा जाता है ?

†**श्री कानूनगो** : चूंकि मशीनें और उनका उत्पादन पुराने ढंग का है, इसलिये स्वाभाविक है कि उत्पादन कम ही होता है।

†**श्री अ० म० थामस** : क्या सरकार के पास इस कारखाने को अपना नवीकरण करने में सहायता देने की भी कोई योजना है ?

†**श्री कानूनगो** : जी, हां। सर्वेक्षण और जांच कर लेने के बाद, राष्ट्रीय विकास निगम द्वारा मशीनों के पुनर्संस्थापन के लिये वित्तीय सहायता मांगने वाले आवेदन-पत्र मांगे जाते हैं।

†**श्री अ० क० गोपालन** : क्या सरकार ने कार्य-भार के सम्बन्ध में मजदूरों पर पड़ने वाले बोझ का अनुमान लगाया है ?

†**श्री कानूनगो** : सर्वेक्षण दल से यह कार्य करने की आशा की जाती है।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

†***१४३. श्री केशव आय्यंगार** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रेशम बोर्ड राज्य सरकारों के सचिवों और रेशम-कृमि-पालन विभागों के प्रधानों का एक सम्मेलन बुलाने का विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो कब, कहां और किस प्रयोजन से ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र)** : (क) और (ख). जी, हां। दिसम्बर, १९५६ में कलकत्ते में यह सम्मेलन करने का विचार है। इसका उद्देश्य राज्य सरकारों को रेशम-कृमि-पालन उद्योग के विकास के लिये दिये गये अनुदानों के शीघ्रता से उपयोग किये जाने के प्रश्न पर चर्चा करना होगा।

†**श्री केशव अय्यंगार** : क्या सरकार यह जानती है कि मंजूर की गई योजनाओं के लिये विभिन्न सरकारों को स्वीकृत और दी गयी राशियों में से प्रति वर्ष बड़ी-बड़ी राशियां व्यपगत होती हैं ? यदि हां, तो क्या इन योजनाओं की अत्यल्प प्रगति के बारे में कोई जांच-पड़ताल की गई है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**श्री सतीशचन्द्र** : कुटीर उद्योग के विकास का उत्तरदायित्व मुख्यतः राज्य सरकारों पर है। जब भी कभी मांग की जाती है, बोर्ड और केन्द्रीय सरकार की ओर से अनुदान दे दिये जाते हैं। अब राज्य सरकारों को इन धन राशियों को व्यय करने के लिये राजी करने का प्रयास किया जा रहा है।

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई कुछ योजनायें केन्द्र में अनुचित रूप से बिना किसी कार्यवाही के पड़ी रहती हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि केन्द्र द्वारा आवंटित धन समय से खर्च नहीं हो पाता है। क्या यह ठीक है ?

†**श्री सतीशचन्द्र** : यह ठीक नहीं है, क्योंकि यदि कुछ अनुदान कुछ देर से भी मंजूर किये जाते हैं तो उन्हें अगले वर्ष में व्यय के लिये पुनः मान्यीकृत भी करदिया जाता है।

†**श्री वेलायुधन** : यह सम्मेलन विशेष तौर पर कलकत्ते में ही आयोजित किया गया था, जबकि उसके अधिकांश सदस्य देश के अन्य भागों से आये थे ?

†**श्री सतीशचन्द्र** : यह सम्मेलन विभिन्न अवसरों पर विभिन्न स्थानों पर किया जाता है।

ऊनी कपड़ा

†*१४४. **श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या **वाणिज्य और उपभोग वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ की व्यापार संस्था द्वारा भारत से ऊनी कपड़े की खरीद के सम्बन्ध में मूल्य अथवा अन्य ब्योरे की बातों को अन्तिम रूप से निश्चित कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मात्रा क्या है ?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, हां।

(ख) २,५०,००० गज़।

†**श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह उल्लिखित मात्रा एक ही वर्ष में खरीदी जाने को है अथवा इसे कई वर्षों में खरीदा जायेगा ?

†**श्री करमरकर** : मुझे आशा है कि यह माल तुरन्त ही खरीदा जाने को है।

†**श्री भागवत झा आज़ाद** : दूसरे देशों में निर्यात किये जा रहे माल की तुलना में इस सौदे के मूल्य कैसे हैं ?

†**श्री करमरकर** : मेरे विचार में कीमतें मुनासिब ही हैं।

†**श्री भागवत झा आज़ाद** : उचित मूल्य होने का प्रश्न नहीं है। मैं यह जानना चाहूंगा कीमतें तुलना में कैसी हैं ?

†**श्री करमरकर** : 'उचित मूल्य' से मेरा तात्पर्य यह है कि मूल्य माल बेचने वालों और देश दोनों के लिये असुविधाजनक नहीं हैं अपितु लाभप्रद हैं। विभिन्न निर्यातक जिस मूल्य पर विभिन्न विदेशी आयातकों को माल बेच रहे हैं उनमें परस्पर अन्तर कितना है, यह मेरे लिये बताना बहुत कठिन है क्योंकि हम उनके साथ यह व्यापार सरकारी स्तर पर तो करते नहीं हैं।

†**श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या सोवियत रूस की सरकार ने अन्य वर्षों के लिये ऐसे सौदे करने की इच्छा प्रकट की है ?

†**श्री करमरकर** : इस समय तो मैं ऐसा नहीं कह सकता परन्तु हमें आशा है कि वे हम से भविष्य में भी कपड़ा खरीदेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**डा० रामा राव** : मेरी प्रार्थना है कि मुझे प्रश्न संख्या १४१ को पूछने की अनुमति दी जाये । आपने मेरा नाम पुकारने की कृपा की थी परन्तु छपी हुई सूची में मेरा नाम नहीं था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपनी बारी की प्रतीक्षा करें ।

केन्द्रीय न्यूनतम वेतन मंत्रणा बोर्ड

\+

†*१४५. { **श्री बहादुर सिंह** :
श्री का० सु० राव :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय न्यूनतम वेतन मंत्रणा बोर्ड ने कृषि श्रम के काम के घंटों और विश्राम अवकाश की अवधि निश्चित किये जाने के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें की है; और

(ख) क्या बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) हां ।

(ख) बोर्ड की तीसरी बैठक में सभी का यह विचार था कि कृषि श्रम के लिये काम के घंटे तथा विश्राम अवकाश की अवधि निर्धारित करने के मामले में कोई छूट नहीं दी जानी चाहिये । इन सिफारिशों को राज्य सरकारों को उनके विचारार्थ सूचित कर दिया गया है ।

†**श्री बहादुर सिंह** : कृषि श्रम कर्मचरियों के पंजीयन के सम्बन्ध में बोर्ड ने क्या सिफारिशें की थीं और इसके लिये भूमि की जोत की क्या सीमा निर्धारित की गयी है ?

†**श्री आबिद अली** : सिफारिश यह थी कि दस एकड़ से कम वाले खेतों में काम करने के लिये रखे गये कर्मचारियों के पंजीयन की कोई आवश्यकता नहीं है ।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : बहुत से राज्यों में न्यूनतम मजूरी अधिनियम के लागू न किये जाने के सम्बन्ध में क्या निश्चय किया गया है ?

†**श्री आबिद अली** : यह राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है । यदि कोई विशेष घटना हमारे ध्यान में लायी जाये, तो उसे हम उन्हें बता देंगे ।

†**श्री वीरस्वामी** : क्या राज्य सरकारों ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ?

†**श्री आबिद अली** : यह तो अभी हाल ही में उन्हें बतायी गयी थीं ।

†**श्री धुसिया** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सिफारिशें सभी फार्मों पर लागू होती हैं अथवा केवल सरकारी फार्मों पर ही लागू होती हैं ?

†**श्री आबिद अली** : सभी फार्मों पर ।

†**श्री ति० सु० अ० चेट्टियार** : की गई सिफारिशें क्या हैं ?

†**श्री आबिद अली** : सिफारिश यह थी कि काम के घंटे निर्धारित करने के मामले में कोई अपवाद न किया जाय ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बक्तव्य

†*१४६. **श्री दी० चं० शर्मा :**
डा० राम सुभग सिंह :
श्री गिडवानी :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री गाडिलिंगन गौड़ :
श्री देवेन्द्र नाथ सर्मा :
श्री बंसल :
श्री विभूति मिश्र :
श्री रा० प्र० गर्ग :
श्री कृष्णाचार्य जोशी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने पाकिस्तान के प्रधान मंत्री को पाकिस्तान के विदेश मंत्री द्वारा अपने ४ अक्तूबर १९५६ के वक्तव्य में भारत के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के प्रति विरोध प्रकट करने के लिये एक पत्र भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस पत्र का पाकिस्तान से अभी तक कोई उत्तर प्राप्त हुआ है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) जी हां, पाकिस्तान के विदेश मंत्री के वक्तव्य की गलत बातों को दर्शाने वाला एक सन्देश ५ अक्तूबर को पाकिस्तान के प्रधान मंत्री को भेजा गया था ।

(ख) जी, नहीं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या मैं जान सकता हूं कि वैदेशिक-कार्य मंत्रालय द्वारा इस सम्बन्ध में क्या प्रयत्न किय गये हैं :

(क) भारत में इस प्रचार का प्रतिवाद करने के लिये; और

(ख) पाकिस्तान द्वारा विशेषरूप से पश्चिमी एशिया में और विशेष रूप से संसार के दूसरे देशों में किये जा रहे प्रचार का प्रतिवाद करने के लिये ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मेरे विचार में यदि माननीय सदस्य समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तो उन्हें अनुभव होगा कि पाकिस्तान के प्रयत्न बहुत बुरी तरह से असफल रहे थे ।

पंडित द्वा० ना० तिवारी : चूंकि पाकिस्तान बराबर हम लोगों के खिलाफ हिन्दुस्तान के खिलाफ प्रचार करता रहता है, यहां तक कि जैनोसाइड (जातिद्रोह) का चार्ज (आरोप) हम पर लगाता है, तो जब पाकिस्तान में ऐसी हालत है कि हिन्दुओं का वहां रहना असम्भव हो गया है तो क्या हम लोगों की तरफ से कोई ऐसा प्रचार है जिससे पाकिस्तान की बातें संसार के सामने लाई जा सकें या केवल एकतरफा प्रेम ही चलता रहेगा ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह बातें रोज हमारी तरफ से होती हैं, औरों की तरफ से होती हैं, ऐसा तो है नहीं कि होती नहीं हैं और हमारी तरफ से काफी कामयाबी के साथ होती हैं । यह सही बात है कि जो तरीका पाकिस्तान का है इन बातों को पेश करने का वह तरीका हमारा नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : पाकिस्तान के समाचार पत्रों के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर के सम्बन्ध में, क्या प्रधान मंत्री का ध्यान इन कुछ समाचारपत्रों के सम्पादकीयलेखों की ओर दिलाया गया है जिनमें कहा गया है कि मिस्र द्वारा भारत के प्रभाव में आकर ही पाकिस्तानी सैन्य सहायता लेना अस्वीकार कर दिया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी हां, यह बिल्कुल गलत है। इस सम्बन्ध में जो कुछ भी निर्णय किया गया है वह मिस्र सरकार द्वारा किया गया है। भारत का इसमें न कोई हाथ है और न ही वह उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप ही करना चाहता है। कोई यह बात नहीं कह सकता कि मिस्र की नीति भारत के सुझाव पर निर्धारित की गई है।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : मैं इसका इलाज जानना चाहता हूं। भारत के विरुद्ध इस प्रकार के निराधार और शरारतपूर्ण आरोपों और प्रचार का इलाज क्या है, जबकि भारत विश्व शांति के लिये भरसक प्रयत्न कर रहा है ?

†**श्री रा० प्र० गर्ग** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मुस्लिम लीग ने भी कराची में इसी प्रकार के आरोप लगाये थे और उसके एक शिष्ट मंडल ने विदेशी मिशनों के कुछ अध्यक्षों से मिल कर भारतीय मुसलमानों के लिये एक पृथक् देश की मांग प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया था ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हमने यह खबर अखबारों में देखी थी।

†**श्री जोकीम आल्वा** : वर्तमान पाकिस्तान विदेश मंत्री श्री फीरोज खां नून के सम्बन्ध में हमारी सरकार के अभिलेखों का क्या मत है ? क्या सरकार को ज्ञात है कि १९४५ में उसी ने यहीं दिल्ली में मुस्लिम लीग की एक सभा में उच्च स्वर से यह घोषणा की थी कि यदि ब्रिटिश सरकार ने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार न किया, तो वे सोवियत रूस के साथ हो जायेंगे ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्य की स्मृति बड़ी लम्बी है और मुझे उसे ताजा नहीं करना है।

†**श्री गिडवानी** : क्या भारत सरकार ने कराची में भारतीय उच्चायोग के कार्यालय और मिशन के कर्मचारियों के निवासस्थानों के सामने प्रदर्शन किये जाने और मुस्लिम लीगियों के नेतृत्व में एक जलूस निकाल कर भारत के प्रधान मंत्री के पुतले के जलाये जाने के विरुद्ध विरोध प्रकट किया है ? यदि हां, तो इसका क्या उत्तर प्राप्त हुआ है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इसका समाचार प्राप्त हुआ है। प्रधान मंत्री इस समाचार से कुछ अधिक भयभीत नहीं हुए थे और पाकिस्तान के प्रधान मंत्री को यह बता देने के अतिरिक्त कि यद्यपि उन्हें इस प्रकार से उनके पुतले के जलाये जाने अथवा उनके प्रति कोई अन्य व्यवहार किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं की, तथापि इस प्रकार के कार्यों से भारत की जनता पर कोई अच्छा प्रभाव नहीं था, उन्होंने इसे कोई महत्व नहीं दिया था।

केन्द्रीय रेशम कृमि पालन गवेषणा केन्द्र

†***१४७. श्री साधन गुप्त** : क्या **उत्पादन** मंत्री १४ अगस्त, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १०७३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल के बरहामपुर वाले कन्द्रीय रेशम कृमि पालन गवेषणा केन्द्र को उस के बाद से स्थायी बना दिया गया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) यदि हां, तो किस तिथि से ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र)** : (क) और (ख). केन्द्रीय रेशम कृमि पालन गवेषणा केन्द्र, बहरामपुर को स्थायी घोषित करने के आदेश ६ नवम्बर, १९५६ को जारी कर दिये गये हैं।

†**श्री साधन गुप्त** : क्या इसका यह अभिप्राय है कि इस गवेषणा केन्द्र के वे सब कर्मचारी, जिन्हें १९४९ से अर्द्ध-स्थायी घोषित किया गया था, स्वतः ही स्थायी हो जायेंगे ? इस आदेश से उनकी सेवा सम्बन्धी शर्तों पर क्या-क्या प्रभाव पड़ेगा ?

†**श्री सतीशचन्द्र** : इस प्रश्न की पहले ही जांच कर ली गयी थी और कुछ कर्मचारियों को स्थायी घोषित कर भी दिया गया है।

†**श्री साधन गुप्त** : इस केन्द्र के स्थायी बनाये जाने पर किस अनुपात में कर्मचारियों को स्थायी घोषित किया जाने को है ?

†**श्री सतीशचन्द्र** : यहां मेरे पास आंकड़े हैं। श्रेणी ४ के कर्मचारियों के ३१ पदों में से १८ को पहले ही स्थायी घोषित किया जा चुका है।

†**श्री साधन गुप्त** : अन्य पदों के बारे में क्या स्थिति है ?

†**श्री सतीशचन्द्र** : अन्य पदों के सम्बन्ध में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, परन्तु जैसा मैंने पहले बताया, इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

बुक पैकेटों पर डाक व्यय

†*१४९. **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री डाभी :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :

क्या **संचार** मंत्री २५ अगस्त, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १४११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बुक पैकटों पर डाक-व्यय बढ़ाने के सम्बन्ध में नियुक्त की गई समिति के प्रतिवेदन पर तब से विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय दिया गया है ?

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) और (ख). संभवतः, उस समिति के प्रतिवेदन की ओर निर्देश है जिसे कि अन्य बातों के साथ-साथ अन्य सभी ऐसी मुद्रित सामग्री से भिन्न जिसे बुक पैकेट दरों पर भेजा जा सकता है, देश में डाक से "पुस्तकों" के भेजने के लिये डाक-व्यय की दरों को विहित करने के लिये नियुक्त किया गया था। सरकार इस प्रतिवेदन पर विचार कर रही है, और बहुत शीघ्र ही कोई निर्णय किये जाने की आशा है।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं यह जान सकता हूं कि भारतवर्ष के प्रकाशकों ने जो यह मांग रखी है कि रेट घटा दिये जायें, उस से विभाग को कितनी हानि होने की आशंका है ?

श्री जगजीवन राम : जब इस तरह की मांग आई, उसी के बाद यह कमेटी बनाई गई थी। कमेटी की सिफारिशें आ गई हैं और उन सिफारिशों में रेट घटाने की भी कुछ बात है। उसका असर क्या होगा, इसी बात की जांच की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

अन्तर्राष्ट्रीय चाय करार

†*१५०. **श्री हेमराज** : क्या **वाणिज्य और उपभोग वस्तु उद्योग** मंत्री ६ अगस्त, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७७४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नवीन अन्तर्राष्ट्रीय चाय करार के अधीन भारत के लिये चाय का कितना निर्यात योग्य अभ्यंश निर्धारित किया गया है ?

†**उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : अन्तर्राष्ट्रीय चाय करार ३१ मार्च, १९५५ को समाप्त हो गया था। इसे बढ़ाने के सम्बन्ध में अभी वार्ता हो रही है।

२. चाय अधिनियम, १९५३ की धारा १९ के अधीन सरकार ने चाय बोर्ड को फसल के आधार पर ५० प्रतिशत तक चाय बागानों के लिये अस्थायी निर्यात अभ्यंश नियत करने का प्राधिकार दिया है।

†**श्री हेमराज** : यदि निर्यात अभ्यंश बढ़ा दिया जाये तो क्या चाय कृषि के क्षेत्र में कुछ विस्तार होगा, और यदि हां, तो उसे विभिन्न राज्यों में कैसे बांटा जायेगा ?

†**श्री कानूनगो** : जी नहीं, निर्यात अभ्यंश के अधिकतम वृद्धि होने पर भी चाय के क्षेत्र को विस्तृत करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

†**श्री धुसिया** : तब क्या भारत में चाय का मूल्य बढ़ा दिया जायेगा ?

†**श्री कानूनगो** : जी नहीं, श्रीमान्।

†**श्री का० प्र० त्रिपाठी** : क्या सरकार निर्यात अभ्यंश प्रणाली में परिवर्तन करने अथवा उसे समाप्त करने के सम्बन्ध में विचार कर रही है ?

†**श्री कानूनगो** : बागान जांच समिति ने इस सम्बन्ध में एक सिफारिश की है और इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

†**श्री च० द० पांडे** : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विश्व में—पूर्वी अफ्रीका और रोडेशिया में—चाय उत्पादन के नये क्षेत्र बन गये हैं जिनके कारण चाय उत्पादक देश के रूप में भारत का स्थान निम्न से निम्नतम होता जा रहा है, इसलिये क्या यह अनुभव किया गया है कि चाय के उत्पादन का प्रतिशतता से सम्बन्ध स्थापित करना भारत के लिये हानिकर है, और इसलिये इसका पुनरीक्षण किया जाना चाहिये ?

†**श्री कानूनगो** : माननीय सदस्य की धारणा ठीक नहीं है, क्योंकि जिस चाय का हम निर्यात करते हैं वह अपने गुण, प्रकार और परिमाण के कारण अपना स्थान बनाये हुए है और हमें आशा है कि भविष्य में भी वह अपना स्थान बनाये रहेगी।

†**श्री वेलायुधन** : भारत से निर्यात के रक्षित ५० प्रतिशत अभ्यंश के अतिरिक्त क्या भारतीय चाय उत्पादकों ने अतिरिक्त अभ्यंश के निर्यात किये जाने की मांग की है ?

†**श्री कानूनगो** : फसल के निर्धारण के पश्चात् अन्तिम अभ्यंश का निर्यात किया जायेगा।

†**श्री कासलीवाल** : कल ही माननीय वाणिज्य मंत्री ने बताया था कि चाय के मूल्य बढ़ रहे थे। क्या चाय के मूल्य बढ़ने के कारण निर्यात पर कोई प्रभाव पड़ने को है ?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : मेरा विचार है कि माननीय उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री को इस प्रश्न के लिये पूर्व सूचना की आवश्यकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

अणु के शांतिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धी सम्मेलन

†*१५१. **श्री राम कृष्ण :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि २४ जुलाई, १९५६ को बम्बई में हुए अणु के शांतिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धी सम्मेलन में किये गये निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : अपेक्षित जानकरी देने वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४९**]

†**श्री राम कृष्ण** : इस देश में अब तक कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे खेद है कि मेरे पास यह जानकारी नहीं है ।

†**श्री कामत** : क्या **प्रधान मंत्री** को विदित है कि शुक्रवार को इस सभा में चर्चा होने के दिन ही संयोगवश रूस ने एक प्रयोगात्मक विस्फोट किया था, और यदि हां, तो यह प्रयोगात्मक विस्फोट रूस द्वारा पंचशील जैसे महान् सिद्धान्त के अपनाये से कहां तक संगत है, विशेषत: इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रधान मंत्री ने उस दिन कहा था कि विश्व के समक्ष पंचशील और उद्जन बम दोनों में से किसी एक को चुनने का विकल्प है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं नहीं समझता कि इसका सम्मेलन से क्या सम्बन्ध है, परन्तु क्योंकि माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा है, हमने इसे समाचारपत्रों में पढ़ा है । इस सम्बन्ध में हमें और कुछ मालूम नहीं है । हमें किसी भी विस्फोट पर खेद है और यह दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य है कि उन बड़े देशों में से कोई भी, जो ऐसे प्रयोगात्मक विस्फोट करने में समर्थ हैं, उन्हें बन्द करने के लिये तैयार नहीं हैं ।

†**श्री कामत** : श्रीमान्, क्या मैं स्पष्टीकरण के लिये एक प्रश्न पूछ सकता हूं ? मैंने सभी बड़ी शक्तियों के बारे में नहीं पूछा था, वरन् जहां तक मुझे ज्ञात है, इन बड़े देशों में से केवल रूस ही एक ऐसा देश है जिसने कि पंचशील के प्रति अपनी आस्था की घोषणा की है, अन्य शक्तियों ने नहीं ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं समझता हूं कि इसका पंचशील से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है । निस्संदेह हमारे विचार से ऐसी प्रत्येक बात आपत्तिजनक है, परन्तु मेरी समझ में नहीं आता है कि प्रयोगात्मक विस्फोटों से पंचशील का क्या सीधा सम्बन्ध हो सकता है ।

†**श्री कामत** : मेरा प्रश्न यह था ···

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं अगले प्रश्न को ले रहा हूं ।

†**श्री वेलायुधन** : श्रीमान्, मेरे दो प्रश्न हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस पर और कोई प्रश्न न पूछा जाय ।

†**श्री कामत** : श्रीमान्, हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे ।

अपहृत व्यक्तियों की वापिसी

†*१५३. **श्री रा० प्र० गर्ग** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ के दौरान एक या एक से अधिक बच्चों वाली कितनी अपहृत स्त्रियां भारत अथवा पाकिस्तान से प्राप्त हुईं;

(ख) क्या सभी बच्चे अपनी माताओं के साथ सम्बन्धित देशों को भेज दिये गये;

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ग) यदि नहीं, तो उक्त दोनों देशों में उनके भरण-पोषण के लिये क्या उपयुक्त प्रबन्ध किया गया है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५०]**

(ख) सभी मामलों में ऐसा नहीं हुआ है ।

(ग) जहां तक भारत का सम्बन्ध है माताओं के द्वारा छोड़े गये अधिकांश बच्चों को उनके अपहर्ता पिताओं को सौंप दिया गया है, किन्तु कुछ बच्चे जिनको उनके अपहर्ता पिताओं अथवा अन्य सम्बन्धियों ने स्वीकार नहीं किया उन्हें राष्ट्रीय बाल संस्था, इलाहाबाद में भेज दिया गया है, जहां सरकारी व्यय पर उनका पालन किया जायेगा। हमें पाकिस्तान के सम्बन्ध में ठीक-ठीक पता नहीं है, किन्तु जहां तक हमें ज्ञात है अधिकांश मामलों में माताओं द्वारा छोड़े गये बच्चों को उनके अपहर्ता पिताओं को सौंप दिया गया है ।

†**श्री रा० प्र० गर्ग** : क्या एक या एक से अधिक बच्चों वाली अपहृत स्त्रियों को, जिन्होंने अपने आपको भाग्य के हवाले कर दिया है और वे भारत नहीं छोड़ना चाहती हैं उन्हें बलात् प्राप्त कर पाकिस्तान को भेज दिया गया है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मेरे विचार से माननीय सदस्य की जानकारी सही नहीं है। किसी भी बच्चे वाली अथवा बिना बच्चे वाली स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध पाकिस्तान नहीं भेजा गया है।

†**सरदार इकबाल सिंह** : भारत सरकार ने ऐसे क्षेत्रों से जिनके बारे में कोई समझौता नहीं हुआ है यथा आजाद काश्मीर तथा अन्य क्षेत्रों से अपहृत व्यक्तियों की प्राप्ति के लिये क्या कार्यावाही की है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : उन क्षेत्रों से भी प्राप्ति हो रही है। तथाकथित "आजाद काश्मीर" क्षेत्र से भी अपहृत व्यक्तियों को प्राप्त किया जा रहा है।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या मैं भारत तथा पाकिस्तान से वापस की गई कुल अपहृत स्त्रियों की संख्या जान सकता हूं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैंने हाल ही में अपहृत स्त्रियों की पुनः प्राप्ति तथा वापिसी इत्यादि के सम्बन्ध में जो प्रगति हुई है उस के बारे में एक पुस्तिका परिचालित की है। यदि माननीय सदस्य अपनी डाक देखें तो उन्हें इस छोटी सी पुस्तिका से सारी जानकारी प्राप्त हो जायेगी।

शिक्षित बेकार

†***१५४. श्री वेलायुधन** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रावनकोर-कोचीन राज्य के द्वारा शिक्षित बेकारों को रोजगार दिलाने के लिये बनाई गई योजना के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) क्या इस कार्य के लिये कोई ठोस कार्य किया गया है अथवा कोई परियोजना आरम्भ की गई है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) शिक्षित बेकारों के सम्बन्ध म अध्ययन गोष्ठी द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर कुछ अग्रिम परियोजनायें शुरू करने का निश्चय किया गया है। राज्य सरकार की ऐसी योजनाओं पर जो कि इन अग्रिम परियोजनाओं के अन्तर्गत आती हैं सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) एक योजना के अधीन तिरुवेला और एत्तुमानूर में उत्पादन केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं ।

†**श्री वेलायुधन :** वहां ऐसे कितने उत्पादन केन्द्र हैं, तथा उनमें कितने शिक्षित बेकारों को काम मिल सकेगा और क्या कोई ऐसी विशिष्ट योजना है जिससे कुछ निश्चित संख्या में बेकारों को इन केन्द्रों में काम मिल सकेगा ?

†**श्री आबिद अली :** इन दो स्थानों में लगभग ७०० शिक्षित बेकारों को काम दिया जायेगा ।

†**श्री वेलायुधन :** राज्य में दिन प्रति दिन बढ़ने वाली बेकारी की समस्या की विशालता को ध्यान में रखते हुए क्या कोई बड़े पैमाने की ऐसी योजना है जिससे इन सब व्यक्तियों को राज्य में ही काम मिल सके ?

†**श्री आबिद अली :** कुछ और योजनायें विचाराधीन हैं ।

†**श्री पुन्नूस :** क्या सरकार के पास उस राज्य के शिक्षित बेकारों की कुल संख्या के आंकड़े हैं ?

†**श्री आबिद अली :** जी, नहीं ।

गिरिडीह की कोयले की खानें

†*१५५. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गिरिडीह की कोयला खानों से सम्बन्धित टैक्निकल समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने के पश्चात् गिरिडीह की कोयला खानों की निचली कुरहरवाड़ी की तह में से उच्चकोटि का 'क' वर्ग का कोयला शीघ्रता से निकालने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) कोयला खानों के अतिरिक्त श्रमिकों को खपाने के लिये क्या सिद्धान्त बनाये गये; और

(ग) टैक्निकल समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् कितने व्यक्तियों को अब तक खपाया जा चुका है ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र) :** (क) निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :

कोलीमारां खान में खम्बे हटाने का कार्य शुरू हो गया है ।

जुबली खान में खम्बे निकालने का काम आरम्भ किया जा रहा है ।

सुरक्षा के साथ यथासंभव शीघ्रता से कोयला निकाल कर उत्पादन बढ़ाया जा रहा है ।

(ख) और (ग). सभी अतिरिक्त मजदूरों को अभी काम पर लगे रहने दिया गया है । अभी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि टैक्निकल समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के परिणामस्वरूप कितने मजदूरों को खपाया जा सकेगा ।

†**श्री नागेश्वर सिन्हा :** जहां तक मेरी जानकारी है लगभग एक हजार अतिरिक्त श्रमिक अभी भी रोजगार की प्रतीक्षा कर रहे हैं । उनको यह आश्वासन दिया गया था कि जब उत्पादन बढ़ाया जायेगा तो उन्हें रोजगार मिल जायेगा । क्या मैं स्पष्ट रूप से यह जान सकता हूं कि अभी तक इनमें से कितने व्यक्तियों को काम दिया गया है तथा उन्हें काम देने में किस सिद्धान्त का पालन किया जाता है ?

†**श्री सतीशचन्द्र :** गिरिडीह की कोयला खानों में ७५० अतिरिक्त मजदूर हैं न कि १,००० जैसा कि माननीय सदस्य कहते हैं । इनमें से ९३ डाक्टरी परीक्षा के अनुसार अयोग्य हैं उनकी छंटनी कर

†मूल अंग्रेजी में ।

दी जायेगी। क्योंकि एक मामला औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष विलम्बित है अतः कोई कार्यवाही नहीं की गई है। यह सम्भव है कि कोयला खान में उत्पादन वृद्धि होने पर बहुत से मजदूरों को काम में लगा लिया जायेगा।

डाक तथा तार कर्मचारी

*१५६. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **संचार** मंत्री ३० जुलाई, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ४९८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन मूल सिद्धान्तों के सम्बन्ध में इस बीच कोई निर्णय कर लिया गया है जिनके आधार पर डाक तथा तार विभाग के ऐसे कर्मचारियों को जिन्हें राजनैतिक कारणों पर निकाल दिया गया था, नौकरी दी जाने वाली है ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : अभी नहीं।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि इन कर्मचारियों को सन् १९४२ के आन्दोलन में नौकरी से अलग किया गया था और स्वाधीनता मिले हुए भी नौ वर्ष से अधिक का समय हो गया है, इनके मामलों का निर्णय करने में इतनी देरी क्यों हो रही है ?

श्री जगजीवन राम : सम्भवतः माननीय सदस्य को यह ज्ञात है कि १९४९ में गवर्नमेंट ने यह तय कर लिया था कि जो लोग राजनैतिक कारणों से अपनी नौकरी से हटाये गये थे, उनको कोई दूसरा काम दिया जाए और इस सिद्धान्त के अनुसार कुछ लोगों को काम मिला है। अभी जो हम होम मिनिस्ट्री (गृह मंत्रालय) के साथ बात कर रहे हैं वह तो उसको और भी उदार बनाने के लिये है। यह निर्णय तो १९४९ में ही ले लिया गया था और उसके अनुसार बहुत से लोगों को नौकरी पर लगाया जा चुका है।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट को मालूम है कि जो थोड़े बहुत कर्मचारियों को दुबारा नौकरी पर लगाया गया है उनकी पैन्शन और उनकी सीनियारिटी (ज्येष्ठता) नए सिरे से प्रारम्भ की जा रही है जिसकी वजह से वे बहुत नुकसान में हैं ? यदि मालूम है, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण करने का गवर्नमेंट विचार कर रही है ?

श्री जगजीवन राम : मैं तो ऐसा समझता था कि माननीय सदस्य को यह मालूम है कि जो लोग नौकरी पर लगाये गये हैं उनको रिइन्स्टेट (पुराने पद पर रखना) नहीं किया गया है बल्कि रिएम्प्लाय (पुनः नियुक्ति) किया गया है और रिएम्प्लायमेंट के साथ-साथ जो बातें चलती हैं वे उनके साथ भी चलती हैं।

दक्षिणी वियतनाम के साथ व्यापार

+

†*१५८. **श्री श्रीनारायण दास** :
श्री राम कृष्ण :

क्या **वाणिज्य और उपभोग वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और दक्षिणी वियतनाम के बीच व्यापार की वृद्धि और प्रोत्साहन के लिये अब तक कोई कार्यवाही की गई है और यदि हां तो क्या;

(ख) क्या दक्षिणी वियतनाम में भारतीय वस्तुओं की बिक्री के लिये बाजार की खोज की गई है;

(ग) यदि हां, तो ऐसी खोज का क्या परिणाम हुआ है; और

(घ) क्या किसी व्यापार समझौते पर वार्ता हो रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) से (ग). भारत तथा दक्षिणी वियतनाम की सरकार एक दूसरे के साथ प्रशुल्क के मामले में अत्यधिक मित्रतापूर्ण व्यवहार करने के लिये सहमत हो गयी हैं। दक्षिणी वियतनाम के व्यापार शिष्ट मंडल के साथ, जिसने अगस्त, १६५६ में भारत की यात्रा की थी, चर्चा में भारतीय वस्तुओं की दक्षिणी वियतनाम में खपत के सम्बन्ध में बातचीत की गयी थी। इन चर्चाओं के परिणामस्वरूप प्रत्येक देश से निर्यात के लिये उपलब्ध वस्तुओं की सूची बना ली गई है तथा उसे प्रचारित कर दिया गया है। भारत से आयात होने वाली वस्तुओं के लिये आयात अनुज्ञप्तियां देने के सम्बन्ध में, दक्षिणी वियतनाम में हमारे प्रतिनिधि, वहां के सम्बन्धित आधकारियों से बातचीत कर रहे हैं।

(घ) जी, नहीं।

†**श्री श्रीनारायण दास** : भारत और दक्षिणी वियतनाम में परस्पर इस समय किन-किन नई वस्तुओं के बारे में बातचीत हो रही है ?

†**श्री करमरकर** : जहां तक निर्यात का सम्बन्ध है, यहां से उन क्षेत्रों को मुख्यत: पटसन की बनी हुई वस्तुएं, तम्बाकू (अनिर्मित रूप में) तथा जूते भेजे जाते रहे हैं। इस प्रतिनिधि मंडल ने सभी मुख्य औद्योगिक केन्द्रों का दौरा किया है, और वे निर्यात के प्रयोजन में विभिन्न वस्तुओं को चुनने के बारे में विचार कर रहे हैं। मुझे सभा को यह बताते हुए हर्ष है कि हम इन परिस्थितियों में कुछेक परिसीमाओं के अन्तर्गत दक्षिणी वियतनाम से पर्याप्त परिमाण में व्यापार की आशा करते हैं।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या दक्षिणी वियतनाम के व्यापार शिष्ट मंडल के भारत आगमन के पश्चात् अब निर्यात की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि हुई है ?

†**श्री करमरकर** : जी हां। हमारी यही आशा है।

†**श्री कामत** : क्या हाल ही में समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई इन रिपोर्टों में कोई सत्य है कि दक्षिणी वियतनाम की सरकार ने भारतीय व्यापारियों द्वारा उस देश के व्यापार में भाग लेने पर पूर्णत: अथवा अंशत: प्रतिबन्ध लगा दिया है ? क्या दक्षिणी वियतनाम की सरकार ने उस देश में स्थित भारतीय व्यापारियों के प्रति विभेदपूर्ण बर्ताव किया है ?

†**श्री करमरकर** : हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। मैं अवश्य ऐसी आशा करता हूं कि माननीय सदस्य की आशंकायें किसी ठोस आधार पर आधारित नहीं हैं। वास्तव में, जहां तक हमारा अनुमान है दक्षिणी वियतनाम व्यापार शिष्ट मण्डल ने हमारे साथ बहुत निकटतम सम्बन्ध स्थापित करने का भरसक प्रयत्न किया है।

†**श्री कामत** : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय का यह कथन पूर्णत: गलत है।

†**प्रधान मंत्री तथा वदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं अपने मित्र, मंत्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तर के सम्बन्ध में यह भी कह देना चाहता हूं कि दक्षिणी वियतनाम सरकार द्वारा जारी किये गये विनियम सभी पर लागू होते हैं। पूछताछ करने पर हमें ज्ञात हुआ है कि उन विनियमों का वहां के भारती व्यापारियों पर कुछ भी कुप्रभाव नहीं पड़ा है। वहां के भारतीय व्यापारी अपेक्षाकृत बड़े व्यापारी हैं जबकि वे विनियम छोटे लोगों के लिये ही हैं। अत: जहां तक हमें जानकारी है, उन विनियमों का भारतीयों पर कुछ भी कुप्रभाव नहीं पड़ा है।

†**श्री कामत** : क्या इससे यह तात्पर्य है कि वहां पर बड़े व्यापारियों के साथ विभेदपूर्ण व्यवहार किया गया है, और छोटे व्यापारियों के साथ नहीं ? मैं इसे समझ नहीं सका।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं केवल यही बता रहा हूं कि उन्होंने छोटे-छोटे दुकानदारों के लिये कई विनियम बनाये हैं, अर्थात् वे चाहते हैं कि विदेशियों की बजाय ये दुकानें आदि कम्बोडिया निवासियों को मिल जायें। और वहां इस प्रकार के कुछ नियम हैं भी। इसलिये, जहां तक मुझे विदित है, वे नियम भारतीयों पर लागू नहीं होते।

†**श्री रा० प्र० गर्ग** : क्या सरकार ने उत्तरी वियतनाम से भी कोई व्यापार करार किया है अथवा करने का कोई विचार है ?

†**श्री करमरकर** : यह प्रश्न एक अलग प्रश्न के लिये उपयुक्त विषय होगा तथा इस प्रश्न के लिये नहीं।

†**श्री भागवत झा आज़ाद** : दक्षिणी वियतनाम से व्यापार शिष्ट मण्डल के यहां पर आने तथा दक्षिणी वियतनाम में मण्डी खोजने के परिणामस्वरूप, उस देश में हम लगभग कितने मूल्य का व्यापार करने की आशा कर सकते हैं ? अथवा क्या यह सभी बातें केवल भावुकतापूर्ण हैं ? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारे विदेशी व्यापार में कोई उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

†**श्री करमरकर** : जहां तक हमारे व्यापार का सम्बन्ध है, हम यथार्थ बातों में विश्वास रखते हैं, न कि केवल भावुकता में।

जहां तक हमारे विदेशी व्यापार का सम्बन्ध है यद्यपि वे एक परिसीमाओं के अन्तर्गत काम करते हैं, तो भी उस सम्बन्ध में उनके कई संसाधन हैं, और हमें अवश्य ही ऐसी आशा है कि वे उन संसाधनों के काफी बड़े भाग का, यथासम्भव, भारत से वस्तुएं खरीदने तथा भारत को वस्तुओं के बेचने में प्रयोग करेंगे।

एक पूर्ववर्ती प्रश्न के उत्तर के स्पष्टीकरण में यह कह देना उचित होगा कि हमने आपात तथा निर्यात की सभी संभावनाओं पर अच्छी प्रकार से विचार किया है। इस प्रश्न के विषय से निर्यात की जिन वस्तुओं का सम्बन्ध है उनमें से कुछेक यह हैं : विद्युत् मोटरें[1], विद्युत् बैटरियां[2], बिजली के पंखे, बल्ब, शीतोष्ण नियंत्रक यन्त्र, बिजली की तारें, वैज्ञानिक औज़ार, तथा स्वच्छता सम्बन्धी सामान इत्यादि। इनमें से कई नई वस्तुएं हैं।

लिगनाइट परियोजना, नीवेली

†*१५९. **श्री वीरस्वामी** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी जर्मनी के प्रविधिक विशेषज्ञ मद्रास राज्य के नीवेली लिगनाइट परियोजना को देखने गये थे;

(ख) क्या उन्होंने लिगनाइट परियोजना के विकास तथा सलेम जिले में एक इस्पात के संयंत्र स्थापित करने की संभावना के सम्बन्ध में भारत सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र)** : (क) जी, हां।

(ख) एक प्रतिवेदन मार्च, १९५६ में प्राप्त हुआ था। सलेम जिले में एक इस्पात संयंत्र स्थापित करने के प्रश्न पर विशेष रूप से विचार नहीं किया गया है। यह तो केवल निम्न शैफ्ट अंगीठियों[3] में अधिक तापमान वाले लिगनाइट कोक के द्वारा कच्चे लोहे को पिघलाने की संभावनाओं की ओर ही संकेत करता है।

---

†मूल अंग्रेजी में।
[1]Electric motors.
[2]Electric batteries.
[3]Low shaft furnaces.

(ग) प्रतिवेदन का सम्बन्ध मुख्य रूप से नीवेली में लिगनाइट की खानें खोदने तथा उसके उपयोग और वहां की जल सम्बन्धी स्थितियों से है।

†**श्री वीरस्वामी** : क्या विशेषज्ञ सलेम जिले में इसी उद्देश्य से आये थे ?

†**श्री सतीशचन्द्र** : मैं जानता हूं कि वे यहां भारत में थे और नीवेली गये थे। सम्भव है कि वे सलेम जिले में गये हों; परन्तु इस बारे में मेरे पास कोई निश्चित जानकारी नहीं है।

†**श्री वीरस्वामी** : क्या लिगनाइट परियोजना क्षेत्र में ठहरा हुआ पानी पम्पों से बाहिर निकाल दिया गया है, और यह कि वहां पर खोदने का काम कब से प्रारम्भ होगा ?

†**श्री सतीशचन्द्र** : लिगनाइट खोदने का काम शीघ्र ही प्रारम्भ हो जायेगा। वास्तव में, वहां पर प्रारम्भिक उत्खनन का काम पहले ही शुरू कर दिया गया है। कुछ सामान्य उपकरण उस स्थान पर पहुंच गये हैं। हाल ही में जर्मनी में भी कई करोड़ रुपये के सामान के लिये आर्डर दिये गये हैं। ज्यों ही सामान पहुंचना शुरू होगा, खानें खोदने का काम प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या यह सच है कि लिगनाइट परियोजना स्वयमेव महंगी रहेगी और कि वह तभी सस्ती सिद्ध होगी जब कि उसके साथ-साथ एक उर्वरक संयंत्र भी चलाया जाये ? जर्मन विशेषज्ञों ने इस बारे में क्या राय दी है ?

†**श्री सतीशचन्द्र** : यही इच्छा है; और नीवेली में एक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की योजना है।

†**श्री च० रा० नरसिंहन्** : क्या सलेम से सम्बन्ध रखने वाले प्रश्न के भाग (ख) के बारे में सरकार की छोटे पैमाने के लोहे तथा इस्पात के संयंत्र स्थापित करने की कोई योजना है, ताकि ज्यों ही लिगनाइट उपबन्ध हो, इस्पात संयंत्र भी काम करना शुरू कर दे ?

†**श्री सतीशचन्द्र** : इस प्रकार की लिगनाइट परियोजना में, लिगनाइट का खोदना, और उसका उपयोग करना, लिगनाइट की ईंटें बनाना, उर्वरक संयंत्र के लिये उसका उपयोग करना तथा एक द्वितापीय केन्द्र को स्थापित करना सम्मिलित हैं। यह प्रश्न तो लोहा और इस्पात मंत्रालय से पूछा जाना चाहिये।

†**श्री मुनिस्वामी** : क्या उस स्थान पर लकड़ी के कोयले की उपलब्धता के बारे में कोई परीक्षण किया गया है और यदि हां, तो उस परीक्षण का क्या परिणाम है ?

†**श्री सतीशचन्द्र** : सम्भवतः माननीय सदस्य का तात्पर्य लिगनाइट ब्राइकैटस[1] के 'कार्बोनाइज' करने से है। लिगनाइट का जर्मनी के कई मुख्य सार्थों ने परीक्षण किया है और यह मालूम किया है कि यह बढ़िया किस्म का है और इसकी ईंटें बनाई जा सकती हैं और इसे कार्बोनाइज्ड किया जा सकता है।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : लिगनाइट परियोजना तथा उर्वरक परियोजना इन दोनों का पृथक्-पृथक् प्राक्कलित व्यय क्या है ?

†**श्री सतीशचन्द्र** : परियोजनाओं का कुल खर्च लगभग ६५ करोड़ रुपया है। यदि माननीय सदस्य इस प्रश्न के लिये पृथक् पूर्व सूचना दें तो मैं खर्च का पृथक्-पृथक् ब्योरा भी बता सकता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[1] Briquettes.

†**श्री वीरस्वामी** : क्या सरकार को ज्ञात है कि तामिलनाद के लोग केन्द्रीय सरकार के उस ढंग से संतुष्ट नहीं हैं जिस ढंग से कि इस परियोजना को आरम्भ किया गया है और यह कि खानें खोदने का काम बहुत धीरे-धीरे चलाया जा रहा है ?

†**श्री सतीशचन्द्र** : मैं समझ नहीं सका कि माननीय सदस्य का क्या तात्पर्य है; इस सम्पूर्ण परियोजना में मद्रास सरकार एक अंशधारी है।

छोटे उद्योगों के लिये विस्तार केन्द्र

†*१६२. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** :
श्री म० रं० कृष्ण :
श्री मु० इस्लामुद्दीन :
श्री वोडयार :
श्री नेत्तूर प० दामोदरन :

क्या **वाणिज्य और उपभोग वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ औद्योगिक नगरों में छोटे उद्योगों के लिये विस्तार केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) इन केन्द्रों का यथार्थतम कृत्य क्या होगा; और

(ग) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर ये केन्द्र स्थापित किये गए हैं या जहां इन्हें स्थापित करने की सम्भावना है ?

†**उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५१**]

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : विवरण में भाग (ख) के उत्तर में कहा गया है :

"उत्पादन, प्रबन्ध तथा बिक्री की उन्नत प्रविधियों में श्रमिकों का प्रशिक्षण।"

क्या मैं जान सकता हूं कि यह प्रशिक्षण क्या सभी विस्तार केन्द्रों में दिया जाएगा या केवल विशिष्ट केन्द्रों में ही उन व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जायेगा ?

†**श्री कानूनगो** : प्रशिक्षण की मांग तथा आवश्यकता के अनुसार लगभग सभी केन्द्रों में प्रशिक्षण दिया जायेगा।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : विवरण में भाग (ग) के उत्तर में नई दिल्ली के सामने "बाल सहयोग" लिखा हुआ है। मैं यह जानना चाहता हूं कि वहां पर किस बात का प्रशिक्षण दिया जायेगा और किन वस्तुओं का निर्माण होगा ?

†**श्री कानूनगो** : मुख्यतः लकड़ी तथा धातु सम्बन्धी वस्तुएं।

†**श्री बंसल** : भाग (ख) तथा (ग) का उत्तर है : "लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है।" अन्य सदस्यों को विवरण प्राप्त नहीं हुआ है। यदि यह अधिक लम्बा नहीं है तो क्या माननीय मंत्री इसे पढ़ कर सुना दगे ? यदि नहीं, तो क्या वह कम से कम इतना बतायेंगे कि क्या पंजाब के लिये किसी विस्तार केन्द्र की मंजूरी दी गई है और यदि हां, तो किस विशिष्ट नगर में केन्द्र होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : इसके साथ ही आंध्र के सम्बन्ध में भी बताया जाये ।

†**श्री कानूनगो** : मेरे विचार में मुझे सारी सूची ही पढ़नी होगी; यह तीन पृष्ठों में है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसे सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

†**डा० रामा राव** : समस्त सूची में सारे आंध्र प्रदेश के लिये केवल एक ही केन्द्र है । क्या मैं कारण जान सकता हूं ?

†**श्री कानूनगो** : यह सभी राज्य सरकारों की सिफारिशों पर निर्भर है ।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : आंध्र राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत क्या सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है ? यदि कुछ को अस्वीकार किया गया है तो क्यों ?

†**श्री कानूनगो** : किसी को अस्वीकृत नहीं किया गया है ।

दिल्ली में निष्क्रांतों के मकान

*१६३. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में निष्क्रांतों के मकानों की हालत हाल में हुई वर्षा के कारण और इस कारण भी कि पिछले नौ वर्षों में इन मकानों की कोई मरम्मत नहीं की गई है, बहुत ही खराब हो गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन मकानों को मनुष्यों के रहने के लिये अयोग्य घोषित कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इन मकानों में रहने वाले व्यक्तियों के रहने के हेतु दूसरे मकान देने के लिये क्या कार्यवाही की गई;

(घ) क्या सरकार ने इन मकानों की मरम्मत कराने के लिये कोई योजना बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं केवल थोड़े से मकानों को ।

(ग) केवल शरणार्थियों को ही बदले में दूसरे मकान देने का विचार है ।

(घ) और (ङ). साधारण तौर पर ऐसे मकानों की लम्बी-चौड़ी मरम्मत नहीं करायी जा रही है, क्योंकि यह मकान नीलामी के जरिये बेचने हैं या मुआवजे की योजना के अधीन शरणार्थियों को देने हैं ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या इस तरह के मकानों का कोई सरवे कर लिया गया है और अगर कर लिया गया है, तो उनमें कितने ऐसे आदमी हैं, जिनको आप बसाने वाले हैं ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : हमने दिल्ली में निकासी मकानों का सरवे कर लिया है । उनकी तादाद चन्द हजार के करीब है । बारिश के जरिये से कोई चार-पांच सौ मकानों को नुकसान पहुंचा है और सिर्फ ४०–५० मकान ऐसे हैं, जिनको ज्यादा नुकसान पहुंचा है । मैंने इसका सरवे कराया है ।

श्री नवल प्रभाकर : उनमें रहने वाले विस्थापित लोग कितने हैं ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : चालीस-पचास मकान ऐसे हैं, जिनको ज्यादा नुकसान पहुंचा है ।

श्री नवल प्रभाकर : मैं तो यह जानना चाहता हूं कि उनमें विस्थापितों के कितने परिवार हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

श्री मेहर चन्द खन्ना : वह मैं नहीं जानता । मकानों की तादाद चालीस-पचास है, जिनको बहुत ज्यादा नुकसाम पहुंचा है । वैसे दिल्ली में निकासी जायदादों में रहने वाले शरणार्थियों की तादाद हजारों तक पहुंचती है ।

श्री नवल प्रभाकर : माननीय मंत्री जी ने कहा है कि उनमें से कुछ को बसाने की योजना है । क्या मैं जान सकता हूं कि उनको कहां बसाया जायेगा ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : बसाने को मैंने नहीं कहा है । मैंने कहा है कि जो मकान गिर चुके हैं या जिनकी हालत बहुत खराब है, उनमें जो शरणार्थी रहते हैं, उनको दूसरे मकानों––आल्टरनेटिव एकामोडेशन––देने का मेरा विचार है ।

श्री नवल प्रभाकर : वह आल्टरनेटिव एकामोडेशन कहां दी जायेगी ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : दिल्ली में । उनको बाहर नहीं ले जाया जायेगा ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या उनको नजदीक से नजदीक मकान देने का प्रयत्न किया जायेगा ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : जो मकान खाली होगा वही दिया जा सकता है । आनरेबल मेम्बर जानते हैं कि आजकल मकान खाली कराना तो बहुत मुश्किल है ।

टेलीफोनों से आय

***१६४. श्री खू० चं० सोधिया** : क्या **संचार** मंत्री २५ अगस्त, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०११ के भाग (घ) के उत्तर के सम्बन्ध में निम्न जानकारी का एक विवरण पेश करेंगे :

(क) (१) राशियां जो बट्टे खाते में डाल दी गई; और

(२) १९३७–३८ से १९५४-५५ तक के शेष बकायों के बारे में उन राशियों का वर्षवार ब्योरा जिन्हें बट्टे खाते में डाला जायेगा; और

(ख) इतनी बड़ी-बड़ी राशियों के प्रति वर्ष बकाया रहने और उनके वर्षों तक बकाया रखे जाने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५२]**

श्री खू० चं० सोधिया : इस विवरण के भाग (क) में कहा गया है कि एक साल के अन्दर जो रकम बट्टे खाते में डाली जाती है, वह आय की अपेक्षा सामान्यत: बहुत थोड़ी होती है । क्या मैं जान सकता हूं कि उसकी परसेन्टेज क्या होती है ?

श्री जगजीवन राम : बहुत कम परसेन्टेज होती है । मैं सुना देता हूं । १९४८-४९ में पूरी आय ६३४ लाख थी और बट्टे खाते में सिर्फ ११२६ रुपये डाले गये जिसका परसेन्टेज होता है ·००२ परसेन्ट । १९५४-५५ में, जबकि रेवेन्यू ज्यादा बढ़ गया था, आय थी ११६७ लाख और ३४९२४ रुपये बट्टे खाते में डाल दिए गए, जिसकी परसेन्टेज होती है ·०३ परसेन्ट ।

श्री खू० चं० सोधिया : विवरण के भाग (ख) (१) में कहा गया है कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों और भूतपूर्व राज्यों से वसूली में देर हुई है । क्या मैं जान सकता हूं कि उनसे उगाही करने में इतनी देर क्यों हो रही है ?

श्री जगजीवन राम : कुछ तो घरेलू मामला समझने से ढिलाई हो जाती है, लेकिन बात यह है कि केन्द्रीय तथा सभी राज्य सरकारों में इतना अधिक विस्तार हुआ है कि काम-काज में जो कानसालिडेशन

---

†मूल अंग्रेजी में ।

होना चाहिये, वह पूर्णरूप से नहीं हो पाया है। यह भी एक कारण है कि कुछ एरियर्ज ज्यादा बढ़ गए और हमने यह समझा था कि यह वही खाते का उलटफेर ही करना है। इसलिये थोड़ी बहुत सुस्ती भी थी। अब हमने वह पग उठाने का निश्चय किया है, जो कि प्राईवेट सब्सक्राइवर्ज के साथ व्यवहार करने में उठाये जाते हैं अर्थात् अगर समय पर बिल न चुकाया जाये तो हम टेलीफोन को काट देते हैं या ट्रंक रोक देते हैं। पहले हमारे एरियर्ज करोड़ में थे, जबकि अब वे लाख में आ गए हैं।

त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों को कृषि ऋण

†*१६७. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में बाढ़ पीड़ित विस्थापित व्यक्तियों को कोई कृषि-ऋण दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो अधिकतम तथा न्यूनतम कितनी राशि दी गई है ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) तथा (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय उसे लोक-सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

†**श्री बीरेन दत्त** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या त्रिपुरा के विस्थापित व्यक्तियों को इस कारण कृषि-निधि में से ऋण देने में कोई आपत्ति है कि उनकी भूमि पहले से ही बन्धक ग्रस्त है ?

†**श्री महर चन्द खन्ना** : मैं प्रश्न समझ नहीं सका हूं।

†**श्री बीरेन दत्त** : क्या यह सच है कि विस्थापित व्यक्ति इस कारण कृषि-ऋण नहीं ले सकते हैं कि उनकी भूमि पहले से ही बन्धक ग्रस्त है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : यदि भूमि पहले से ही बन्धक ग्रस्त हो तो ऋण कैसे दिया जा सकता है।

†**श्री बीरेन दत्त** : यहां प्रश्न विस्थापित व्यक्तियों को कृषि-ऋण देने का है। मैंने विशिष्ट रूप से बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के विस्थापित व्यक्तियों के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा है कि क्या उन्हें कोई ऋण दिया गया है।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मुझे खेद है मैं प्रश्न को बिल्कुल भी नहीं समझ सका हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस बात के होते हुए भी कि जमीनें अति बन्धक ग्रस्त हैं वह यह जानना चाहते हैं कि यद्यपि बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में पर्याप्त प्रतिभूति न भी हो तथापि वहां किस प्रकार का ऋण या सहायता दी गई है।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : जब हम ऋण देते हैं तो हम एक प्रकार की प्रतिभूति भी लेते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह यह कहना चाहते हैं कि वहां विशिष्ट परिस्थितियां हैं और यह पूछ रहे हैं कि क्या नियम में कोई विशेष रियायत या छूट दी गई है। उत्तर सरल है, 'हां' या 'नहीं'।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : यदि मुझे कोई विशिष्ट मामला बताया जायेगा तो मैं उस पर विचार करूंगा।

संयुक्त डाक घर तथा सार्वजनिक टेलीफोन

\+

†*१६८. **बाबू राम नारायण सिंह** :
ठाकुर युगल किशोर सिंह :
श्री अस्थाना :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त डाक घरों को सावजनिक टेलीफोन घरों के रूप में काम करने की अनुमति देने में कठिनाई क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : तार सर्कट साधारणतया नगरान्तर टेलीफोन सेवा के लिये उपयुक्त नहीं हैं ।

नेताजी के रिकार्ड अथवा चलचित्र

†***१६९. श्री कामत** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री २८ अगस्त, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १५०० तथा उसके अनुपूरकों के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि हमारे अभिलेखागारों में परिरक्षण के लिये नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के रिकार्ड या चलचित्र अर्जित करने की दिशा में अग्रेतर क्या प्रगति की गई है ?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : अखिल भारतीय आकाशवाणी, हरिपुर कांग्रेस के समय के, नेताजी की वाणी के दो एसिटेट (अर्ध-स्थायी) रिकार्ड प्राप्त करने में सफल हुई है । उनके अधिक अच्छी तरह से परीक्षण के लिये इन्हें पट्टिका पर स्थान्नान्तरित किया जा रहा है ।

जापान सरकार द्वारा, टोकियो में की गई जांच समिति को भेंट किये गये चलचित्रों में अन्तर्विष्ट नेताजी की वाणी की ऑप्टिलकल ट्रैक पर प्रतिलिपि की गई है और उसे पट्टिका पर भी रिकार्ड किया गया है ।

†**श्री कामत** : क्या यह सच है कि भारत की रिकार्ड बनाने वाली नैशनल ग्रामोफोन कम्पनी के एक प्रतिनिधि ने हिन्दी, बंगला तथा अंग्रेजी में दिये गये नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के कुछ भाषणों के रिकार्ड लेकर इस वर्ष किसी समय प्रधान मंत्री, और सूचना और प्रसारण मंत्री से भी भेंट करने का प्रयत्न किया था; और क्या यह सच है कि उसे प्रधान मंत्री या माननीय मंत्री डा० केसकर तक पहुंचने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था; और क्या मैं जान सकता हूं कि क्या प्रधान मंत्री या सम्बन्धित मंत्री अब उसे, उन रिकार्ड किए गए भाषणों को दिखाने का अवसर देंगे ताकि उन्हें परिष्कृत किया जा सके और अभिलेखागारों में परिरक्षित किया जा सके ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मुझे खेद है, मैं सारा वाक्य सुन नहीं सका····

†**श्री कामत** : क्योंकि आप अन्यमनस्क थे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : नेताजी के भाषणों से सम्बन्धित रिकार्ड किसी कम्पनी के पास हैं, उस कम्पनी का एक पदाधिकारी·····

†**श्री कामत** : दी नैशनल ग्रामोफोन कम्पनी ऑफ इंडिया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : ···· प्रधान मंत्री से भेंट करना चाहता था परन्तु उसे न तो उनसे और न ही डा० केसकर से भेंट करने का अवसर प्राप्त हो सका ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : वास्तव में बात यह है कि यह व्यक्ति केवल आज प्रातःकाल ही मेरे पास आया था । उसने मुझे तीन रिकार्ड भेंट किये थे । इनमें से दो रिकार्ड नेताजी के भाषणों के थे और एक मेरा था जिसे लगभग बीस वर्ष पहले भरा गया था । मैंने उसका धन्यवाद किया और उन्हें उससे ले लिया ।

†**श्री कामत** : मैं प्रधान मंत्री को बताना चाहता हूं कि आज सवेरे से कहीं पहले जब कि प्रधान मंत्री ने उससे कृपया भेंट की थी उस व्यक्ति ने जनबरी में उनसे भेंट करने का प्रयत्न किया था परन्तु प्रधान मंत्री के निजी सचिव ने उसे बताया था कि प्रधान मंत्री उससे भेंट नहीं कर सकते हैं और इस कारण बाद में प्रयत्न किये गये और अन्ततः आज सवेरे उनसे उसने भेंट की होगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**अध्यक्ष महोदय** : पहले कुछ भी हुआ हो हमें उस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है।

†**श्री कामत** : उन रिकार्डों का क्या हुआ ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने रिकार्ड ले लिये हैं।

†**श्री म० दो० रामस्वामी** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार को जांच समिति के द्वारा नेताजी के वे फोटो मिल सके हैं जिनके सम्बन्ध में ख्याल किया जाता है कि वे हस्पताल के अधिकारियों द्वारा लिये गये थे या वे मृत शरीर के हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह यह जानना चाहते हैं कि क्या कोई ऐसा फोटो प्राप्त हुआ है जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि वह हस्पताल में लिया गया था या मृत शरीर का है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। जो कुछ भी प्राप्त हुआ था और प्रतिवेदन में जिसकी चर्चा है उन्हें सभा में प्रस्तुत किया गया है। कुछ चित्र भी हैं। मैं निश्चित रूप से नहीं जानता कि वह किस चित्र की ओर संकेत कर रहे हैं।

ग्रामीण गीत

*१७०. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न प्रदेशों में ग्रामों में गाये जाने वाले स्वस्थ ग्रामीण गीतों का संग्रह कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो यह काम कब तक समाप्त हो जायेगा और कब से उनका प्रसार विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में किया जायेगा ?

व्यापार मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). आकाशवाणी के ग्रामीण कार्यक्रमों और हल्के संगीत के कायक्रमों में जो ग्रामीण गीत अब तक प्रसारित किये गये हैं उनका संग्रह किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त प्रयोग के तौर पर ४ लोकगीत शाखायें खोली जा रही हैं जो प्रसार और हल्के संगीत के लिये और सामग्री एकत्र करेंगी। गीतों के संग्रह का कार्य आकाशवाणी के नित्य के कार्यक्रम का एक अंग है और यह हमेशा चलता रहेगा।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार इस बात का ख्याल रखेगी कि स्वतन्त्रता की लड़ाई के दौरान में सन् १९०५ से १९४४ तक जो ग्रामीण गीत गाये गये थे उनका अलग संग्रह किया जायेगा ?

श्री करमरकर : यह महत्वपूर्ण विषय है। इसके बारे में मिनिस्ट्री ग़ौर करेगी।

†**डा० रामा राव** : यह संग्रह अब तक किन भाषाओं में और कितना किया गया है ?

†**श्री करमरकर** : मेरे विचार में पहले-पहल इन क्षेत्रों के लिये लोक संगीत के सम्बन्ध में एकक बनाने का निश्चय किया गया था :

(१) आसाम तथा उसके आस-पास का प्रदेश;
(२) मध्यप्रदेश, बिहार और उड़ीसा का आदिमजाति क्षेत्र;
(३) सौराष्ट्र और राजस्थान;
(४) केरल और कर्नाटक।

वर्तमान स्थिति यह है।

†**डा० रामा राव** : आन्ध्र के बारे में क्या स्थिति है ?

†**श्री करमरकर** : मैं यह नहीं कहता कि आन्ध्र में इनकी कमी है, किन्तु मेरे विचार में सब कुछ यथासमय होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

श्री भक्त दर्शन : यह जो संग्रह किया जायेगा क्या यह केवल आकाशवाणी के कलाकारों के लिये किया जायेगा या इन गीतों को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किया जायेगा ताकि आम जनता भी उनसे लाभ उठा सके ?

श्री करमरकर : जहां तक सम्भव होगा उनको सार्वजनिक रूप से जनता के लिये भी प्रकाशित किया जायेगा ।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति :** ग्राम गीतों और लोक गीतों में क्या अन्तर है ? क्या इनमें कोई भेद किया जाता है ?

†**श्री करमरकर :** अन्तर बिल्कुल स्पष्ट है : ग्राम गीत ग्राम गीत हैं, और लोक गीत लोक गीत हैं । (हंसी) । मैंने अपना वाक्य पूरा नहीं किया है । सामान्यतया लोक गीत नगरों की अपेक्षा, जहां सभ्यता का अधिक विकास हो गया है, ग्रामीण क्षेत्रों की विशेषताओं के द्योतक होते हैं ।

श्री चट्टोपाध्याय उठे––

†**अध्यक्ष महोदय :** सूचना और प्रसारण मंत्री को आ जाने दीजिये ।

आॅल इंडिया रेडियो के पारेषक

†*१७१. { +श्री संगण्णा :
श्री शिवनंजप्पा : }

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री आॅल इंडिया रेडियो के कटक केन्द्र के सम्बन्ध में २४ जुलाई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २१७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधिक शक्तिशाली पारेषक की संस्थापना में अभी तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या इस केन्द्र के लिये भी २४ घण्टे प्रसारण करने के कार्यक्रम बनाये जा रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण ?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) भवन के निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है और उपकरण भारत आ गये हैं ।

(ख) और (ग). इस पारेषक का उद्देश्य कार्यक्रमों को सुदृढ़ करना और उनके सुने जाने के क्षेत्र का विस्तार करना है । यह कार्यक्रम इस समय भी इस केन्द्र से प्रसारित किये जा रहे हैं और जहां तक कार्यक्रमों की अवधि का सम्बन्ध है वह अन्य सभी केन्द्रों के अनुसार हैं । यह पारेषक अखिल भारतीय आधार पर चौबीसों घन्टे प्रसारण करने के लिये काम में लाये जाने के अयोग्य हैं ।

†**श्री संगण्णा :** क्या कटक से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में कोई नवीनता लाई गई है ?

†**श्री करमरकर :** हम समय-समय पर जितना भी सम्भव होता है सुधार करते जाते हैं । परन्तु इस प्रकार की किसी नवीनता के लाये जाने के सम्बन्ध में मुझे जानकारी नहीं है ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

†*१७३. { +श्री काजरोल्कर :
श्री त० ब० विट्ठलराव :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री शिवनंजप्पा }

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत चिकित्सकीय सुविधा बीमा शुदा व्यक्तियों के परिवारों को भी दी जाने लगी है;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों के लाभान्वित होने की सम्भावना है;

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ग) क्या इससे कर्मचारियों तथा नियोजकों के अंशदान की वर्तमान दरों पर प्रभाव पड़ेगा और यदि हां, तो किस सीमा तक;

(घ) क्या राज्य सरकारों से परामर्श किया गया है, यदि हां, तो उनकी प्रत्युत्तर क्या हैं; और

(ङ) जहां तक इस प्रकार के विस्तार का सम्बन्ध है शब्द "परिवार" की परिभाषा क्या है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) इस सम्बन्ध में निर्णय कर लिया गया है और उसे कार्यान्वित करने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

(ख) अन्ततः कोई ६० से ७० लाख तक ।

(ग) कर्मचारियों के अंशदान की दर को नहीं बढ़ाया जायेगा । नियोजकों द्वारा देय विशेष अंशदान की दरों को अकार्यान्वित क्षेत्रों में ३/४ प्रतिशत से बढ़ा कर १-३/४ प्रतिशत और कार्यान्वित क्षेत्रों में १-१/४ प्रतिशत से बढ़ा कर ३-१/२ प्रतिशत कर दिया जायेगा ।

(घ) जी हां, राज्य सरकारों से परामर्श किया गया था और वह कर्मचारियों के परिवारों के इस योजना के अन्तर्गत लाये जाने के पक्ष में थी ।

(ङ) बीमा शुदा व्यक्ति की पत्नी या पति और उस पर निर्भर अवयस्क वैध तथा गोद लिये हुए बच्चे, और यदि बीमा शुदा व्यक्ति पुरुष हो, तो उस पर निर्भर उसके माता पिता ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या इस विस्तार योजना की वित्तीय उपलक्षणाओं का अनुमान लगा लिया गया है ?

†**श्री आबिद अली** : जी हां, यह कोई १६ रुपया प्रति बीमा शुदा व्यक्ति है । परिवारों के इसके अन्तर्गत लाये जाने के पश्चात् यह कोई ४० रुपया प्रति बीमा शुदा व्यक्ति प्रति वर्ष होगा ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : इस विस्तार योजना के अन्तर्गत जिन चिकित्सकीय सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी क्या वह वर्तमान सुविधाओं के समकक्ष ही होगी अथवा गुण प्रकार तथा परिमाण में कोई कमी की जायेगी ?

†**श्री आबिद अली** : जो पहले से हो बीमा शुदा हैं, उनके लिये कोई कमी नहीं की जायेगी । परिवार के सदस्यों के लिये यह केवल विस्तार है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न काल समाप्त हो गया है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

दूर-भाष तथा दूर-संचार विभाग (हैदराबाद)

†*१३९. **श्री अचलू** : क्या **संचार** मंत्री २१ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८०९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या तब से इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है कि हैदराबाद का दूर-भाष तथा दूर-संचार विभाग कब से स्थायी माना जायेगा; और

(ख) यदि नहीं , तो विलम्ब के कारण क्या हैं ?

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) जी हां, ४ अप्रैल, १९४९ से ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

स्वांग रेलवे कोयला खदान

†*१४१. { **श्री चट्टोपाध्याय :**
श्री त० ब० विट्ठल राव :

क्या **श्रम** मंत्री २८ मई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २७१० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने के कृपा करेंगे कि स्वांग रेलवे कोयला खदान के एजेंट व मेनेजर के विरुद्ध जो जांच न्यायालय भारतीय कोयला खदान विनियमन, १९२६ के विनियम ४८ के उपबन्धों के अन्तर्गत नियुक्त किया गया था उसने अपनी जांच का परिणाम प्रस्तुत कर दिया है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** जी, नहीं । एजेंट व मैनेजर ने, विनियमन ४८ के अन्तर्गत निर्णय के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये, पटना उच्च न्यायालय में प्रशस्ति याचिकायें प्रस्तुत की हैं । उच्च न्यायालय ने जांच न्यायालय को कोई कदम उठाने से रोक दिया है ।

गिरिडीह की कोयला खानें

†*१४२. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) टेक्नीकल विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशों को क्रियान्वित किए जाने के परिणामस्वरूप क्या गिरिडीह की कोयला खानों के उत्पादन में कोई वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) और (ख). सिफारिशों की क्रियान्विति का उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसका इतना शीघ्र निर्धारण नहीं किया जा सकता ।

ग्राम उद्योग

†*१४८. **श्री झूलन सिंह :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राम-उद्योगों द्वारा तैयार किए गये हाथ से कुटे चावल, घानी के तेल, नीरा के गुड़ तथा अन्य खाद्य पदार्थों को अपने खुद के प्रयोग के लिये खरीद कर सरकार देश में कुछ सीमा तक ग्राम उद्योगों को प्रोत्साहित करती है; और

(ख) क्या सरकार अभोज्य तेल से उत्पादित साबुन, दियासलाई तथा छोटे पैमाने पर उत्पादित दस्तकारी के सामान की भी कुछ मात्रा खरीदती है ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) और (ख). सामान्य नीति यह है कि जब भी सम्भव हो ग्राम उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को खरीद कर उन उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाये । किन्तु सीमित उत्पादन सामान्यतः स्थानीय बाजारों में ही खप जाता है और सरकार द्वारा कोई उल्लेखनीय खरीद नहीं होती है ।

दस्तकारी की चीजें संग्रहालयों अथवा भारत या विदेश में की गयी प्रदर्शिनियों में प्रदर्शन के हेतु, भारत की ओर से उपहार देने में और सजावट के लिये खरीदी जाती हैं ।

लोडना कोयला खदान दुर्घटना

†*१५२. **श्री क० सु० राव :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १२ सितम्बर, १९५६ की रात्रि को लोडना कोयला खदान, झरिया में पानी भर जाने के परिणामस्वरूप चार खनिकों के डब जान के सम्बन्ध में जिस खदान इंस्पेक्टर ने जांच की थी उसकी उपपत्तियां क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : खदानों के प्रादेशिक इंस्पेक्टर की उपपत्तियों के अनुसार दुर्घटना का कारण यह था कि कोयला खदान विनियमन, १९२६ के विनियम ७४ और कोयला खदान (अस्थायी) विनियमन, १९५५ के विनियम ५ (२) के उपबन्धों का पालन नहीं किया गया।

जावर खदानें

†***१५७. श्री भोखा भाई** : क्या **श्रम** मंत्री ३० अगस्त, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ११५४ के उत्तर के सम्बन्ध यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जावर खदानों के मजदूरी की मांगों के सम्बन्ध में की गयी जांच का क्या परिणाम रहा;

(ख) किस सीमा तक उनकी मांगें स्वीकार कर ली गयी हैं; और

(ग) कितनी मांगें मध्यस्थ-निर्णय के लिये सौंप दी गयी हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) से (ग). श्रम इंस्पेक्टर (केन्द्रीय) भीलवाड़ा के हस्तक्षेप पर, कामगरों की छः मांगों के सम्बन्ध में एक समझौता हो गया था। प्रबन्धकर्त्ता तथा कामगर दोनों इस बात तर सहमत हो गये कि शेष मांगें राजस्थान के मुख्य मंत्री को मध्यस्थ-निर्णय के लिये सौंप दी जायें। निर्णय २१ सितम्बर, १९५६ को दिया गया। उनको निर्दिष्ट की गयी बाईस मांगों में से तेरह पूरी तरह मान ली गयीं, पांच आंशिक रूप से मान ली गयीं, एक अस्वीकृत कर दी गयी और एक तय होने को शेष है। दो मांगें वापस ले ली गयीं।

ट्यूटीकोरिन कलवसल नमक फैक्टरी

†***१६०. श्री नम्बियार** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बाताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ट्यूटीकोरिन कलवसल नमक फैक्टरी में उत्पादन होने वाले नमक के विक्रय पर हाल में सरकार ने इस आधार पर रोक लगा दी है कि इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा कम है;

(ख) इस प्रतिबन्ध के परिणामस्वरूप कितने उत्पादकों तथा कामगरों पर प्रभाव पड़ा है; और

(ग) ट्यूटीकोरिन की फैक्टरियों में उत्पादित नमक में कितने प्रतिशत सोडियम क्लोराइड होता है और अन्य क्षेत्रों में उत्पादित नमक की तुलना में यह कितना है ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र)** : (क) जी, हां।

(ख) १७२।

(ग) ट्यूटीकोरिन में उत्पादित लगभग ९३ प्रतिशत नमक में सोडियम क्लोराइड का अंश ९४ से ९६ प्रतिशत है तथा अन्य क्षेत्रों में और प्रदेशों में प्राप्त शुद्धता के स्तर की तुलना में अनुकूल बैठता है।

मंडलपुर कोयला खदान

†***१६१. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मंडलपुर कोल लिमिटेड, जिला बर्दवान, जो बन्द होने वाली है, के सम्बन्ध में कोई जांच करने का आदेश दिया है; और

(ख) यदि नहीं तो इस मामले में सरकार का और क्या पग उठाने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). इस कोयला खदान के बन्द होने के सम्बन्ध में एक प्रतिविधान प्राप्त हुआ है तथा मामले की कोयला बोर्ड द्वारा छानबीन की जा रही है और उसके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है ।

इंग्लैण्ड के साथ विमान संचालन करार

†***१६५. श्रीमती तारकेश्वरी सिंहा** : क्या **संचार** मंत्री २८ मई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २५९५ के उत्तर में सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत मार्च में लन्दन में हुए भारत-ब्रिटिश विमान संचालन करार की अवधि में विस्तार करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो निर्णय में बिलम्ब के कारण क्या हैं; और

(ग) क्या कोई अन्तःकालीन निर्णय किए गए हैं ?

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** :(क) और (ख). भारत तथा इंग्लैण्ड की सरकारों के के मध्य एक विमान संचालन करार १ दिसम्बर, १९५१ से जारी है और इसलिये इसकी अवधि विस्तार करने का कोई प्रश्न नहीं उठता । माननीय सदस्य का आशय कदाचित अप्रैल-मई में लन्दन में भारत और इंग्लैण्ड के प्रतिनिधि मण्डलों के मध्य हुई बातचीत से है जिसका सम्बन्ध इस बात से था कि दोनों देशों के विमान समवाय कितने विमान चलाया करेंगे और वह कितनी बार चला करेंगे तथा कुछ और भी बातें थीं । दोनों प्रतिनिधि मण्डलों ने बहुत से निष्कर्ष निकाले हैं जिन पर परस्पर विचार-विमर्श से ही निर्णय किये जा सकते हैं । अतएव कुछ विलम्ब होना अनिवार्य है ।

(ग) जी, नहीं ।

फुटकर काम करने वाले मुद्रणालय

†***१६६. श्री उ० मु० त्रिवेदी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राजस्थान सर्कल के अध्यक्ष को 'फुटकर काम करने वाले मुद्रणालय' देने के प्रश्न के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ?

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : फार्मों के सम्भरण और मुद्रण सम्बन्धी अन्य मामलों के साथ सब सर्कल अध्यक्षों को फुटकर काम करने वाले मुद्रणालय देने के प्रश्न पर एक उच्च अधिकारों वाली फार्म समिति द्वारा विचार किया जायेगा । यह समिति अपना काम शीघ्र शुरू कर देगी ।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग

†***१७२. श्री मु० इस्लामुद्दीन** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग स्थापित कर दिया है;

(ख) यदि नहीं, तो यह कब स्थापित किया जायेगा; और

(ग) इसका गठन कैसे होगा ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) अभी नहीं ।

(ख) यथासंभव शीघ्र से शीघ्र ।

(ग) यह मामला विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

मास्को में भारतीय फिल्म उत्सव

†*१७४. **श्री शिवनंजप्पा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, १९५६ के मास में मास्को में कोई भारतीय फिल्म उत्सव हुआ था;

(ख) यदि हां, तो कितनी भारतीय फिल्में दिखायी गयी थीं;

(ग) उत्सव से कुल कितनी आय हुई; और

(घ) क्या रूस के सांस्कृतिक मंत्रालय ने उत्सव के लिये भारतीय फिल्म कर्मचारियों के एक दल को आमंत्रित किया था ?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, हां ।

(ख) इस उत्सव में दिखाने के लिये ६ रूपक फिल्में और ग्यारह प्रलेखीय चलचित्र चुने गये थे ।

(ग) रूपक और प्रलेखीय चलचित्रों दोनों को सोवेक्स पोर्ट फिल्म ने खरीद लिया था । इसलिये कुल आय का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) सरकार ने एक प्रतिनिधि मंडल भेजा था, जिसमें प्रविधिज्ञ और उत्सव में दिखायी जाने वाली फिल्मों से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्ति सम्मिलित थे ।

स्विमिंग पूल रिएक्टर

†*१७५. **श्री सै० वें० रामस्वामी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारा स्विमिंग पूल रीएक्टर अच्छी तरह काम कर रहा है;

(ख) क्या वहां हमारे किन्हीं स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को आणविक रीएक्टर टेक्नालोजी में प्रशिक्षण दिया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो कितनों को ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). अभी नहीं ।

सरकारी प्रलेखों की चोरी

†*१७६. **श्री बंसल** :
श्री राधा रमण :
श्री केशव अय्यंगार :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री भागवत झा आज़ाद :
श्री गिडवानी :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री कृष्णाचार्य जोशी :
श्री वेलायुधन :
श्री रामचन्द्र रेड्डी :
श्री भीखा भाई :
श्री रा० प्र० गर्ग :
श्री ब० द० पांडे :
श्री कामत :
श्री गाडिलिंगन गौड :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में वैदेशिक-कार्य मंत्रालय से कुछ अत्यधिक गोपनीय फाइलें चुरा ली गई थीं; और

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) और (ख). वैदेशिक-कार्य मंत्रालय से कोई अत्यधिक गोपनीय फाइलें नहीं चुराई गई थीं, किन्तु एक गोपनीय फाइल के कुछ कागज़ गुम पाये गये थे। शक गोपनीय ईशु विभाग के एक क्लर्क शादीलाल कपूर पर था जिसके पास अन्त में फाइलें गई थीं। पुलिस को तुरन्त सूचना दी गई थी और शादीलाल कपूर के मकान की तलाशी ली गई। इसके फलस्वरूप कुछ गोपनीय प्रलेख मिले और कपूर को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि पुलिस को पता लगा कि उसने कुछ सरकारी प्रलेख जला दिये हैं। जांच अब समाप्त हो चुकी है और अभियुक्तों पर भारतीय दंड संहिता और सरकारी रहस्य अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग चलाया जा रहा है। वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में सुरक्षा सम्बन्धी उपाय कड़े कर दिये गये हैं और सुरक्षा सम्बन्धी नये नियम अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों में भी लागू करने का विचार है।

अन्तराष्ट्रीय आणविक एजेंसी

†*१७७. **श्री राधा रमण** :
श्री शिवनंजप्पा :
श्री बोडेयार :
श्री नेत्तूर प० दामोदरन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ८१ राष्ट्रों के सम्मेलन में जो संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हुआ था, १२ राष्ट्रों द्वारा तैयार किये गये अन्तर्राष्ट्रीय आणविक एजेंसी के परिनियम पर चर्चा की गई है और उसे अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो परिनियम के विशेष पहलू क्या हैं और यह एजेंसी कब और किस तरह अस्तित्व में आयेगी; और

(ग) क्या भारत इस परिनियम पर हस्ताक्षर करेगा ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी, हां।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय अणु-शक्ति एजेंसी के परिनियम के सम्बन्ध में किये गये संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भेजे गये भारतीय प्रतिनिधि मंडल की सरकारी रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) जी, हां।

तार और टेलीफोन आस्तियों का मूल्यॉकन

†*१७८. **श्री चट्टोपाध्याय** : क्या **संचार** मंत्री ६ मार्च, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५१० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५१ में तार और टेलीफोन आस्तियों के मूल्यांकन के लिये जो समिति नियुक्त की गई थी उसकी सिफारिशों को क्रियान्वित करने में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) सभी सिफारिशों को क्रियान्वित करने में कितना समय लगेगा ?

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) १९५१ में नियुक्त की गई 'जे० जे० समिति' की सब सिफारिशों पर सरकार विचार कर चुकी है और उसकी कुल १० सिफारिशों में से चार के सम्बन्ध

---

†मूल अंग्रेजी में।

में अन्तिम आदेश जारी कर दिये गये हैं। शेष सिफारिशों के सम्बन्ध में चर्चा जारी है और अन्तिम निर्णय कर लेने के बाद आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

(ख) जैसा कि भाग (क) में कहा गया है, कुछ सिफारिशों के सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिये गये हैं। शेष सिफारिशों के बारे में कोई समय निश्चित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके फल-स्वरूप वर्तमान प्रशासनीय और लेखा प्रणाली में बहुत परिवर्तन करने पड़ेंगे। इसलिये उनका विस्तृत अध्ययन आवश्यक है।

उपभोक्ता मूल्य देशनांक

†*१७९. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६ में श्रमिक वर्गों के लिये अखिल भारतीय आधार पर उपभोक्ता मूल्य देशनांक तैयार करने के लिये टेकनिकल मंत्रणा समिति की कितनी बैठकें हुई थीं;

(ख) किन विषयों पर चर्चा की गई थी और उनके सम्बन्ध में क्या सिफारिशें की गई थीं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) १९५६ में टेकनिकल मंत्रणा समिति की केवल एक बैठक हुई थी।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिय परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५३]**

कच्चे रेशम का आयात

†*१८०. **श्री केशव अय्यंगार** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कच्चे रेशम का आयात करने में सरकार किन कारणों से प्रभावित हुई है;

(ख) आयात का परिमाण किस आधार पर निश्चित किया गया है;

(ग) अतिरिक्त ५० टन कच्चे रेशम का आयात का निर्णय स्थायी समिति द्वारा किया गया था अथवा रेशम बोर्ड द्वारा;

(घ) क्या यह सच है कि सरकार कच्चे रेशम के आयात एवं वितरण की व्यवस्था में परिवर्तन कर इस कार्य को भारत के राज्य सरकार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड को सौंपने का विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : कच्चे रेशम का आयात (१) कच्चे रेशम की मांग तथा, उसके स्वदेशी उत्पादन की मात्रा का अन्तर पूरा करने; और (२) उच्च कोटि के वस्त्रों का निर्माण करने वाले रेशम बुनाई उद्योग के विशिष्ट क्षेत्रों की आवश्यकताओं के लिये किया गया है क्योंकि इसके लिये भारत में निर्मित वस्त्र रेशम सर्वथा अनुपयुक्त है।

(ख) आवश्यक न्यूनतम परिमाण और रेशम-कीट-पालन सम्बन्धी स्वदेशी उद्योग के हितों को ध्यान में रख कर आयात नियंत्रित किया जाता है।

(ग) स्थायी समिति द्वारा जिसे केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने अपने अधिकार हस्तांतरित कर दिये हैं।

(घ) और (ङ). कुछ मुख्य-मुख्य कच्चे पदार्थों के आयात का नियमन करने और उनकी कीमतों को घटाने तथा स्थिरता प्रदान करने के लिये उद्देश्य से मई, १९५६ में बनाये गये राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड को यह कार्य सौंप दिया गया है। किन्तु कच्च रेशम के आयात एवं वितरण का कार्य केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा जारी होगा।।

---

†मूल अंग्रेजी में।

यूनेस्को को डाक तथा तार सम्बन्धी विशेष सुविधायें

†*१८१. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यूनेस्को को अपने नई दिल्ली में आयोजित सम्मेलन के सम्बन्ध में डाक तथा तार सम्बन्धी विशेष सुविधायें दी हैं; और

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) जी, हां ।

(ख) डाक तथा तार सम्बन्धी निम्नलिखित सुविधायें दी गयी हैं :—

(१) भारत से यूनेस्को के हेड-क्वार्टर्स पेरिस में भेजी जाने वाली यूनेस्को की अपनी डाक पर, ४८० 'ग्राम' वजन तक, डाक शुल्क का न लिया जाना । और यदि यह डाक विमान द्वारा भेजी जाये तो समुद्री डाक के लिये निर्धारित डाक खर्चा काट कर शेष निधि यूनेस्कों से वसूल की जायेगी;

(२) भारत से पेरिस स्थित हेड-क्वार्टर्स को भेजे गये यूनेस्को के विभागीय तारों पर खर्चे में ४० प्रतिशत की छूट;

(३) भारत की सीमा के अन्तर्गत भेजे गये तारों को प्राथमिकता; और

(४) यूनेस्को के लोक संचार विभाग के तार संवादों पर समाचारपत्रों के समान दरें ।

पंजाब में गन्दी बस्तियों की सफाई का काय

†*१८२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने गन्दी बस्तियों की सफाई सम्बन्धी कार्य के लिये भारत सरकार से किसी अनुदान अथवा ऋण की प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार कितने प्रतिशत व्यय की पूर्त्ति करेगी ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) अभी नहीं ।

(ख) केन्द्रीय गन्दी बस्ती सफाई योजना के पार्श्व में राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत गन्दी बस्ती सफाई परियोजनाओं का ७५ प्रतिशत व्यय भारत सरकार देगी—५० प्रतिशत ऋण के रूप में और २५ प्रतिशत वित्तीय सहायता के रूप में । वित्तीय सहायता की एक शर्त यह है कि शेष २५ प्रतिशत के साहाय्य की व्यवस्था राज्य सरकार करे ।

सिंगरेनी कोयला खदान

†*१८३. **श्री का० सु० राव** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगरेनी कोयला खदान समवाय को विकास कार्यों के लिये वर्तमान वर्ष में भारत सरकार द्वारा कोई रकम स्वीकृत की गई है; और

(ख) यदि हां , तो रकम और सूद की दर कितनी है ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** (क) जी, नहीं ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

चाय का प्रचार

†*१८४. **श्री रा० प्र० गर्ग** : क्या **वाणिज्य तथा उपभोग-वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय चाय बोर्ड द्वारा देशीय मंडियों में चाय की उपयोगिता के प्रदर्शनार्थ और उसे लोकप्रिय बनाने के लिये कितने स्थायी और अस्थायी केण्टीनों की स्थापना की गई है;

(ख) क्या देशीय मंडियों में चाय की खपत में पिछले दो वर्षों में कोई वृद्धि हुई है;

(ग) क्या यह सच है कि उच्च कोटि की चाय जिस भाव पर विदेशों को निर्यात की जाती है उससे महंगी भारत में बेची जाती है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**उपभोग-वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : चाय बोर्ड अपनी स्वेच्छा पर ही केण्टीन की स्थापना नहीं करता है। चाय बनाने की सही विधि बताने के लिये बम्बई में एक चाय केन्द्र खोला गया है।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) उत्पन्न नहीं होता है ।

अम्बर चर्खा शिक्षक

†*१८५. **श्री भीखा भाई** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अम्बर चर्खा शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता में छट देने पर पुनर्विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह मैट्रिक से प्राइमरी शिक्षण तक घटा दी गई है ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी, हां ।

(ख) शिक्षक ट्रेनिंग कोर्स के नवीन प्रवेशकों के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक ही बनी रहेगी। यद्यपि सामान्यतः छूट देने का कोई विचार नहीं है किन्तु अखिल भारत खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड विशिष्ट मामलों में अभ्यर्थियों की योग्यता पर उचित रूप से विचार करेगा ।

निर्माण-कार्यों के लिये टेण्डर

*१८६. **श्री खू० चं० सोधिया** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री ९ अगस्त, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५४८ के भाग (ख) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ठेकेदारों की सूची में अंकित प्रत्येक निर्माण-कार्य के लिये अलग-अलग टेण्डर मांगे गये थे और सबसे कम खर्च वाले टेण्डर स्वीकार किये गये थे;

(ख) यदि नहीं, तो किन निर्माण-कार्यों में इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और उसका क्या कारण है; और

(ग) प्रत्येक ठेकेदार को उसके द्वारा किये गये कार्यों के लिये पारिश्रमिक के रूप में कितना प्रतिशत या कितनी राशि दी गई है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) १११ निर्माण कार्यों में १०८ कामों के लिये अलग-अलग टेण्डर मंगाये गये थे और २८ कामों को छोड़ कर बाकी सब कामों में सब से कम कीमत वाले टेण्डरों पर ठेका दिया गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). एक विवरण सभा की मेज़ पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५४]**

कोयला और नमक की कीमतें

†*१८७. **श्री बंसल :**
श्री त० ब० बिट्ठलराव :
श्री भागवत झा आज़ाद :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री च० रा० नरसिंहन् :
श्री गिडवानी :

क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पूर्ण देश में कोयला और नमक की समान अथवा इसके लगभग मूल्यों पर उपलब्ध कराने के लिये कोई योजना बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्योरा क्या है ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). अभी तक कोई योजना नहीं बनाई गई है। किन्तु इससे सम्बन्धित प्रस्थापनाएं विचाराधीन हैं।

रेडियम धर्मिता का प्रभाव

†*१८८. **श्री राधा रमण :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के विज्ञान महाविद्यालय ने १८ सितम्बर, १९५६ को रेडियम धर्मिता से प्रभावित वर्षा में गहन अभिवृद्धि का पर्यावलोकन किया है;

(ख) क्या वह खतरे के स्तर पर पहुंच गई थी और यदि नहीं, तो इस असामान्य अभिवृद्धि का मानव एवं पशु जीवन पर क्या प्रभाव हुआ; और

(ग) इसके प्रतिरोध स्वरूप क्या कार्यवाही की गयी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : यह सच है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के विज्ञान महाविद्यालय ने यह संवाद दिया है कि उन्होंने रेडियम धर्मिता की गहनता का पर्यावलोकन किया है।

(ख) और (ग). अभी तक जो संवाद मिला है उसके अनुसार रेडियम धर्मिता खतरे की सीमा से बहुत कम है। रेडियम धर्मिता के स्वरूप का अभी तक विस्तृत रूप में अध्ययन नहीं किया गया है। अतः वर्तमान स्थिति में किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

खान अधिनियम, १९५२ के अन्तर्गत प्रारूप विनियम

†*१८९. **श्री चट्टोपाध्याय :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खान अधिनियम, १९५२ के अन्तर्गत पुनरीक्षित प्रारूप विनियमों को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन्हे कब लागू किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इस कारण क्या हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) से (ग). कोयला खान विनियमों के पुनरीक्षित संहिता के प्रारूप को अन्तिम रूप दिया गया है तथा विधि के अनुसार उसे टिप्पणी के लिये प्रकाशित किया जा रहा है।

धातु खान विनियमों के पुनरीक्षित संहिता के प्रारूप की जांच की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेशम

†*१९०. **श्री केशव आयंगार :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत में कच्चे अथवा चरखी पर चढ़ाए रेशम का निम्नतम मूल्य निश्चित करने का विचार करती है;

(ख) यदि हां, तो कब तथा किस प्रकार से; और

(ग) क्या किसी राज्य सरकार ने रेशम बोर्ड को मूल्य-नियंत्रण के सम्बन्ध में कोई योजना पेश की है ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) तथा (ख). प्रस्थापना विचाराधीन है ।

(ग) पश्चिमी बंगाल सरकार ने ऋण के रूप में कुछ सहायता मांगी है जिससे कि कच्चे रेशम का निम्नतम तथा अधिकतम मूल्य निश्चित किया जा सके ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

†*१९१. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आकाशवाणी द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना को लोकप्रिय बनाने के लिये कुछ प्रचार किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में अब तक अखिल भारतीय आकाशवाणी से कुल कितनी वार्ताएं प्रसारित की गई हैं ?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, हां ।

(ख) जनवरी से सितम्बर, १९५६ तक अखिल भारतीय आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से पंचवर्षीय योजना प्रचार से सम्बन्धित २२०३ प्रसारित मदों में से ४८९ मदें ऐसी थीं जिनका सम्बन्ध द्वितीय पंचवर्षीय योजना से था । इनमें वार्ताएं, नाटक, चर्चाएं, गीत आदि शामिल हैं ।

पारपत्र

†१११. **श्री राम कृष्ण** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९५६ से ३१ अक्तूबर, १९५६ तक पाकिस्तान जाने के लिये कुल कितने व्यक्तियों ने पारपत्रों के लिये आवेदन दिये;

(ख) कितने लोगों को इस अवधि में पारपत्र मिले; और

(ग) इस अवधि में कुल कितने भारतीयों ने पाकिस्तान की यात्रा की ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

प्रादेशिक काम दिलाउ दफ्तर, अम्बाला

†११२. **श्री राम कृष्ण** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ में प्रादेशिक काम दिलाऊ दफ्तर, अम्बाला में कुल कितने बेरोज़गार व्यक्तियों ने अपने नाम दर्ज कराये और उनकी योग्यता क्या-क्या थी; और

(ख) उनमें से अब तक कितने लोगों को नौकरियां मिलीं हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). वर्ष १९५५-५६ सम्बन्धी जानकारी नीचे दी जाती है :

आवेदकों की श्रेणी	दर्ज हुए आवेदकों की संख्या	नौकरी पाने वालों की संख्या
१. मैट्रिक पास	२,८६१	३७६
२. इंटरमीडियेट पास	३४६	६०
३. ग्रेजयुएट्स (स्नातक)	३५३	६४
४. मैट्रिक स्तर से कम शिक्षा वाले तथा निरक्षर	१३,२२७	२,८५७
कुल	१६,७८७	३,३५७

अम्बर चरखा प्रशिक्षण केन्द्र

†**११३. श्री राम कृष्ण** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पैप्सू राज्य में अब तक कितने अम्बर चरखा प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं और कहां-कहां;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में वहां कितने ऐसे केन्द्र खोले जायेंगे; और

(ग) ये केन्द्र किन-किन स्थानों में खोले जायेंगे ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) कस्तूरबा सेवा मंदिर, राजपुरा को मंजूर हुए चार परिश्रमालय, राजपुरा, अमरकोट, धूरी और फगवाड़ा में चल रहे हैं और उनके उप-केन्द्र पटियाला, सामाना, नालागढ़, नियामतपुर, बनूड़, बूटासिंहवाला, चौंदा, राजोमाजरा, खजूरवाला और हरियाबाद में हैं ।

(ख) पैप्सू राज्य सरकार के लिये पांच परिश्रमालयों की मंजूरी दी गई है जिनमें कुल दो हजार चरखे चलेंगे ।

कस्तूरबा सेवा मंदिर, राजपुरा द्वारा तीन और परिश्रमालय शुरू किये जायेंगे ।

(ग) इन केन्द्रों के स्थापन के ठीक-ठीक स्थानों के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

तिलक स्मृति टिकट

†**११४. श्री कामत** : क्या **संचार** मंत्री १० अगस्त, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ९६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जन्म शताब्दि के अवसर पर जो तिलक स्मृति टिकट सरकारी तौर से जारी होने से पूर्व प्रयोग किये गये, क्या उस मामले में जांच समाप्त हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है; और

(ग) क्या सम्बद्ध लोगों के विरुद्ध तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिये कार्यवाही की गई है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) जी, हां ।

(ख) यह मालूम हुआ कि टिकट भूल से निश्चित तारीख से पूर्व जारी हो गये ।

(ग) जो लोग इस गलती के लिये उत्तरदायी हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये कड़े पूर्वोपाय किये जा रहे हैं ।

पाकिस्तान के साथ प्रत्यर्पण सन्धि

†**११५. श्री कामत** : क्या **प्रधान मंत्री** पाकिस्तान के साथ प्रत्यर्पण सन्धि के बारे में ९ अगस्त, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ९२५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मामले पर विचार हो चुका है; और

(ख) यदि हां, तो उसके परिणाम क्या निकले हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). मामले की अभी जांच की जा रही है ।

कार्मिक शिशु-गृह

†**११६. श्री कामत** : क्या **श्रम** मंत्री २५ जुलाई, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६४ के भाग (ग) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी तक ऐसे खान मालिकों पर अभियोग चलाया गया है, जिसने श्रमिकों के बच्चों के लिये शिशु-गृहों की व्यवस्था न की हो;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी, हां; २६५ खानों के विरुद्ध ।

(ख) जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के कर्मचारी

†**११७. श्री राघवैया** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग में डिवीज़नवार कुल कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने १ अप्रैल, १९५६ को तीन वर्ष की सेवा पूरी करली है और जो अब तक स्थायी नहीं बनाये गये हैं;

(ख) क्या उनमें से सब कार्मिक अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान देते हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं जबकि अस्थायी कर्मचारियों के लिये तीन वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद ऐसा अंशदान करना आवश्यक है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ग). जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है । यह एकत्रित की जा रही है और इसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि

†**११८. श्री राघवैया** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि के लेखे केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के खण्डीय (डिवीज़नल) कार्यालयों में रखे जाते हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो १ अप्रैल, १९५६ को कितने कर्मचारी अंशदान दे रहे थे;

(ग) क्या उन सब को मार्च, १९५६ को समाप्त हुए वर्ष के लेखों के विवरण दिये गये हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ). जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है । यह एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के माली

†**११९. श्री राघवैया** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के उद्यान निर्देशालय में १९५३, १९५४, १९५५ तथा १९५६ वर्षों मे कितने माली नियुक्त किये गये ;

(ख) इनमें से कितने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के उद्यान कार्यों से छंटनी किये गये माली हैं; और

(ग) नियुक्त किये गये कर्मचारियों में से कितने काम दिलाऊ दफ्तर की मार्फत नियुक्त किये गये हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ग). एक विवरण जिसमें यह जानकारी है सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५५]**

केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग में लिफ्ट पर काम करने वाले कर्मचारी

†**१२०. श्री राघवैया** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के नियमित कर्मचारी वर्ग में कितने लिफ्ट पर काम करने वाले कर्मचारी हैं;

(ख) उनमें से कितने तीन वर्ष से अधिक सेवा कर चुके हैं;

(ग) इनमें से कितने स्थायी तथा कितने अर्द्ध-स्थायी हैं; और

(घ) क्या शेष कर्मचारियों को स्थायी तथा अर्द्ध-स्थायी करने का कोई प्रस्ताव है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) ५८ ।

(ख) ५५ ।

(ग) लिफ्ट पर काम करने वाले चार कर्मचारी स्थायी हैं । लिफ्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों में से अर्द्ध-स्थायी कोई नहीं है ।

(घ) जी, हां ।

असैनिक उड्डयन विभाग में अधिक समय तक काम करने का भत्ता

†**१२१. श्री अचल** : क्या **संचार** मंत्री १९ मार्च, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४६८ तथा १७ जुलाई, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४९ के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असैनिक उड्डयन विभाग में अधिक समय तक काम करने का भत्ता देने की योजना सभी चालक कर्मचारियों पर लागू करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय क्या है; और

(ग) यह किस तिथि से लागू होगा ?

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) अधिक समय तक काम करने के भत्ते की योजना हवाई अड्डा चालक श्रेणी १ और श्रेणी २ तथा दूरमुद्रक चालकों (टेलीप्रिंटर औपरेटरों) पर लागू करने का निर्णय किया गया है। इससे प्राप्त अनुभव के पश्चात् अन्य श्रेणियों पर इस योजना को लागू करने के प्रश्न की जांच की जायेगी।

(ख) मैं एक विवरण जिसमें यह जानकारी दी गयी है, सभा-पटल पर रखता हूं। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५६]**

(ग) ११ नवम्बर, १९५६ से।

त्रावनकोर-कोचीन में केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग का निर्माण संस्थापन

†१२२. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को त्रावनकोर-कोचीन लोक-निर्माण विभाग के निर्माण संस्थापन के कर्मचारियों की संथा से उनकी निर्योग्यताओं तथा शिकायतों के सम्बन्ध में कोई आवेदन अथवा ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस आवेदन/ज्ञापन पर क्या कार्यवाही की है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी, हां। भूतपूर्व त्रावनकोर-कोचीन राज्य के लोक-निर्माण विभाग तथा विद्युत् विभाग की दो संथाओं के सम्मेलन के सभापति का एक अभ्यावेदन दिसम्बर, १९५६ में प्राप्त हुआ था।

(ख) संथाओं नें जो प्रश्न उठाये हैं वे सामान्य प्रकार के हैं और सभी राज्य सरकारों से सम्बन्धित हैं। उन पर विचार किया जा रहा है।

गिरिडीह कोयले की खानें

†१२३. **श्री त० ब० विट्ठलराव** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गिरिडीह कोयले की खानों में कितने कर्मचारी पांच वर्ष से अधिक से काम कर रहे हैं तथा फिर भी अस्थायी हैं;

(ख) क्या सरकार १९५६-५७ में उनको स्थायी बनाने का विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को स्थायी बनाए जाने की आशा है ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) कर्मचारियों को काम की मात्रा के अनुसार मंजूरी की पद्धति अथवा प्रतिदिन वेतन पर नियुक्त किया जाता है। पांच वर्ष से अधिक सेवा वाले ५२९ कर्मचारी अब भी अस्थायी हैं।

(ख) और (ग). १ अक्तूबर, १९५६ से राज्य की कोयले की खानें राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने ले ली हैं। निगम वर्तमान कर्मचारियों के स्थायी रूप से अपने कर्मचारी वर्ग में रखने के सम्बन्ध में जांच कर रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

कच्चे रेशम सम्बन्धी सम्मेलन

†१२४. **श्री केशव आयंगार** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत के कच्चे रेशम के उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं का सम्मेलन वाराणसी में बुलाने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका उद्देश्य क्या है और दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों को किस आधार पर आमंत्रित किया जायेगा ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी, हां ।

(ख) सम्मेलन बुलाने का उद्देश्य यह देखना है कि देशी कच्चे रेशम की खपत को बढ़ाया जा सकता है या नहीं और यह कि उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच सहयोग की भावना बनाई जाय। सम्मेलन में भाग लेने वालों का चुनाव रेशम उत्पादन करने वाले मुख्य राज्यों के परामर्श से किया जायेगा ।

सिंदरी उर्वरक कारखाना

†१२५. { **श्री भागवत झा आजाद** :
श्री ब० द० पांडे :

क्या **उत्पादन** मंत्री २७ जुलाई, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ३९० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सिंदरी उर्वरक कारखाने के कर्मचारियों को तदर्थ भुगतान प्रति वर्ष किया जायेगा अथवा कभी-कभी ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : कर्मचारियों को यह स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि वर्तमान भुगतान प्रसादतः तथा तदर्थ ही है और इसे पूर्वदृष्टांत नहीं माना जायगा ।

बर्फ तोड़ने वाला अणु-संचालित जहाज़

†१२६. **श्री राम कृष्ण** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान लन्दन से प्राप्त और ५ सितम्बर, १९५६ को भारतीय समाचार पत्रों में प्रकाशित रयुटर के इस संवाद की ओर गया है कि रूस १६,००० टन का बर्फ तोड़ने वाला अणु-संचालित जहाज़ बना रहा है जिसमें प्रतिदिन पांच औंस से अधिक ईंधन नहीं जलेगा और जो बिना ईंधन लिये लगभग तीन वर्ष तक चल सकेगा; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने वास्तविक तथ्य जानने के विचार से इस मामले में कोई पूछताछ की है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं। इस समय सरकार का इस सम्बन्ध में पूछताछ करने का विचार नहीं है ।

डाक तथा तार विभाग के क्वार्टर (हैदराबाद)

†१२७. **श्री का० सु० राव** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद तथा सिकन्दराबाद नगरों में डाक तथा तार विभाग के कमचारियों के लिये क्वार्टरों का निर्माण कब प्रारंभ होगा;

(ख) १९५६-५७ में कितने क्वार्टर बन जाने का अनुमान है; और

(ग) १९५७-५८ में कितने क्वार्टर बनाने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) से (ग). **हैदराबाद** : २०० क्वार्टर बनाने की योजना का काम प्रारम्भ किया गया है। इस कार्य के लिये भूमि अर्जन का प्राधिकार दे दिया गया है। जैसे ही भूमि मिलेगी, भवन निर्माण कार्य की मंजूरी पर विचार होगा। शीघ्र भूमि मिल जाने पर क्वार्टरों के १९५८-५९ तक बन जाने की आशा की जा सकती है।

सिकन्दराबाद : ३६ क्वार्टरों के निर्माण की योजना की मंजूरी देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। आशा है कि ये क्वार्टर १९५७-५८ तक बन जायेंगे।

डाकघरों के निरीक्षक (हैदराबाद)

†१२८. **श्री का० सु० राव** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैदराबाद सर्कलस में डाकघर निरीक्षकों की संख्या अपर्याप्त है ;

(ख) उनकी संख्या बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) क्या १९५६-५७ में उनकी संख्या बढ़ाने की कोई प्रस्थापना है ?

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) जी, नहीं।

चर्मकारों को बैंक ऋण

†*१२९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चर्मकारों को सहकारी बैंकों के ज़रिये तीन प्रतिशत ब्याज पर रक्षित बैंक द्वारा ऋण देने की कोई योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वह ऋण केवल सहकारी समितियों के सदस्य चर्मकारों को ही दिया जायगा या व्यक्तिगत चर्मकारों को भी दिया जायगा ?

†**उपभोग-वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

औद्योगिक सहकारी समितियां

†१३०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने औद्योगिक सहकारी समितियां बनाने का प्रोत्साहन देने के लिये वितीय सहायता देने की कोई योजनाएं प्रस्तुत की हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अभी तक कितनी धनराशि दी जा चुकी है ?

†**उपभोग-वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५७]**

†मूल अंग्रेजी में

मलाया में भारतीय

†*१३१. { **श्री अय्युण्णि** :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मलाया में, राज्यवार, कितने भारतीय नौकरी करते हैं;

(ख) कितने वहां बस गये हैं और उन्होंने नागरिकता अधिकार प्राप्त कर लिया है;

(ग) वे कौन-कौन से पेशे करते हैं; और

(घ) अभी हाल के वर्षों में जो भारतीय मलाया गये हैं; उन्हें कौन-कौन-सी कठिनाइयां सहन करनी पड़ती हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) ३१-८-१९५५ तक चुने हुए उद्योग में "राज्य।" बस्ती द्वारा नियुक्त भारतीयों की संख्या निम्नलिखित है :

	भारतीय
केडा और पेरलिस	२५,१४३
पेनांग	१३,५८०
पेराक	५९,४५९
सेलंगोर ...	६५,१४६
नेगरी सेम्बोलन	२२,७५३
मल्लाका	९,०३७
जोहोर	२८,०३३
पहंग	७,३२९
केलन्टन	१,८६०
ट्रेन्गानू	८३३
कुल	२३३,१७३

मलाया में चुने हुए उद्योग बागान, खानें, निर्माण और परिष्करण, वित्त और वाणिज्य, संचार और सेवा, राज्य और बस्ती सरकारें और नगरपालिकाएं हैं। प्रत्येक उद्योग में नियुक्त भारतीयों के अलग-अलग आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) ३०४,३३३।

(ग) मलाया में भारतीय निम्न पेशे करते हैं :

अकुशल श्रम
औद्योगिक कार्य
वाणिज्यिक व्यापार
सरकारी सेवा।

(घ) जो भारतीय अभी हाल में मलाया गये हैं, उन्हें वहां अभी हाल में पहुंचने के कारण या भारतीय राष्ट्रजन होने के कारण किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। एकमात्र भेदभाव पूर्ण विधान आप्रवास (प्रवेश का निशेध) आदेश, १९५३ है जो सभी ग़ैर-मलायी लोगों पर लागू होता है। इस विधान के उपबंधों के अधीन मलाया में क्लर्कों, दुकान कर्मचारियों और छोटे व्यापारियों के रूप में काम-काज की खोज में आने वाले विदेशियों का प्रवेश निषिद्ध है।

†मूल अंग्रेजी में

पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्ति

†*१३२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वी बंगाल के विस्थापित व्यक्तियों को भारत के अन्य राज्यों में फिर बसाने की कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो वे किन-किन राज्यों में और किस अवधि में वहां स्थायी रूप से बसाये जायेंगे।

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) और (ख). जी, हां। पश्चिमी बंगाल के अतिरिक्त निम्न राज्यों ने पूर्व पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये अभी तक योजनाएं तैयार की हैं :—

आसाम,
बिहार,
उड़ीसा,
उत्तर प्रदेश,
राजस्थान,
मध्य प्रदेश, बिन्ध्य प्रदेश } अब मध्य प्रदेश
और
सौराष्ट्र (अब बंबई)

बिहार में पुनर्वास के कुछ स्थानों में विस्थापित व्यक्तियों को भेजने का काम पहले ही प्रारम्भ हो चुका है। यह बताना कठिन है कि इन सभी राज्यों म विस्थापित व्यक्ति कब तक बसाये जायेंगे क्योंकि अधिकतर मामलों में परिवारों को वास्तव में बसाने से पहले ज़मीन को कृषि के योग्य बनाना होगा और उसका विकास करना होगा। फिर भी आशा की जाती है कि कुछ परिवार, अगली वर्षा ऋतु के पूर्व, बिहार के अतिरिक्त, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और नये मध्य प्रदेश में बसाये जायेंगे।

दक्षिण वियत-नाम में भारतीय

†*१३३. **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री कामत :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि दक्षिण वियत-नाम सरकार ने इस आशय की एक आज्ञप्ति जारी की है कि विदेशी फर्में और व्यक्ति मछली, गोश्त, पंसारी की चीजें, धान, कोयला, तेल, रद्दी धातु और चिथड़ों का व्यापार नहीं कर सकते और न रेल या नाव से यात्रियों को या माल को लाने ले जाने और कमीशन पर कोई व्यापार कर सकते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वहां रहने वाले भारतीय व्यापारियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी, हां।

(ख) इस आज्ञप्ति से दक्षिण वियत-नाम के व्यापारियों पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उनमें से अधिकतर कपड़े और पंसारी की वस्तुओं का व्यापार करते हैं। वस्त्र के सम्बन्ध में, अध्यादेश में यह कहा गया है कि विदेशियों द्वारा जो बाज़ारों में अपने सामानों का प्रदर्शन करते हैं, पटरियों पर या दूकानों में जबकि इन स्थानों पर रखा हुआ कपड़ा १०,००० मीटर से कम हो, रेशम और सूती वस्त्र का व्यापार निषिद्ध है।

†मूल अंग्रेजी में

जिन व्यापारी फर्मों ने यह कहा है कि उनके पास १०,००० मीटर से अधिक माल है और सक्षम अधिकारियों से इसका अनुमोदन करवा लिया है, उन्हें अपना व्यापार जारी रखने की अनुमति दी जाती है। कपड़े के सभी भारतीय व्यापारी हर समय १०,००० मीटर से अधिक कपड़ा रख सकते हैं और इसलिये उन पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता। जहां तक पन्सारी की दूकानों का सम्बन्ध है, विदेशियों को ऐसी दूकानें चलाने की मनाही है, जहां चावल, लकड़ी का कोयला, ईंधन की लकड़ी, चीनी और नमक आदि परचून में लोगों को बेचा जाता हो। परन्तु विदेशों से मंगाये गये खाद्यान्न बेचने की दुकानें, और मांस बेचने की दुकानें चलाने का निषेध नहीं है। पन्सारी का सामान बेचने वाले भारतीय व्यापारी दूसरी श्रेणी में आते हैं। व्यापारियों के अतिरिक्त वहां एक चेट्टियार समुदाय है, जो साहूकारी करता है। विदेशियों के लिये यह वृत्ति निषिद्ध नहीं है। बाकी भारतीय रेस्तोरां चलाते हैं, दूध बेचते हैं और चौकीदारी आदि करते हैं और उन पर इस अध्यादेश का किसी भी तरह कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

रबड़ की वस्तुएं

†१३४. **श्री पुन्नूस** : क्या **वाणिज्य और उपभोग-वस्तु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क). भारत में इस समय विभिन्न प्रयोजनों के लिये रबड़ की किन-किन वस्तुओं की आवश्यकता है और दूसरी पंचवर्षीय योजना के बाद किन-किन ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी;

(ख) क्या भारत में रबड़ के किसी कारखाने से रबड़ विदेशों को भेजा जाता है; और

(ग) यदि हां, तो कितना और उन कम्पनियों के नाम क्या हैं ?

†**उपभोग-वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) एक विवरण साथ दिया गया है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५८**]

(ख) और (ग). माननीय सदस्य का ध्यान "वीकली बुलेटिन आफ इम्पोर्ट एण्ड एक्स्पोर्ट ट्रेड कन्ट्रोल" नाम प्रकाशन की ओर दिलाया जाता है।

फिरोजपुर और गुरदासपुर में डाकघर

†१३५. **सरदार इकबाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ में पंजाब के फिरोजपुर और गुरदासपुर ज़िलों में किन-किन स्थानों पर डाकघर खोले गये हैं; और

(ख) इस वर्ष में कहां-कहां डाकघर खोलने का विचार है ?

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) और (ख). एक विवरण जिसमें यह जानकारी दी गयी है, सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५९**]

खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली

†१३६. **सरदार इकबाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली को अपने काम के पहले वर्ष में कितना लाभ या कितनी हानि हुई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उत्पादन उप-मंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के काम का पहला वर्ष १३ अप्रैल, १९५६ को समाप्त हुआ है और उस का अन्तिम लेखा तैयार किया जा रहा है। इस समय यह ठीक-ठीक बताना संभव नहीं है कि १९५५-५६ में कितनी हानि या कितना लाभ हुआ।

डाक व तार घर, गौहाटी

†१३७. **श्री देवेन्द्र नाथ सर्मा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गौहाटी के डाकघर में स्थान कम है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) सम्भवतः प्रश्न गौहाटी मुख्य डाकघर के सम्बन्ध में है; यदि हां, तो इसका उत्तर स्वीकारात्मक है।

(ख) डाक घर के भवन में जितने अधिक स्थान की आवश्यकता है, उसकी व्यवस्था करने के लिये डाकघर भवन को बढ़ाने की मंजूरी १५ सितम्बर, १९५५ को दी गयी थी परन्तु केन्द्रीय लोक-निर्माण कार्य विभाग की संगठन-व्यवस्था में परिवर्तन होने के कारण वह इस काम को कुछ समय तक प्रारम्भ नहीं कर सका। आशा है कि लगभग एक महीने में यह काम प्रारम्भ हो जायेगा।

चकुलिया हवाई अड्डा

†१३८. **श्री सुबोध हासदा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने चकुलिया हवाई अड्डे पर असैनिक उड्डयन विभाग के कमचारियों के लिए पानी, विशेषकर पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की है; और

(ख) क्या यह सच है कि उन्हें एक मील से अधिक दूरी से पानी लाना पड़ता है ?

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** (क) पानी की व्यवस्था पहले से ही है। परन्तु सरकार का विचार है कि एक और कुआं खोदा जाय जिससे पानी निकालने के पम्प और ऊपर की टैंकी का प्रबन्ध भी किया जाए। तब पानी नलों द्वारा पहुंचाया जायेगा।

(ख) जी, नहीं।

चकुलिया हवाई अड्डा

†१३९. **श्री सुबोध हासदा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चकुलिया हवाई अड्डे का चिकित्सा पदाधिकारी चकुलिया में नहीं रहता; और

(ख) यदि हां, तो वह चकुलिया के हवाई अड्डे के कर्मचारियों को देखने के लिये कितनी बार आता है ?

(ख) **संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चकुलिया हवाई अड्डे पर काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है, इस हवाई अड्डे पर चिकित्सा पदाधिकारी के नियुक्त किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। ज़िला बोर्ड अस्पताल में जो हवाई अड्डे से एक मील भी दूर नहीं है, चिकित्सा का प्रबन्ध है। आपात काल के लिये हवाई अड्डे पर प्रथम उपचार का बक्स रखा गया है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[सोमवार, १९ नवम्बर, १९५६]

		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		१४३–६७
तारांकित प्रश्न संख्या	**विषय**	
१३७	उर्वरक का कारखाना, बम्बई	१४३–४५
१३८	अणु-शक्ति चालित इंजिन ...	१४५
१४०	मलाबार स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, कल्लाई	१४५–४६
१४३	केन्द्रीय रेशम बोर्ड	१४६–४७
१४४	ऊनी कपड़ा	१४७–४८
१४५	केन्द्रीय न्यूनतम वेतन मंत्रणा बोर्ड	१४८
१४६	पाकिस्तान के विदेश मंत्री का वक्तव्य	१४९–५०
१४७	केन्द्रीय रेशम-कृषि-पालन गवेषणा केन्द्र	१५०–५१
१४९	बुक पैकटों पर डाक व्यय ...	१५१
१५०	अन्तर्राष्ट्रीय चाय करार	१५२
१५१	अणु के शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धी सम्मेलन	१५३
१५३	अपहृत व्यक्तियों की वापिसी	१५३–५४
१५४	शिक्षित बेकार	१५४–५५
१५५	गिरिडीह की कोयले की खानें	१५५–५६
१५६	डाक तथा तार कर्मचारी	१५६
१५८	दक्षिणी वियत-नाम के साथ व्यापार	१५६–५८
१५९	लिगनाइट परियोजना, नीवेली	१५८–६०
१६२	छोटे उद्योगों के लिये विस्तार केन्द्र	१६०–६१
१६३	दिल्ली में निष्क्रान्तों के मकान ...	१६१–६२
१६४	टेलीफोनों से आय	१६२–६३
१६७	त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों को कृषि ऋण	१६३
१६८	संयुक्त डाक घर तथा सार्वजनिक टेलीफोन	१६३–६४
१६९	नेताजी के रिकार्ड अथवा चलचित्र	१६४–६५
१७०	ग्रामीण गीत ...	१६५–६६
१७१	ऑल इंडिया रेडियो के पारेषक	१६६
१७३	कर्मचारी राज्य बीमा योजना	१६६–६७
प्रश्नों के लिखित उत्तर		१६७–८७
तारांकित प्रश्न संख्या		
१३९	दूर-भाष तथा दूर-संचार विभाग (हैदराबाद)	१६७
१४१	स्वांग रेलवे कोयला खदान	१६८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ट
१४२	गिरिडीह की कोयला खानें	१६८
१४८	ग्राम उद्योग ...	१६८
१५२	लोडना कोयला खदान दुर्घटना	१६८–६९
१५७	जावर खदानें	१६९
१६०	ट्यूटीकोरिन कलवसल नमक फैक्टरी	१६९
१६१	मंडलपुर कोयला खदान	१६९–७०
१६५	इंग्लैंड के साथ विमान संचालन करार	१७०
१६६	फुटकर काम करने वाले मुद्रणालय	१७०
१७२	खादी और ग्रामोद्योग आयोग	१७०
१७४	मास्को में भारतीय फिल्म उत्सव	१७१
१७५	स्विमिंग पूल रिएक्टर ...	१७१
१७६	सरकारी प्रलेखों की चोरी	१७१–७२
१७७	अन्तर्राष्ट्रीय आणविक एजेंसी	१७२
१७८	तार और टेलीफोन आस्तियों का मूल्यांकन	१७२–७३
१७९	उपभोक्ता मूल्य देशनांक ...	१७३
१८०	कच्चे रेशम का आयात	१७३
१८१	यूनेस्को को डाक तथा तार सम्बन्धी विशेष सुविधायें	१७४
१८२	पंजाब में गन्दी बस्तियों की सफाई का कार्य	१७४
१८३	सिंगरेनी कोयला खदान	१७४
१८४	चाय का प्रचार	१७५
१८५	अम्बर चर्खा शिक्षक ...	१७५
१८६	निर्माण कार्यों के लिये टैण्डर	१७५–७६
१८७	कोयला और नमक की कीमतें	१७६
१८८	रेडियम धर्मिता का प्रभाव	१७६
१८९	खान अधिनियम, १९५२ के अन्तर्गत प्रारूप विनियम	१७६–७७
१९०	रेशम	१७७
१९१	द्वितीय पंचवर्षीय योजना	१७७

अतारांकित प्रश्न संख्या		
१११	पारपत्र ...	१७७
११२	प्रादेशिक काम दिलाऊ दफ्तार, अम्बाला	१७७–७८
११३	अम्बर चर्खा प्रक्षिशण केन्द्र	१७८
११४	तिलक स्मृति टिकट ...	१७८–७९
११५	पाकिस्तान के साथ प्रत्यर्पण सन्धि	१७९
११६	कार्मिक शिशु-गृह ...	१७९
११७	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी	१७९

प्रश्नो के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
११८	केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग में कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि	१७९–८०
११९	केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के माली ...	१८०
१२०	केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग में लिफ्ट पर काम करने वाले कर्मचारी	१८०
१२१	असैनिक उड्डयन विभाग में अधिक समय तक काम करने का भत्ता	१८०–८१
१२२	त्रावनकोर-कोचीन में केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग का निर्माण संस्थापन ...	१८१
१२३	गिरिडीह की कोयले की खानें	१८१
१२४	कच्चे रेशम सम्बन्धी सम्मेलन	१८२
१२५	सिंदरी उर्वरक कारखाना ...	१८२
१२६	बर्फ तोड़ने वाला अणु-संचालित जहाज़ ...	१८२
१२७	डाक तथा तार विभाग के क्वार्टर (हैदराबाद)	१८२–८३
१२८	डाकघरों के निरीक्षक (हैदराबाद)	१८३
१२९	चर्मकारों को बैंक ऋण ...	१८३
१३०	औद्योगिक सहकारी समितियां	१८३
१३१	मलाया में भारतीय	१८४
१३२	पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्ति	१८५
१३३	दक्षिण वियत-नाम में भारतीय	१८५–८६
१३४	रबड़ की वस्तुएं	१८६
१३५	फिरोज़पुर और गुरदासपुर में डाकघर ...	१८६
१३६	खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली	१८६–८७
१३७	डाक व तार घर, गौहाटी	१८७
१३८	चकुलिया हवाई अड्डा	१८७
१३९	चकुलिया हवाई अड्डा	१८७

M4LSD—190—31-1-58—GIPF.

खण्ड ९ — अंक ४
१९ नवम्बर, १९५६ (सोमवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २ — प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

1st Lok Sabha (XIV Session)

सत्यमेव जयते

(खण्ड ९ में अंक १ से अंक १५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

छः आने या ३७ नये पैसे (देश में) दो शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

[भाग २, वाद-विवाद, खण्ड ६—अंक १ से १५—१४ नवम्बर से ४ दिसम्बर, १६५६]

अंक १—बुधवार, १४ नवम्बर, १६५६ — **पृष्ठ**

श्री भवानी सिंह का देहावसान — १

स्थगन प्रस्ताव—

हंगरी क बारे में पंच शक्ति संकल्प के प्रति सरकार का दृष्टिकोण — १–२

उत्तर प्रदेश के समाजवादी दल को निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता न दिये जाने का आरोप ... ... — २

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की सांकेतिक हड़ताल — ३

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ... ... — ४–७

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति — ७

सदस्यों का त्यागपत्र ... — ७

विद्युत् सम्भरण (संशोधन) विधेयक—
के बारे में अधिसूचना

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना — ८

व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव — ८–२८
खण्ड १ से १६ ... ... — २६–२८
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव — २८

मनीपुर (पहाड़ी क्षेत्रों में ग्राम-प्राधिकारी) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव — २८–४४
खण्ड १ से ५८ और अनुसूची ... — ३६–४४
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव — ४४

दैनिक संक्षेपिका — ४५–४८

अंक २—गुरुवार, १५ नवम्बर, १६५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र — ४६

कार्य मंत्रणा समिति—
बयालीसवां प्रतिवेदन ... ... — ४६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति ... — ४६

दो सदस्यों का नामनिर्देशन ... — ४६

भाग "ग" राज्य (विधि) संशोधन विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव — ५०–५५
खण्ड २ से ४ और खण्ड १ ... — ५३–५५
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव — ५५

पृष्ठ

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ५५–८०
खण्ड २ और १ ... ... ८०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ८०
उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ८१–९६
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
बासठवां प्रतिवेदन ९६
दैनिक संक्षेपिका ९७

अंक ३—शुक्रवार, १६ नवम्बर, १९५६

ठाकुर छेदीलाल और श्री श्रीनारायण महाता का निधन ९९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ... ९९–१०१
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में वक्तव्य ... १०१–०५
जम्मू तथा काश्मीर के संविधान के प्रारूप के बारे में प्रश्न १०५
कार्य मंत्रणा समिति—
बयालीसवां प्रतिवेदन १०६
प्रवर समितियों द्वारा निम्नलिखित के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के समय में वृद्धि—
(१) स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन विधेयक १०६
(२) बाल विधेयक १०६
(३) स्त्री तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक १०६
अपहृत व्यक्ति (पुनर्प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) जारी रखना विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया ... १०७
राज्य पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित किया गया १०७
उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक १०७–१७
खण्ड २ से ७ और १ १०७–१०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ११०
रेलवे यात्रियों पर सीमा-कर विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ११८–२१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
बासठवां प्रतिवेदन १२१
नाभिकीय तथा ताप-नाभिकीय परीक्षणों के बारे में संकल्प १२१–३४
सभा का कार्य १११, ११७–१८, १३४–३५
दैनिक संक्षेपिका १४४–४६

अंक ४—सोमवार, १९ नवम्बर, १९५६

	पृष्ठ
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ...	१४७–४८
प्रतिलिप्याधिकार विधेयक—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन तथा संयुक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत—	
साक्ष्य सभा-पटल पर रख दिये गये ...	१४९
साधु तथा सन्यासी (पंजीयन तथा अनुज्ञापन) विधेयक सम्बन्धी याचिका ...	१४९
सभा का कार्य ... — — ... ... —	१४९
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति सम्बन्धी प्रस्ताव	१५०–८५
दैनिक संक्षेपिका	१८६–८७

अंक ५—मंगलवार, २० नवम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र	१८९–९०
बाट तथा माप मान विधेयक—	
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन	१९०
मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक—	
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन	१९१
संयुक्त समिति के समक्ष दी गयी साक्षी	१९१
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव ...	... १९१–२२९
दैनिक संक्षेपिका	२३१–३२

अंक ६—बुधवार, २१ नवम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र	... २३३, २५५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
तिरेसठवां प्रतिवेदन	२३३
स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य-दमन विधेयक—	
प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन	२३३
रेलवे समय-सारिणियों तथा गाइडों सम्बन्धी याचिका	२३४
केन्द्रीय बिक्री कर विधेयक—पुरःस्थापित किया गया ...	२३४
लोक प्रतिनिधित्व (चतुर्थ संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित किया गया	२३४
विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) संशोधन विधेयक—	
पुरःस्थापित किया गया ...	२३४
निष्क्रांत सम्पत्ति व्यवस्था (संशोधन) विधेयक—	
पुरःस्थापित किया गया ...	२३५
रेलवे यात्रियों पर सीमा-कर विधेयक—	
विचार के लिये प्रस्ताव ...	२३६–५१
खण्ड २ से ९, अनुसूची तथा खण्ड १	२४८–५०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	२५०

पृष्ठ

राज्य पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ... २५१–५८
खण्ड २ तथा १ ... ... २५५–५७
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव २५७

हैदराबाद राज्य बैंक विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ... २५८–८३
खण्ड २ से ४६, अनुसूची तथा खण्ड १ ... २७२–८२
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव २८२

अपहृत व्यक्ति (पुनर्प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) जारी रखना विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ... २८३–८५

दैनिक संक्षेपिका २८६–८७

अंक ७—गुरुवार, २२ नवम्बर, १९५६

अपहृत व्यक्ति (पुनर्प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) जारी रखना विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ... २८९–३२२
खण्ड २ और १ ... ३२२
पारित करने का प्रस्ताव ३२२

तरुण व्यक्ति (हानिकर प्रकाशन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ३२३–३६
खण्ड २ से ७ और १ ... ३३५–३६
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ३३६

प्रादेशिक सेना (संशोधन) विधेयक— ,
विचार के लिये प्रस्ताव ३३७–३८

दैनिक संक्षेपिका ३३९

अंक ८—शुक्रवार, २३ नवम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३४१
राज्य-सभा से सन्देश ३४१–४२
पुस्तक प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) संशोधन विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया ३४२

कार्य मंत्रणा समिति—
तैंतालीसवां प्रतिवेदन ३४२
सभा का कार्य ३४२
विदेशियों सम्बन्धी विधि (संशोधन) विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया ... ३४३
सड़क परिवहन निगम (संशोधन) विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया ३४३

पृष्ठ

कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया ३४३
भारतीय सांख्यिकी संस्था विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया ... ३४३–४४
प्रादेशिक सेना (संशोधन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ३४४–५६
खण्ड २ से ५ और खण्ड १ ... ३५३–५५
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ३५६
फरीदाबाद विकास निगम विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ३५६–६४
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति–
तिरेसठवां प्रतिवेदन ३६४
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद १०७ का संशोधन)—
पुरःस्थापित किया गया ३६५
भारतीय विवाह-विच्छेद (संशोधन) विधेयक (धारा ३ आदि का संशोधन)—
पुरःस्थापित किया गया ... ३६५
दण्ड विधि संशोधन विधेयक—
पुरःस्थापित किया गया
संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक—
(धारा ६ का संशोधन)—पुरःस्थापित किया गया ३६६
दण्ड विधि संशोधन विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ... ३६६–८९
मद्रास-तूतीकोरिन ट्रेन दुर्घटना के बारे में वक्तव्य ३८९–९०
दैनिक संक्षेपिका ३९१–९२

अंक ९—सोमवार, २६ नवम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—
मद्रास-तूतीकोरिन ट्रेन दुर्घटना ... ३९३–९९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३९९–४००
राज्य-सभा से सन्देश ... ४००
कार्य मंत्रणा समिति—
तैंतालीसवां प्रतिवेदन ४००
फरीदाबाद विकास निगम विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ४०१–१५
खण्ड २ से ३५, अनुसूची तथा खण्ड १ ... ४१४–१५
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... ४१५
निष्क्रांत सम्पत्ति व्यवस्था (संशोधन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ४१५–४४
दैनिक संक्षेपिका ४४५–४६

पृष्ठ

अंक १०—मंगलवार, २७ नवम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४४७–४८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

मनीपुर से एक सदस्य का राज्य-सभा के लिये निर्वाचन ४४८–४९

निष्क्रांत सम्पत्ति व्यवस्था (संशोधन) विधेयक ४४९–६१

खण्ड २ से १६ और १ ... ... ४४९–६१

पारित करने का प्रस्ताव ... ४६१

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) संशोधन विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ४६१–७९

खण्ड २ से ८ और १ ... ... ४७५–७९

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ४७९

मद्रास-तूतीकोरिन रेल दुर्घटना पर चर्चा ४७९–९६

दैनिक संक्षेपिका ... ४९७–९८

अंक ११—बुधवार, २८ नवम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

त्रिवेन्द्रम् में केरल उच्च न्यायालय की बैंच की स्थापना के बारे में आन्दोलन ४९९–५०१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

चौसठवां प्रतिवेदन ... ५०१

मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ५०१–३७

दैनिक संक्षेपिका ५३८

अंक १२—गुरुवार, २९ नवम्बर, १९५६

भारतीय डाक तथा तार अधिनियम और नियमों के बारे में याचिका ५३९

मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ५३९–५७

खण्ड २ से १०२ और खण्ड १ ... ५४६–५७

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ५५७

स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन विधेयक—

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ५५८–८३

दैनिक संक्षेपिका ५८४

अंक १३—शुक्रवार, ३० नवम्बर, १९५६

राज्य-सभा से सन्देश ५८५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ५८६

पृष्ठ

लोक-लेखा समिति—
इक्कीसवां प्रतिवेदन ५८६

स्त्री तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक—
प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन ५८६

बाल विधेयक—
प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन ५८६

विद्युत् (संभरण) संशोधन विधेयक—
प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन ५८६
प्रवर समिति के सामने दिया गया साक्ष्य ५८६–८७

भारतीय तार (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित ५८७

सभा का कार्य ५८७–८८

स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य-दमन विधेयक—
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... ५८८–६१२
खण्ड २ से २५ और १ संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ... ६०२–११

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
चौसठवां प्रतिवेदन ६१२–१३

कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प ६१३–२८

राजनैतिक पीड़ितों के बालकों के लिये छात्रवृत्तियों के बारे में संकल्प ६२८–२९

आर्थिक स्थिति और कराधान सम्बन्धी प्रस्थापनायें ६२९–३६

वित्त (संख्या २) विधेयक—पुरःस्थापित ६३६–३७

वित्त (संख्या ३) विधेयक—पुरःस्थापित ६३७

दैनिक संक्षेपिका ६३८–३९

अंक १४—सोमवार, ३ दिसम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—
रामलीला मैदान में पटाखे का विस्फोट ६४१–४२

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ६४२–४३

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ... ६४३
राज्य-सभा से सन्देश ६४३

हिन्दू दत्तकग्रहण तथा निर्वाह व्यय विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया ६४३

हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया ६४३

पृष्ठ

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—
अठारहवां प्रतिवेदन ६४३–४४

सभा का कार्यक्रम ६४४

समुद्र सीमा-शुल्क (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित किया गया ६४४

राष्ट्रपति की केरल सम्बन्धी उद्घोषणा सम्बन्धी संकल्प ६४४–८०

दैनिक संक्षेपिका ... ६८१–८२

अंक १५—मंगलवार, ४ दिसम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ६८३

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—
अठाहरवां प्रतिवेदन ६८३–८८

समिति के लिये चुनाव—
भारतीय टैक्नोलाजीकल संस्था, खड़गपुर ६८८

केन्द्रीय विक्रय कर विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ६८९–७१७

कार्य मंत्रणा समिति—
चवालीसवां प्रतिवेदन ७१७

केरल के खनिज संसाधन सम्बन्धी आध घंटे की चर्चा ७१७–२२

दैनिक संक्षेपिका ७२३

M44LSD—190—26-3-58—GIPF.

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २ – प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

सोमवार, १९ नवम्बर, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(**देखिये** भाग १)

१२ मध्यान्ह

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

सरकार द्वारा आश्वासनों आदि पर की गई कार्यवाही का विवरण

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : मैं मंत्रियों द्वारा विभिन्न सत्रों में दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दिखाने वाले विवरण को सभा-पटल पर रखता हूं, उसमें प्रत्येक के सामने उनके सत्र का उल्लेख किया गया है :

(१) अनुपूरक विवरण संख्या ३ [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६०**]	लोक-सभा का तेहरवां सत्र, १९५६
(२) अनुपूरक विवरण संख्या ९ [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६१**]	लोक-सभा क बाहरहवां सत्र, १९५६
(३) अनुपूरक विवरण संख्या ११ [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६२**]	लोक-सभा का ग्यारहरवां सत्र, १९५५
(४) अनुपूरक विवरण संख्या २३ [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६३**]	लोक-सभा का आठवां सत्र, १९५४
(५) अनुपूरक विवरण संख्या २५ [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६४**]	लोक-सभा का सातवां सत्र, १९५४
(६) अनुपूरक विवरण संख्या३४ [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६५**]	लोक-सभा का छठवां सत्र, १९५४

†मूल अंग्रेजी में ।

बिहार तथा पश्चिम बंगाल (प्रदेशों का हस्तांतरण) निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन नियम

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : विधि-कार्य मंत्री की ओर से, मैं, श्री पाटस्कर की ओर से, बिहार तथा पश्चिम बंगाल (प्रदेशों का हस्तांतरण) अधिनियम, १९५६ की धारा ५२ की उपधारा (२) के अन्तर्गत, बिहार तथा पश्चिम बंगाल (प्रदेशों का हस्तांतरण) निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन नियमों, १९५६ की, जो दिनांक १५ नवम्बर, १९५६ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २७१३ में प्रकाशित हुए थे, एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं,

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस० ४६५/५६]

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क अधिसूचना

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह)** : मैं केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत, इन केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क अधिसूचनाओं में से प्रत्येक की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(१) अधिसूचना संख्या १५–सी० ई० आर०/५६, दिनांक २० अक्तूबर, १९५६,

(२) अधिसूचना संख्या १६–सी० ई० आर०/५६, दिनांक २७ अक्तूबर, १९५६,

(३) अधिसूचना संख्या १७–सी० ई० आर०/५६, दिनांक ३ नवम्बर, १९५६ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस०—४६६/५६]

कोयला खनन सम्बन्धी औद्योगिक समिति की कार्यवाही का सारांश

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : मैं कोयला खनन सम्बन्धी औद्योगिक समिति के अगस्त, १९५६ में नई दिल्ली में हुए पांचवें अधिवेशन की कार्यवाही के सारांश की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । दखिये संख्या एस०—४६७/५६]

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियमों में संशोधन

†**पनर्वास उपमंत्री (श्री ज० कृ० भोंसल)** : मैं विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, १९५४ की धारा ४० की उपधारा (३) के अन्तर्गत, इन अधिसूचनाओं में से प्रत्येक की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं, जिनम विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम, १९५५ में कुछ संशोधन किये गय हैं :—

(१) अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २१८८, दिनांक २९ सितम्बर, १९५६,

(२) अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २५०३, दिनांक ३ नवम्बर, १९५६,

(३) अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २६१५, दिनांक १० नवम्बर, १९५६,

(४) अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २६१६, दिनांक, १० नवम्बर, १९५६,

[पुस्तकालय में रखी गई । दखिये संख्या एस०—४६८/५६]

---

†मूल अंग्रेजी में ।

प्रतिलिप्यधिकार विधेयक

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

†**श्री सा० चं० सामन्त** (तामलुक) : मैं, शिक्षा उपमंत्री, डा० म० मो० दास की ओर से, प्रतिलिप्यधिकार सम्बन्धी विधि को संशोधित तथा एकीकृत करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

प्रतिलिप्यधिकार विधेयक के सम्बन्ध में साक्ष्य

†**श्री सा० चं० सामन्त** : मैं, शिक्षा उपमंत्री डा० म० मो० दास की ओर से, प्रतिलिप्यधिकार विधेयक, १६५५ सम्बन्धी संयुक्त समिति के सामने दी गई गवाही की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

साधु तथा सन्यासी (पंजीयन तथा अनुज्ञापन) विधेयक सम्बन्धी याचिका

†**सचिव** : लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम १७६ के अन्तर्गत, मुझे सूचना देनी है कि सभा-पटल पर रखे गये विवरण के अनुसार, सभा में २७ जुलाई, १६५६ को श्री राधा-रमण, संसद-सदस्य, द्वारा पुरःस्थापित साधु तथा सन्यासी (पंजीयन तथा अनुज्ञापन) विधेयक, १६५६ के सम्बन्ध में एक याचिका प्राप्त हुई है ।

विवरण

सभा में २७ जुलाई, १६५६ को श्री राधा रमण, संसद्-सदस्य, द्वारा पुरःस्थापित साधु तथ सन्यासी (पंजीयन तथा अनुज्ञापन) विधेयक, १६५६ के सम्बन्ध में याचिका ।

याचिका	हस्ताक्षरकर्त्ताओं की संख्या	ज़िला या नगर	राज्य
७४	१	अहमदाबाद	बम्बई

सभा का कार्य

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : आप की अनुमति से, मैं नवम्बर २१, २२ और २३ के विधान कार्य के क्रम में एक छोटे से परिवर्तन की घोषणा करता हूं ।

सूची में दिये गये विधान कार्य सम्बन्धी इन सात विषयों को इस पुनरीक्षित क्रम में लिया जायेगा :–

(१) राज्य पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक;
(२) रेलवे यात्रियों पर सीमा-कर विधेयक, १६५६;
(३) हैदराबाद का राज्य बैंक विधेयक, १६५६;
(४) अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) जारी रखना विधयक;
(५) युवक (हानिकर प्रकाशन) विधेयक;
(६) प्रादेशिक सेना (संशोधन) विधेयक; और
(७) फरीदाबाद विकास निगम विधेयक ।

पहले घोषित किये गये क्रम के इस पुनरीक्षण पर मुझे खेद है और मुझे आशा है कि इसके कारण कोई असुविधा नहीं होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव

†**प्रधान मंत्री तथा वदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : अध्यक्ष महोदय, तीन दिन पहले, १६ नवम्बर को मैंने इस सभा में अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया था, जिसमें मिस्र और हंगरी का विशेष तौर पर उल्लेख था। इस वाद-विवाद को आरम्भ करने में, मेरा विचार उस अवस्था पर कुछ और अधिक कहने का नहीं था। मैं माननीय सदस्यों द्वारा अपने दृष्टिकोण व्यक्त किये जाने के बाद ही, वाद-विवाद के अन्त में, अपनी ओर से टिप्पणियां करना चाहता था। लेकिन, मैं अब यह महसूस कर रहा हूं कि इन विषयों के सम्बन्ध में हुई कुछ बाद की घटनाओं को सभा के सामने रख देना वांछनीय होगा।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वर्त्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और उसके सम्बन्ध में भारत सरकार की नीति पर विचार किया जाये।"

मुझे इस सभा को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि यह वाद-विवाद कितना महत्वपूर्ण है। यह महत्वपूर्ण इसलिये है कि आज संसार क सामने जो मसले उपस्थित हैं वे अत्यन्त ही महत्वपूर्ण हैं; उनका सम्बन्ध युद्ध और शान्ति तथा स्वतन्त्रता के दमन से है और वे ऐसे मसले हैं जो हम पर प्रत्यक्ष रूप से और साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से भी प्रभाव डालते हैं। इस सभा में हम जो कुछ भी कहते हैं उसे केवल हमारे यहां के सदस्य ही नहीं सुनते हैं, बल्कि इस देश में और विदेशों में भी उसे सुनने वालों का क्षेत्र कहीं अधिक व्यापक है। इसीलिये, मुझे लगता है कि हम पर एक काफ़ी बड़ा उत्तरदायित्व है, और मैं इसके लिये ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहता हूं, जो मुझे आशा है, कि किसी भी प्रकार से आगे आने वाला किन्हीं भी ऐसी शान्तिपूर्ण घटनाओं के आड़े न आयेगी, जिनके फलस्वरूप शान्तिपूर्ण रीति से निबटारे हो सकते हों। तीन दिन पहले, मैंने कहा था कि स्थिति बहुत ही गम्भीर थी, और हालांकि उसमें प्रगति के कुछ तत्व दिखाई देते थे तथापि वह बहुत ही गम्भीर थी और हम उसके बारे में चिन्तित थे। वह स्थिति अब तक वैसी ही है, हालांकि कुछ ऐसे तत्व भी हैं जिन्हें सहायक माना जा सकता है। लेकिन, बुनियादी तौर पर स्थिति बहुत ही गम्भीर है। मुझे आशा है कि आज हमारे सामने और संसार के सामने जो मामले हैं उन पर विचार करते समय माननीय सदस्य भी एक शान्तिपूर्ण वस्तुरूपता का दृष्टिकोण ही अपनायेंगे; और यदि मैं इस शब्द को उसके अर्थ का पूरा भरन रखते हुए प्रयोग करूं तो मैं कहूंगा, कि वे इस पर कुछ सावधानी से विचार करेंगे जिससे कि उनके और हमारे शब्दों के कारण स्थिति में और भी अधिक तनाव पैदा न हो जाये, और जिस उद्देश्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं उसकी राह में कुछ कठिनाइयां पैदा न हो जायें।

हम नित्य ही समाचारपत्र पढ़ते हैं, और उनमें नित्य ही सभी प्रकार के समाचार और आरोप भरे रहत हैं। स्वाभाविक ही है कि हम पर उनकी प्रतिक्रिया होती है। लेकिन इस पर भी, हमारे लिये यह कोई सुगम कार्य नहीं है कि हम यह पता लगा सकें कि कौन-सी बात सत्य है और किसमें कितना नमक मिर्च लगाया गया है। हम आंग्ल-फ्रांसीसी सेना की टुकड़ियों के इजराईल मे कहीं किसी स्थान पर उतरने का भी समाचार सुनें। मेरा विश्वास है कि इसका खण्डन किया जा चुका है। हमने सोवियत विमानों के सीरिया में जाने के समाचार भी देखे। इसका भी खण्डन किया जा चुका है और कहा जाता है कि इस संकट से बहुत पहले ही सीरिया सरकार द्वारा खरीदे गये कुछ विमानों को छोड़कर, वहां और कोई भी विमान नहीं भेजे गये हैं। हम इसी प्रकार कई अन्य समाचार और भी सुनते रहे हैं। जिनका या तो प्रत्यक्ष रूप से खण्डन कर दिया गया है, या उनकी अभिपुष्टि नहीं की गई है। ऐसे मामलों में हमारे या संयुक्त राष्ट्र संगठन जैसे उत्तरदायित्वपूर्ण निकाय के लिये अपरिपुष्ट समाचारों के आधार पर कोई अग्रेतर

---

†मूल अंग्रजी में।

कार्यवाही करना बहुत ही कठिन है और इसके फलस्वरूप यही नहीं है कि कुछ उलझनें पैदा हो सकती हैं, बल्कि यदि वे घटनायें, जिन के आधार पर वे समाचार दिये गये थे, सच न हों, तो उन के कारण एक सही नेतृत्व देने में भी कठिनाई पैदा हो जाती हैं।

हाल ही में, हमने हंगरी से कुछ व्यक्तियों के, विशेषकर युवकों के, निर्वासित किये जाने के समाचार देखे थे। कहा गया था कि सोवियत अधिकारियों ने यह निर्वासन किये थे। अब हंगरी की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संगठन में इससे इन्कार कर दिया है। सोवियत सरकार ने भी इससे इन्कार किया है। मेरा ख्याल है कि आज भी संयुक्त राष्ट्र की महासभा में इस विषय से सम्बन्धित एक ऐसा संकल्प प्रस्तुत किया गया है, जो समाचारपत्रों के उन समाचारों पर आधारित है जिनका कि उनसे सम्बन्धित, और उनकी सबसे अधिक जानकारी रखने वाली दोनों सरकारों ने स्पष्टतः खण्डन किया है। अब इस विषय में और अधिक सूचना या अधिक जांच-पड़ताल के बिना किसी के लिये किसी निष्कर्ष पर पहुंचना असाधारण रूप से कठिन हो जाता है। वास्तव में मैं समझता हूं कि महासभा में हंगरी की सरकार की ओर से यह कहा गया था कि वह न केवल इसका निश्चित रूप से प्रतिवाद करती है, बल्कि उसने स्वयं ही श्रमिकों, युवकों आदि के कुछ प्रतिनिधियों को यह अनुमति दे दी है कि वे स्वयं हंगरी से बाहर जाने वाले रास्तों पर जाकर देखें कि वहां कुछ हो तो नहीं रहा है, या किसी को देश से बाहर तो नहीं भेजा जा रहा है। इस स्थिति में, यह कल्पना की जा सकती है——यह केवल कल्पना ही है——कि इन युवकों या श्रमिकों को स्वयं अपनी आंखों से वहां की हालत देखने के लिये भेजा जा रहा था, और हो सकता है कि उनको वहां जाते देखकर यह अनुमान लगाया गया हो कि उनको निर्वासित किया जा रहा था। मुझे ठीक-ठीक स्थिति मालूम नहीं है, मैं तो केवल यह बता रहा हूं कि सही-सही हालत जानने में कितनी कठिनाई होती है।

अब, मिस्र को लीजिये। सभा को मालूम ही है कि गत कुछ माहों में हुई घटनाओं से हमारा कितना घनिष्ट सम्बन्ध रहा है। मिस्र के साथ भी हमारे सम्बन्ध बड़े घनिष्ट हैं, और हम वहां होने वाली घटनाओं से लगातार सम्पर्क बनाये रख रहे हैं। स्वेज़ नहर के राष्ट्रीयकरण के समय से ही हम बराबर उसके साथ घनिष्ट सम्पर्क बनाये रहे हैं, और इसलिये वहां जो कुछ भी हुआ है वह हमारे लिये कोई ऐसी बिल्कुल ही नई बात नहीं रही है जिनका कि हमें पहले से पूर्व ज्ञान न रहा हो। अर्थात्, हम एक ऐसी स्थिति में थे, हम एक अधिक अच्छी स्थिति में थे, जिससे कि वहां की स्थिति को ठीक-ठीक रूप में समझ सकते। उस समय वहां की स्थिति में कोई पेचीदगी नहीं थी, कोई भी अस्पष्टता नहीं थी। लेकिन बाद में, मिस्र में कुछ ऐसी घटनायें हुई हैं जो कि कुछ उलझन में डालने वाली हैं, उदाहरण के लिये, पोर्ट सईद आदि के मामलों को देखिये। लेकिन फिर भी मोटे-मोटे तथ्य तो हमारे लिये स्पष्ट थे और हमने इसीलिये उसके सम्बन्ध में एक स्पष्ट और निश्चित राय प्रकट करने का साहस भी किया था।

हंगरी के सम्बन्ध में एक कठिनाई यह थी कि मोटे-मोटे तथ्य भी हमारे सामने स्पष्ट नहीं थे, और यह भी बात थी कि हंगरी की घटनायें एक ऐसे अवसर पर घटीं जबकि अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति अचानक ही बहुत अधिक बिगड़ गई थी और हमारे लिये वहां की वर्त्तमान स्थिति और घटनाओं की सत्यता के सम्बन्ध में अधिक विश्वस्त और स्पष्ट जानकारी प्राप्त करना आवश्यक था। हमने, इसीलिये, वहां के तथ्यों के सम्बन्ध में अपनी राय व्यक्त करने में थोड़ी सावधानी से काम लिया था। वहां की दशा का मार्ग-दर्शन करने वाले सामान्य सिद्धान्तों के सम्बन्ध में अपनी राय व्यक्त करने में हमने कोई भी हिचक नहीं दिखाई जैसा कि सभा जानती है, कि हमने आरम्भ से ही यह बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया था कि हंगरी, या मिस्र, या किसी भी अन्य स्थान में जनता की स्वतन्त्रता के तत्त्वों का हिंसात्मक रूप से दमन स्वतन्त्रता पर आघात करना था। मैंने स्वयं ही यह कहा था और मैंने निश्चित रूप से यह स्पष्ट कर दिया था कि सबसे पहले तो मिस्र और हंगरी दोनों ही देशों से विदेशी सेनाओं को हटा दिया जाना चाहिये——हालांकि ये

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

दोनों मामले एक दूसरे के अनुरूप नहीं हैं, दोनों के तथ्य भिन्न-भिन्न प्रकार के हैं, लेकिन विदेशी सेनाओं के हटाये जाने का तथ्य तो दोनों ही में था। मैंने दूसरी बात यह कही थी कि हंगरी की जनता को स्वयं ही अपने भविष्य का निश्यचत करने का अवसर दिया जाना चाहिये।

मुझे विश्वास है कि अब भी हंगरी में और विदेशी सेनाओं द्वारा अधिकृत मिस्र के पोर्ट सईद जैसे क्षेत्रों और इज़राईल की सेना द्वारा अधिकृत अन्य क्षेत्रों में बाहर के लोगों को जाने की सुविधायें नहीं दी जा रही हैं। पिछली बार मैंने इस सभा में कहा था, कि जो समाचार हमें प्राप्त हुए थे, उनके अनुसार पोर्ट सईद में स्थिति बहुत खराब थी और वहां बहुत लोग हताहत हुए थे। मैं ने बहुत सावधानी से वक्तव्य दिया था। जो समाचार हमें मिले थे उनमें स्थिति उससे कहीं बुरी बताई गई थी जितनी कि मैंने इस सभा में बताई थी, परन्तु क्योंकि मैं अग्रेतर प्रमाण के बिना उन समाचारों के आधार पर कार्य-वाही नहीं करना चाहता था, इसलिये मैंने उसका उल्लेख करते हुए अपनी भाषा को नम्र बना दिया था। तथ्य यह है कि जहां तक मुझे ज्ञात है, अभी तक किसी को पोर्ट सईद में जाने की अनुमति नहीं है। जो समाचार पहले हमारे पास आये थे उनमें से कुछ शरणार्थियों द्वारा दिये गये थे और हम प्रायः उत्तेजित शरणार्थियों के वक्तव्यों को बहुत महत्व नहीं देते हैं—इसलिये नहीं कि वे जानबूझ कर गलत होते हैं, वरन् इसलिये कि उनमें इतनी भावुकता और उद्वेग होता है कि उनसे हालात का ठीक-ठीक पता नहीं लगता है। पोर्ट सईद की घटनाओं के सम्बन्ध में जो समाचार हमें मिले थे वे कुछ ऐसे विदेशी पत्रकारों द्वारा दिये गये थे जो कि अपनी जान हथेली पर रख कर पोर्ट सईद गये थे और जिनके वक्तव्य यूरोप के विदेशी समाचारपत्रों में प्रकाशित हुए थे ? परन्तु इस पर भी हमें उन्हें स्वीकार करते हुए झिझक हुई क्योंकि वे इतने खराब थे कि हमने उनकी पुष्टि आवश्यक समझी। वस्तुतः, हंगरी की ही तरह मिस्र के मामले में भी हम यह सुझाव देते रहे है, कि प्रत्येक दृष्टिकोण से और अधिकार करने वाली सेनाओं के दृष्टिकोण से भी, यह वांछनीय है कि निष्पक्ष पर्यवेक्षक, जो कि यदि संयुक्त राष्ट्र संघ के हो तो अधिक अच्छा हो, वहां भेजे जायें और वे वहां के हालात को देख कर प्रतिवेदन दे। मेरा यह निश्चित विश्वास है कि दोनों स्थानों की सरकारें और सम्बन्धित प्राधिकारी ऐसा किये जाने की अनुमति देंगे, क्योंकि अन्यथा सभी प्रकार के गलत समाचार फैलते हैं और उन पर विश्वास भी कर लिया जाता है।

हमें अपने विदेशी दूतावासों और विदेशों में स्थित शिष्टमण्डलों से पूरे समाचार प्राप्त होते रहे हैं। प्रायः प्रतिदिन हमें न्यूयार्क, वाशिंगटन, लंदन, मास्को, बेल्ग्रेड, काहिरा, बेरूत, दमिश्क, बर्न और अन्य कुछ स्थानों तथा वियेना और बुडापेस्ट से भी समाचार प्राप्त होते रहते हैं, क्योंकि इस सारी काला-वधि में हमारे नवयुवक पदाधिकारियों में से एक लगातार बुडापेस्ट में रहा। यह सत्य है कि वह हमारे साथ सुगमता से पत्र व्यवहार नहीं कर सका था और उसके तार हमें अब प्रायः छः दिन की देर से प्राप्त होते हैं, क्योंकि सम्भवतः वे पहले सड़क के रास्ते से वियेना भेजे जाते हैं और फिर वहां से प्रेरित किये जाते हैं। धीरे-धीरे हालात का स्वरूप स्पष्ट हो गया है। यह दैनिक जानकारी हमें न केवल अपने शिष्टमण्डलों से मिलती है वरन् अन्य सरकारें भी शिष्टाचार के नाते देती हैं—विशेषतः मैं अमरीका, कनाडा, रूस, यूगोस्लाविया और अन्य कुछ सरकारों से प्राप्त हुए समाचारों के लिये उनका आभारी हूं। इन सब समाचारों से इतनी अधिक जानकारी प्राप्त हुई है कि वह प्रायः परस्पर विरोधी है। मैं तो यह कहूंगा कि इनसे जो चित्र प्रस्तुत होता है वह बहुत ही अस्पष्ट है, परन्तु, मैं समझता हूं कि यह सत्य है कि इन से इन हालात का अच्छा ज्ञान हो सकता है। अब मैं विदेश स्थित अपने प्रतिनिधियों का उल्लेख किये बिना यह कह दूं कि मैं अपने काहिरा स्थित राजदूत द्वारा किये गये कार्य की, जो बहुत अच्छा रहा है, प्रशंसा करता

जहां तक मिस्र की स्थिति का सम्बन्ध है सभा को ज्ञात है कि हमारी सेना की पहली टुकड़ी वहां पहुंच चुकी है। और टुकड़ियां भी जायेंगी। मैं यह पूर्णतः स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमने किन शर्तों

पर अपनी सेनाओं को संयुक्त राष्ट्र संघ की सेनाओं में शामिल किये जाने के लिये भेजा है। सर्वप्रथम, हमने यह स्पष्ट कर दिया था कि हम केवल तभी अपनी सेनायें भेज सकते थे जबकि मिस्र की सरकार सहमत होती, दूसरे उन्हें किसी भी दृष्टि से अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेनाओं के कार्य को जारी रखने वाली सेना नहीं समझा जायेगा क्योंकि वह एक सर्वथा भिन्न कार्य है, तीसरे अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेनाओं को वापस बुला लिया जाना चाहिये, चौथे, संयुक्त राष्ट्र की सेनाओं को इज़राईल और मिस्र के बीच की प्राचीन युद्धविराम सीमा की रक्षा करने का कार्य करना चाहिये और अन्त में यह कि यह कार्य पूर्ण रूप से अस्थायी होना चाहिये। हम इस बात के लिये सहमत नहीं हो सकते कि हमारी सेना या कोई सेना वहां अनिश्चित काल के लिये रहे। इन शर्तों पर, जो कि स्वीकार कर ली गई थीं, यह सेनायें वहां भेजी गई थीं। मैं इसे फिर दोहराता हूं क्योंकि इस संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय सेना के सम्बन्ध में कभी-कभी ऐसे वक्तव्य दिये जाते हैं जो कि दुर्भाग्य से संयुक्त राष्ट्र के निर्णय, अथवा, मुझे विश्वास है, मिस्र की सरकार और संयुक्त राष्ट्र के महा सचिव के बीच हुए करारों से संगत नहीं हैं।

तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प के सम्बन्ध में इस समय मिस्र में जो प्रश्न पैदा होता है वह अंग्रेजी, फ्रांसीसी और इज़राईली सेनाओं के मिस्र के राज्य क्षेत्र से वापस बुलाया जाने से सम्बन्धित है। यह एक भयानक समस्या है क्योंकि यदि कुछ देर करने का कोई प्रयत्न किया गया, और निश्चय ही यदि सेनाओं को वापस बुलाने का प्रयत्न न किया गया, तो संभावना है कि युद्ध पुनः आरम्भ हो जाये, और, मैं समझता हूं, कि यह युद्ध पहले की अपेक्षा अधिक बड़े पैमाने पर होगा।

यह कहा गया है——और मुझे विश्वास है कि विश्वस्त आधार पर कहा गया है——कुछ दिन पूर्व सम्भवतः उन सेनाओं में कुछ और वृद्धि की गई है। किसी को भी पता नहीं लगता है कि कब सेनाओं में परिवर्तन किया जाता है, कुछ वापस बुलाया जाता है और कुछ को भेजा जाता है, इसका कुछ पता नहीं चलता है। परन्तु तो भी यह अत्यधिक महत्वपूर्ण बात है कि अंग्रेजी फ्रांसीसी और इज़राईली सेनायें अपने अधिकृत क्षेत्रों से वापस बुला ली जायें क्योंकि इसके बिना कोई भी काम नहीं किया जा सकता है, और जब तक वे वहां हैं, युद्ध के पुनः आरम्भ हो जाने का भय निरन्तर बना रहेगा।

मैं पोर्ट सईद के सम्बन्ध में पहले ही बता चुका हूं कि इस सम्बन्ध में तुरन्त ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है, और यह कार्य ठीक प्रकार से तभी हो सकता है जबकि पर्यवेक्षकों को वहां जाने और वहां जाकर प्रतिवेदन देने की अनुज्ञा दी जाये। मैं सभा को यह बता दूं कि हम——सम्भवतः कल——तीन डकोटा के आकार के एक बड़ा वायुयान में चिकित्सा सम्बन्धी वस्तुओं और सहायता की वस्तुओं को मिस्र और हंगरी भेज रहे हैं।

जैसा मैंने, बताया, हंगरी की स्थिति और विशेषतः वहां की विस्तृत परिस्थितियों के बारे में हमें कुछ समय तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं थी। मुझे यह भी निश्चय नहीं है कि हमें अब भी पूर्ण जानकारी है या नहीं, परन्तु मैं समझता हूं कि मोटी-मोटी बातें अब काफी स्पष्ट हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि वहां प्रदर्शन आदि के पश्चात् जो राष्ट्रीय अपद्रोह हुआ वह वहां रूसी सेनाओं के साथ हुई मुठभेड़ के पश्चात् हुआ। रूसी सेनायें बुडापेस्ट से वापस बुला ली गई थीं और ३० अक्तूबर को इन देशों के सम्बन्ध में रूसी नीति के बारे में वक्तव्य दिया गया था, जिसमें बताया गया था कि वारसा शक्तियों के साथ परामर्श आदि करने के पश्चात् ही उनकी सेनाओं को वापस बुलाया जायेगा इत्यादि।

मैं समझता हूं कि यह सच है कि सेनायें वापस बुला ली गई थीं। परन्तु, इसके बाद तुरन्त ही, बुडापेस्ट में और घटनायें हुई——और यह मामला ठीक तरह से स्पष्ट नहीं है——मैं समझता हूं कि ये घटनायें बुडापेस्ट में नहीं वरन् हंगरी में हुईं और तीन-चार दिन में ही रूसी सेनायें और अधिक मशीनी ताक़त के साथ वापस आ गई। बुडापेस्ट में बड़े पैमाने पर उपद्रव हुए जोकि अन्त में रूसी सशस्त्र सेनाओं द्वारा

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

दबा दिये गये। कुछ लोग कहते हैं कि जब कि रूसी सेनायें २९ अथवा ३० को बुडापेस्ट से वापस जा रही थीं तो वस्तुतः रूसी सेना ने सीमांत को पार कर लिया था और सेनाओं की यह वापसी वास्तविक वापसी नहीं थी। दूसरे लोग समझते हैं कि उन दो-तीन दिनों में कुछ ऐसी घटनायें हुई जिनसे कि रूसी सरकार को अपनी नीति बदलनी पड़ी, क्योंकि हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि जब भी कोई सरकार और विशेषतः रूसी सरकार अथवा ब्रिटिश सरकार या कोई बड़ी शक्ति ऐसा करती है, तो सम्भवतः इन सभी पृथक-पृथक प्रश्नों पर अन्य अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और बड़े युद्ध की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाता है यह बात सदैव उनके ध्यान में रहती है। तो भी यह तथ्य है कि रूसी सेनायें वापस आईं, और बड़े पैमाने पर उपद्रव हुआ और बहुत से हंगेरियन मारे गये क्योंकि वे बहुत वीरता से लड़े। और यह भी संभव है कि हंगरी की सेना भी हंगरी की जनता के साथ हो और आरम्भ में रूसियों को भी काफी हानि उठानी पड़ी, यद्यपि स्वभावतः कम परिमात्रा में। इस समय इसका बहुत महत्व नहीं है कि हम वहां हुई घटनाओं का ब्यौरा जानें। मुख्य तथ्य यही है कि हंगरी की अधिकांश जनता राजनैतिक, आर्थिक अथवा अन्य प्रकार के परिवर्तन चाहती थी, और वस्तुतः वह उसे प्राप्त करने के लिये प्रदर्शन आदि के पश्चात् विद्रोह कर उठी परन्तु अन्त में उन्हें दबा दिया गया।

मैं समझता हूं कि यह सच है कि हंगरी में कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें फासिस्ट कहा जा सकता है, इस शब्द का कभी-कभी दुरुपयोग भी किया जाता है। मैं समझता हूं, कि यह भी सच है कि बाहर से भी लोग आये क्योंकि सीमांत सेनायें अपना कार्य नही कर रही थीं, और मैं समझता हूं कि यह भी सच है, कि कुछ सीमा तक शस्त्रास्त्र भी बाहर से आये। यह सब कुछ सत्य है। परन्तु यद्यपि यह सत्य है, यह मुख्य तथ्य नहीं है। मुख्य तथ्य यह है कि हंगरी की जनता, अधिकांश जनता विदेशी नियंत्रण और हस्तक्षेप से स्वतन्त्र होना चाहती थी, उसने रूसी सेनाओं के आने पर आपत्ति की, वह चाहती थी कि वे सेनायें वापस चली जायें और वह अपनी सरकार में कुछ परिवर्तन करनी चाहती थी। यह मूल तथ्य है जिससे कोई इन्कार नहीं कर सकता है।

हंगरी की जनता ने जो युद्ध छेड़ा---कुछ दिन हुए यह समाप्त हो गया है, मेरे विचार में अब वे नहीं लड़ रहे---इससे भी अधिक साभिप्राय और महत्वपूर्ण बात हंगरी की घटनाओं में यह थी कि जब लड़ाई समाप्त हुई तो वहां अहिंसात्मक प्रतिरोध का एक असाधारण प्रदर्षन हुआ। बुडापेस्ट के लोगों ने काम पर जाने से इन्कार कर दिया, और ऐसे समय में, जब कि सशस्त्र लड़ाई के समय काम बन्द करने के कारण नगर को बहुत हानि पहुंच रही रही थी, अन्य सामान्य कार्यों में भाग लेने से इन्कार कर दिया। सेनाओं का लड़ाई के द्वारा विरोध करने के अतिरिक्त, जनता का यह अहिंसापूर्ण विरोध, जहां तक मेरा सम्बन्ध है, उस देश की जनता की इच्छाओं को सशस्त्र विद्रोह की अपेक्षा अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है, क्योंकि सशस्त्र विद्रोह तो कुछ दलों द्वारा जहां-तहां कराया जा सकता है।

मुझे नहीं मालूम कि यहां उपस्थित कितने माननीय सदस्यों को हंगरी का पिछला इतिहास ज्ञात है। यह इतिहास एक दुःखद इतिहास है जिसमें स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिये कई बार प्रयास किये गये और उन्हें कई बार दबा दिया गया। आस्ट्रो-हंगेरियन साम्राज्य में ऐसे प्रयत्न किये गये। हमें भली प्रकार याद है, कि लगभग ४० वर्ष पूर्व जब महात्मा गांधी ने असहयोग आन्दोलन का स्वरूप पहली बार इस देश के समक्ष रखा था तो हमें क्या बताया गया था; और हमने वस्तुतः अन्य देशों में असहयोग आन्दोलन के विभिन्न तरीकों और इसी प्रकार की अन्य बातों के विषय में पढ़ा था।

उन देशों में विशेषतः हंगरी में, लगभग १९वीं शताब्दी के मध्य में, अहिंसात्मक असहयोग का एक आन्दोलन, मेरे विचार में ओडायर के नेतृत्व में चला, जिसमें पूर्णतः तो नहीं, परन्तु कुछ सफलता मिली। परन्तु बाद में प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के पांच सप्ताह पूर्व, अक्तूबर क्रांति के तुरन्त बाद, मुझे

ठीक तिथि तो याद नहीं, परन्तु लगभग १८१८ में हंगरी में एक उथल-पुथल हुई थी; आस्ट्रो-हंगरी टूट रहा था; जर्मन सेना वहां थी और वह वहां से निकल भी रही थी, और उस समय वहां उसी प्रकार की उथल-पुथल हुई वैसी ही क्रांति हुई, जैसी कि उन्हीं दिनों रूस में हुई थी। उसका नेता बेलाकून था। वह लेनिन का सहयोगी था और उसने हंगरी के गणतन्त्र को स्थापित किया था। क्रान्ति के पश्चात् यह वह समय था जबकि अन्य देश सोवियत रूस के मामलों में हस्तक्षेप कर रहे थे। रूमानिया की सेना ने उस समय हंगरी में घुस कर नये हंगरी के इस गणतन्त्र को दबा लिया था। जहां तक मुझे याद है बहुत ही कठोर दमन किया गया था। वास्तव में यह गणतन्त्र का दमन ही नहीं था, प्रत्युत रूमानिया की सेना द्वारा व्यापक आधार पर हंगरी में लूटमार की गई थी। इसका परिणाम यह हुआ कि गणतन्त्र समाप्त हो गया और एडमिरल होर्थी के नेतृत्व में एक प्रकार का सामन्तवादी शासन वहां स्थापित हुआ। माननीय सदस्यों को शायद याद हो, कि १९वीं और २०वीं शताब्दी में हंगरी यूरोप का सब से प्रबल सामान्त-वादी देश रहा था, जिसमें बड़े-बड़े भूमिपति थे और दकियानूसी कुलीन तन्त्र का बोलबाला था। विभिन्न दलों में संघर्ष भी हुआ था। खैर, वहां एडमिरल होर्थी का शासन था। सन् १९१८ में जब मैं बुडापैस्ट में था तो मैंने देखा था कि वहां की स्थिति कोई सन्तोषजनक नहीं थी; और इसके पश्चात् महायुद्ध आ गया। मैंने इस सब का इसलिये उल्लेख किया ताकि सदन का ध्यान हंगरी के दुखद इतिहास की ओर आकृष्ट कर सकूं। हंगरी के कई ऐसे नाम हैं जो जनता के स्वतन्त्रता के युद्ध के कारण प्रसिद्ध हैं। कुछ भी हो, इसमें सन्देह नहीं कि हंगरी का वर्त्तमान आन्दोलन एक लोक प्रिय तथा जनता का आन्दोलन था; इसके पीछे काफी जनता थी, इसमें श्रमिक भी थे और युवक भी थे। यह भी हो सकता है, कि कुछ लोग इसके विरुद्ध भी हों; क्योंकि मैं सब के सम्बन्ध में तो कुछ नहीं कह सकता हूं। जैसा कि मैंने कहा, कि इस अहिंसात्मक प्रतिरोध का महत्व इसलिये भी बढ़ जाता है कि यह सब कुछ भारी सशस्त्र सेना द्वारा विरोध किये जाने के बावजूद हुआ।

जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हम कुछ दिन हुए चार प्रधान मंत्रियों द्वारा दिये गये संयुक्त वक्तव्य में पूर्णतः सहमत हैं। इसके अतिरिक्त, यदि मैं कहूं, तो बात यह है कि योग्य प्रेक्षकों को वहां जाना चाहियें। चाहे पोर्ट सईद हो, अथवा मिस्र का कोई दूसरे भाग हों, बुडापेस्ट हो अथवा हंगरी का कोई दूसरा हिस्सा हो, जहां भी विदेशी सेना का कब्जा है, वहां इन प्रेक्षकों को जाना चाहिये, उनके वहां जाने से न केवल वास्तविक स्थिति का पता लग सकेगा, अपितु एक रास्ता-सा बन जायेगा और संसार यह जान सकेगा कि वहां क्या हुआ था और क्या हो रहा है।

अब, इनके पीछे कई प्रकार की अन्य शक्तियां काम कर रही हैं और कुछ और भय भी है। स्वाभा-विकतः हम चाहते हैं कि विदेशी सेनायें मिस्र और हंगरी से वापस बुला ली जायें। वस्तुतः, यह प्रश्न मिस्र के सम्बन्ध में उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि वहां एक सरकार कार्य कर रही है, परन्तु हंगरी के सम्बन्ध में यह प्रश्न उत्पन्न होता है। सदन को पता है कि गत एक-दो वर्ष में पूर्वी यूरोप में कुछ ऐसी उथल-पुथल हुई है, स्वयं सोवियत संघ में भी उथल-पुथल हुई है जिससे कि काफी सीमा तक वहां की शासन प्रणाली में उदारीकरण हुआ है। यह उथल-पुथल पोलैंड में तो और स्थानों से भी अधिक हुई है, इस प्रकार का विक्षोप प्रायः सभी देशों में फैला हुआ है, और जिस बात का न केवल हमें परन्तु दूसरे देशों को भी ध्यान रखना है वह यह था कि जब कोई ऐसी बात की जाये जो कि आन्तरिक परिवर्तन की इस प्रक्रिया के आड़े आते हों, जिसका प्रभाव हो, अपेक्षित परिणाम से उलटा पड़ता हो, तो उसका सम्बन्ध युद्ध और शांति की विशाल समस्या से आ जुड़ता है। इन प्रश्नों के पीछे हम क्या देखते हैं? अन्तिम विश्लेषण में इस का कारण भय है—पश्चिमी शक्तियों का भय है, सोवियत संघ की सैनिक शक्ति का भय है, सोवियत रूस का भय है, और इससे अधिक पुनः सशस्त्र हुये जर्मनी के सम्भावित सैन्य बल का भय है। समस्त पूर्वी यूरोप में चाहे वह पोलैण्ड हो अथवा हंगरी हो, चैकोस्लोवाकिया हो अथवा वे अन्य देश हों जिन्हें लगातार जर्मनी के आक्रमणों का सामना करना पड़ता रहा है, उन सभी को सशस्त्र जर्मनी की ओर से आक्रमण

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

का भय है; सोवियत संघ का भय भी हो सकता है, चाहे इससे पहले भय का निराकरण हो जाता हो। परन्तु तो भी यह भय तो है ही और पश्चिमी देशों के सोवियत संघ के सैन्य बल के प्रति इसी भय के कारण 'नैटों' का जन्म हुआ। और इसके दूसरी सन्धियां और 'सीटो' और बगदाद संधि जैसे सैनिक गठबन्धन हुए। इसके मुकाबले में वारसा संधि हुई, इनमें से प्रत्येक आक्रमण होने की अवस्था में शान्ति पूर्ण प्रतिरक्षा के लिये बनाये गये संगठन हैं, वास्तव में प्रत्येक का उद्देश्य अपने प्रतिपक्षी को भयभीत करना और उसके खतरे के प्रति अधिक जागरूक करना है, और, इसीलिये, शस्त्रीकरण की इस दौड़ को प्रोत्साहन मिला है।

इस पृष्ठ भूमि के कारण, जब मिस्र में, तीन सप्ताह हुए विषम स्थिति पैदा हुई, जब कि आंग्ल-फ्रांसीसी सेना ने काहिरा, इत्यादि पर बम वर्षा की, तो एकाएकी इसके फैलने की सम्भावना बढ़ गई। हंगरी में भी विषम स्थिति उत्पन्न हुई और दोनों के मिल जाने से निश्चय ही इस खतरे में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। माननीय सदस्य देखेंगे—मैं पूर्ण तथ्य सम्मान तथा आदर से कह रहा हूं—कि मेरे इस भाषण का उद्देश्य किसी देश की निन्दा करना नहीं है—इसलिये नहीं कि उनकी गतिविधियां तथा कृत्य ऐसे नहीं हैं जिन की कि निन्दा न की जा सके, परन्तु तथ्य यह है कि इन दो कारणों से, मिस्र और हंगरी की स्थिति के कारण, प्रत्येक पक्ष की ओर से यह प्रयत्न किया गया कि अपने दुर्व्यवहार को छिपाने के लिये अन्य स्थान पर कुछ भी हुआ है उसे ही महत्व दिया जाये।

मिस्र में आंग्ल-फ्रांसीसी कार्यवाही हुई, और संयुक्त राष्ट्र संघ में इसके विरुद्ध विश्व व्यापी आवाज उठी। फिर हंगरी की बात आई। काफी बुरी बात थी। परन्तु तुरन्त ही इससे जो कुछ मिस्र में हो रहा था उसे छिपाने का प्रयत्न किया गया। हंगरी का संघर्ष एक आधारभूत बात थी जिससे कि मिस्र में किये गये अत्याचार को छुपाया जा सके अब दोनों ओर से यही हो रहा है।

मैं एक क्षण के लिये भी यह कहना नहीं चाहता कि हम दूसरे देशों की अपेक्षा अधिक उच्च, पवित्र और महान हैं। परन्तु हम कम से कम ऐसी स्थिति में अवश्य हैं जिससे हम किसी एक पक्ष अथवा प्रतिपक्ष की बात से उत्तेजित नहीं हो सकते हैं, इसीलिये शायद हम अधिक निष्पक्षता से इन घटनाओं पर विचार कर सकते हैं।

हाल ही में हुई घटनाओं का जहां तक सम्बन्ध है, सदन को ज्ञात होगा कि अभी कल ही प्रधान मंत्री बुलगानिन ने एक अपील जारी की थी। उनसे मुझे एक पत्र भी प्राप्त हुआ था जिसमें विश्व की स्थिति और विशेषत: निस्शस्त्रीकरण के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक सम्मेलन बुलाये जाने के सम्बन्ध में सुझाव दिये गये थे। विभिन्न सुझावों का परीक्षण कर लिया गया है, और इसमें कोई सन्देह नहीं है कि निस्शस्त्रीकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और विशेष रूप से वर्तमान परिस्थिति में। परन्तु इस प्रश्न का निर्णय, कि कोई सम्मेलन हो अथवा न हो, और यदि हो भी तो उसमें निस्शस्त्रीकरण के प्रश्न पर विचार किया जाये अथवा नहीं, बड़ी शक्तियों द्वारा किया जायेगा। हमारे पास निस्शस्त्रीकरण के लिये कोई विशाल सेना नहीं है। इस मामले में, वस्तुत: तीन या चार शक्तियां हैं जिनकी कि वास्तव में चलती है। उन्हीं को इसका निर्णय करना है। इस कार्य में हम यदि कुछ सहायता कर सकें तो स्वाभाविक तौर पर हमारी सेवायें इसके लिये प्रस्तुत रहेंगी।

अब मैं सदन के समक्ष कुछ और विचार भी रखना चाहता हूं, अर्थात् घटनाओं की तह में जाना चाहता हूं, जो महान् परिवर्तन हो रहे हैं उनकी तह में जाना चाहता हूं। सब से पहले हम सभी ने निर्बल देशों के विरुद्ध हिंसा तथा सशस्त्र शक्ति के इस नृशंस प्रयोग को देखा। स्पष्टत: यह हिंसा और सैन्य बल की विजय प्रतीत होती है, और इससे सैनिक दृष्टि से कमजोर प्रत्येक देश खतरे में पड़ गया है, उसकी स्वतन्त्रता अरक्षित हो गई है, और विशेषत: एशिया और अफ्रीका के प्रत्येक देश को इस खतरे का अनुभव

करना चाहिये। यह सत्य है। परन्तु इसका एक और पहलू भी है और वह यह कि हिंसा और सैन्य बल का यह प्रदर्शन असफल रहा है अथवा असफल होने जा रहा है। इससे विस्तृत हानि हुई है महान दुःख और महान विद्वेष उत्पन्न हुए हैं, परन्तु अन्तिम विश्लेषण में यह असफल रहा है। अथवा मेरे विचार से यह किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहा है। मिस्र पर हुए आक्रमण को ही लीजिये। मेरे विचार से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इंगलैण्ड और फ्रांस को इस से कोई लाभ नहीं हुआ है और न ही उन्हें कुछ लाभ होने ही को है, अपितु उनकी महान हानि होगी। इस बात के अतिरिक्त कि मिस्र की असीम हानि हुई है, इंगलैण्ड और फ्रांस को भी हानि उठानी पड़ी है, यद्यपि जनहानि इतनी नहीं उठानी पड़ी है, परन्तु तो भी विस्तृत क्षेत्र में लड़ाई होने और पैराशूट से सैनिकों के उतरने के कारण आंग्ल-फ्रांसीसी पक्ष में हुई जनहानि अत्यधिक है। इसके अतिरिक्त भारी आर्थिक हानि भी हुई है जो कि अभी आगे भी होती रहेगी और इससे इन देशों का आर्थिक ढांचा डांवाडोल हो जायेगा। इससे फ्रांस और इंग्लैण्ड जैसे देशों की समस्त व्यापार प्रक्रिया और अन्य गतिविधियों पर प्रभाव पड़ेगा। अनुमान है कि मिस्र पर किये गये इस आक्रमण के परिणाम बहुत गम्भीर और सम्भवतः दीर्घकालीन होने को हैं।

यह कहा गया है कि इन कार्यवाहियों के फलस्वरूप रूस को मध्य पूर्व में आने से रोक दिया गया है। मैं मानता हूं कि मेरी समझ में यह नहीं आया है कि इससे रूसियों को आने से कैसे रोक दिया गया है। इससे सम्भवतः भविष्य में रूसियों के लिये दरवाजा खुल गया है, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे कि बगदाद समझौते के परिणाम स्वरूप जो कि किसी देश विशेष से मध्य पूर्व की रक्षा करने के लिये किया गया था और जैसा कि कहा जाता है कि यह एक प्रतिरक्षात्मक समझौता था, रूस मध्य पूर्व में पहले से भी अधिक रुचि लेने लग गया है। अतः यह युक्ति ठीक नहीं प्रतीत होती कि मिस्र पर आक्रमण करने से रूसी वहां आने से रुक गये। वस्तुतः, मेरे विचार में, इससे तो मध्य पूर्व को किसी अपेक्षाकृत बड़ी लड़ाई का संभावित अखाड़ा बना दिया गया है। इस प्रकार अन्ततोगत्वा, यही प्रतीत होता है कि इससे मिस्र और इंग्लैण्ड तथा फ्रांस की चाहे कितनी भी क्षति क्यों न हुई हो या होती रहे किन्तु तो भी मिस्र की अपेक्षा इंग्लैण्ड और फ्रांस को ही अधिक हानि होगी।

अब दूसरी तरफ-हंगरी और सोवियत रूस को लीजिये। वहां मिस्र के समान तुरन्त कोई सैनिक आक्रमण नहीं हुआ था। सोवियत सेनाओं का यह हस्तक्षेप तो उन देशों में वारसा समझौते के आधार पर निरन्तर चला ही आ रहा था। मुझे वारसा समझौते की वैधानिक बातों से अधिक वास्ता नहीं है। सम्भव है कि कुछ वकील यह कहें कि वारसा समझौते की शर्तों के अनुसार सोवियत सेना वहां रहनी ही चाहिये। परन्तु यह एक तो बड़ी मामूली-सी बात है। सच तो यह है कि, और जैसा की बाद की घटनाओं से स्पष्ट हो गया है, कि वहां सोवियत सेनायें हंगरी की जनता की इच्छा के विरुद्ध थीं। यह बात बिल्कुल साफ है।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : यह तो अच्छा रुख बदला है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : और कोई स्पष्टीकरण पर्याप्त नहीं है।

यह सच है कि सोवियत संघ की शक्तिशाली सेना ने बुडापेस्ट से लेकर हंगरी भर में सैनिक तरीके से विजय प्राप्त कर ली है। लेकिन किस मूल्य पर ? और मैं यह नहीं जानता कि अन्तिम परिणाम क्या होगा। मुझे इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि देर-सवेर से हंगरी की जनता, जिसने स्वतन्त्रता तथा एक पृथक् एकात्म्य को प्राप्त करने के लिये अपनी अभिलाषा को और किसी अन्य देश द्वारा छा न जाने के विचार को बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कर दिया है, अन्ततः विजयी होगी। इस सम्बन्ध में मेरे मन

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

में कोई संदेह नहीं है । निःसन्देह मैं यह नहीं कह सकता कि इस बीच संसार की इस स्थिति के कारण जो कि बहुत ही जटिल हो गई है, कठिनाइयां क्या होंगी ।

परन्तु इसके अतिरिक्त भी हमें यह अवश्य अनुभव करना चाहिये कि इन सभी घटनाओं ने न केवल उन बहुत से देशों में, जिनके सम्बन्ध में यह समझा जाता है कि वे निष्पक्ष राष्ट्र हैं, बल्कि उन देशों और सरकारों में भी जो उस देश में विश्वास रखते हैं, यूरोपीय देशों में, तथा यदि मैं कह सकूं तो स्वयं सोवियत संघ की जनता में ऐसे मामलों में रूस संघ की प्रतिष्ठा को बड़ा धक्का पहुंचाया है ।

किसी भी देश, उसकी सरकार और उसकी नीति का जो सम्मान होता है, वह आर्थिक या अन्य किसी वस्तु से, जिसे आप खो बैठें, कहीं अधिक मूल्यवान होता है । हम आजकल शक्तिशाली प्रवृत्तियों को देख रहे हैं । मेरे विचार में प्रत्येक देश में हम उन्हें देखते हैं चाहे वह रूस संघ हो या इंगलैंड या यूरोप के देश हों या अमेरिका, और निश्चित रूप से एशियाई और अफ़्रीकी देशों में भी, यह समझने की कोशिश करने की कि क्या हुआ है तथा यह मालूम करने का प्रयत्न करने की कि इतनी संभ्रम की परिस्थिति में उन्हें क्या करना चाहिये, यह प्रवृत्ति है । यहां तक कि वे लोग जो किसी एक विशिष्ट नीति से घनिष्ठ रूप से बंधे हुए थे या, यदि मैं इस शब्द का उपयोग करूं, कि जो देशों के एक विशिष्ट 'गुट' से सम्बंधित थे, वे भी यह बात निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि क्या वह नीति ठीक ही थी। मैंने कुछ समय पहिले कहा था कि रूस संघ में पिछले दो या तीन वर्ष से कुछ नई प्रवृत्तियां देखने में आई थीं और रूस संघ के जीवन तथा गतिविधियों पर और बाद में पूर्व यूरोपीय देशों पर उनका प्रभाव हुआ था । परन्तु हमने देखा है कि पूर्व यूरोपीय देशों में जो प्रगति हुई थी, वह बहुत ही धीमी थी और वे जैसा कि सोचते हैं यह चाहते थे कि प्रगति तेजी से हो और उसने रूस संघ के लिये एक कठिनाई उत्पन्न की थी, जिसके परिणामस्वरूप यह संघर्ष हुआ । मैं यह नहीं कह सकता कि क्या इस संघर्ष के फलस्वरूप रूस संघ अधिक उदारीकरण की नीति अपनायेगा या नहीं । यदि यह जटिल अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति न होती तो मैं स्पष्ट रूप से कुछ कह सकता था । परन्तु निकट भविष्य के विचार को एक ओर रखते हुये, जैसा कि मैंने अभी कहा था, मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इन सभी देशों में, शासकों में और जनसाधारण में, रूस संघ या पश्चिमी यूरोपीय देशों या कहीं और भी इन सभी देशों में ऐसी शक्तियां काम कर रही हैं जो कि जनता को कुछ दूसरे ही ढंग से सोचने को प्रेरित कर रही हैं । मुझे विश्वास है कि वे यह कहते हैं कि वे गलत मार्गों पर चलते रहे हैं । इन सभी संधियों और समझौतों के कारण वे कहां पहुंच गये हैं? शान्ति या सुरक्षा की ओर नहीं बल्कि झगड़ों की ओर । सोचिये तो बगदाद संधि की इस समय स्थिति क्या है? सभी जानते हैं कि बगदाद संधि अब बेजान-सी वस्तु हो चुकी है और उसमें बिल्कुल भी कोई जान नहीं रही है। 'सीएटो' संधि—सम्बन्ध क्या कर रहा है, मैं नहीं जानता हूं, परन्तु हमने एक लम्बे समय से उसके सम्बन्ध में कुछ नहीं सुना है। हो सकता है कि वह भी निष्क्रिय होने को हो । वार्सा संधि का प्रभाव और पूर्वी यूरोप के देशों में उसकी प्रतिक्रिया को हम देख रहे ह । हो सकता है उसका बाह्य रूप बना रहे, वह अपनी अर्न्तवस्तु खो चुकी है ।

जहां तक 'नाटो' संधि का सम्बन्ध है हमने संधि में शामिल विभिन्न देशों के बीच मतभेदों को देखा है । यदि वह पहिल एक प्रकार से आध्यात्मिक धर्मयुद्ध के लिये भी थी अब वह भी खत्म हो गई है । एक प्रकार से दोनों एक दूसरे के विरुद्ध आध्यात्मिक धर्मयुद्ध के लिये थीं । दोनों ही धर्मयुद्ध की उस भावना को खो चकी हैं । वे अब केवल कागजी सम्बन्ध ही बन कर रह गई हैं जिनके पीछे वे निश्चित रूप से वे सशस्त्र शक्तियां ह जिनमें दोनों ओर ही अपने सहज गुणों या उस भावना की कमी है जो सम्भवतः पहिले उन्हें कुछ महत्व प्रदान करती थीं ।

इस प्रकार अब हम एक ऐसी स्थिति पर पहुंच गये हैं जब हिंसा ने हस्तक्षेप किया है और बड़े देशों द्वारा सशस्त्र सेनाओं के उपयोग ने प्रत्यक्ष रूप से कुछ सफलता प्राप्त की है परन्तु वास्तव में यह दिखा दिया

है कि वह स्थिति को सुलझाने में असमर्थ रहे हैं । यह कमज़ोरी है जो आज के संसार के सामने प्रकट हुई है ।

परन्तु यह सत्य बना रहता है कि लोगों के मन में हिंसा जागृत हो गई है और यह उबाल निश्चित रूप से कार्य करता रहेगा । मुझे हार्दिक आशा है कि इन सभी के परिणामस्वरूप हम इस संकट से निकल जायेंगे और फिर निस्शस्त्रीकरण और इन सभी सैनिक संधियों की समाप्ति की दिशा में, जो इतनी बेकार और वस्तुतः इतनी खतरनाक सिद्ध हुई हैं, अग्रेतर कार्यवाही करेंगे और नए तरीके से काम करने की बात सोचने का प्रयत्न करेंगे ।

हम जानते हैं कि हमें प्रायः यह बताया गया है कि प्रौद्योगिकी ने अत्यधिक प्रगति की है और प्रौद्योगिकी ने हमें अणुबम तथा उदजन बम दिये हैं जो कि वास्तव में प्रौद्योगिकीय प्रगति का ही परिणाम है । जब हम प्रविधि के उच्चतर स्तरों पर पहुंचते हैं तो ये उच्चतर स्तर के कारण अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के उच्चतर स्तर की मांग अर्थात् आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है, वे वस्तुतः सामाजिक संगठन के उच्चतर स्तर की मांग करत हैं ; वे अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के उच्चतर सहयोग की मांग करते हैं । आप उच्च प्रौद्योगिकी के साथ एक पुराना समाज और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की एक पुरानी पद्धति नहीं रख सकते ।

कठिनाई यह है कि जबकि प्रौद्योगिकी उदजन बम तक जा पहुंची है, हमारे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध अभी तक बहुत ही पिछड़े हुये प्रकार के हैं, और उस स्तर तक नहीं पहुंच सके हैं । जब तक वे वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, ये सभी झगड़े होते रहेंगे । जहां तक इस प्रश्न का हम से सम्बन्ध है, साम्यवाद या अन्य प्रकार के बाद, हमारे विचार वे हैं जिनका महान योग्य तथा ईमानदार व्यक्तियों ने धर्मयुद्ध करने वालों के ढंग पर पालन किया है । इसमें संदेह नहीं कि साम्यवाद ने ३८ या ३९ वर्ष पहिले बड़ी संख्या में नव-युवकों को प्रभावित किया था और वह न्यूनाधिक लोगों को प्रभावित करता रहा है । सभी प्रकार के संगठन बनाये गये---कोमिनफार्म, कोमिनटर्न आदि आदि---यद्यपि साम्यवाद धीरे-धीरे लोगों की नजरों में इस अर्थ में कुछ अधिक सम्मानपूर्वक बन गया कि साम्यवादी सरकारें अन्य सरकारों की भांति कृत्यक थीं तथापि उसमें एक प्रकार का धर्म का पहले भी था जिसे प्रायः हस्तक्षेप द्वारा फैलाया गया । यह सशस्त्र हस्तक्षेप था या अन्य किसी प्रकार का हस्तक्षेप था, यह परिस्थितियों पर निर्भर था । धीरे-धीरे वह कम होता गया है परन्तु अभी वह विद्यमान अवश्य है ।

आप मुझ से सहमत हों या न हों, आन्तरिक आर्थिक व्यवस्था के अन्तर्राष्ट्रीय परिणामों का आधार-इससे तात्पर्य आन्तरिक आर्थिक व्यवस्था से नहीं---ऐसा है कि इससे अन्य देशों में हस्तक्षेप के सम्बन्ध में शंकायें उत्पन्न हो जाती हैं । और हमने वास्तव में उदाहरण देखे हैं, परन्तु मैं सब से हाल का उदाहरण लेता हूं । यह एक सत्य है कि हंगरी की सरकार स्वतंत्र सरकार नहीं थी, एक थोपी हुई सरकार थी जिससे हंगरी की जनता सन्तुष्ट नहीं थी, पिछले युद्ध के बाद से अब तक, दस वर्ष, और दस वर्ष से भी अधिक समय बीत जाने पर भी यदि हंगरी में दस वर्षों में लोग इस विशिष्ट विचारधारा को नहीं अपना सके तो इससे कुछ असफलता का पता चलता है जो कि मेरे विचार में सैनिक विद्रोह की असफलता से कहीं बढ़ चढ़ कर असफलता है। इससे यह संकेत मिलता है कि हम सभी को, चाहे हम साम्यवादी हैं या ग़ैर साम्यवादी, नये सिरे से सोचना है। हम हिंसा की बात करते हैं, मिस्र का प्रश्न सामने आया है और हंगरी का प्रश्न सामने आया है । इस समय इसने अन्य प्रश्नों को परे हटा दिया है । चाहे यह अफ़्रीका हो या एशिया के भाग हों, इसके अतिरिक्त सारतः कोई अन्तर नहीं है कि वह बुराई का आदी हो जाता है । जबकि हम पुरानी बुराई के आदी होते हैं एक नई बुराई अचानक एक प्रतिक्रिया रूप से उत्पन्न करती है । इसलिये हमें इस मामले पर इस दृष्टिकोण से विचार करना होगा कि क्या वह बुराई पुरानी है या नहीं, यदि बराई हिंसा पर आधारित है, यदि वह सशस्त्र सेनाओं द्वारा एक देश और जनता के दमन पर

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

आधारित है तो यह बुरी बात है और इसे दूर करना होगा। क्योंकि जब तक ऐसा न किया जायेगा तब तक वह झगड़ा तथा संघर्ष उत्पन्न करेगी और सम्भवतः युद्ध की ओर ले जायेगी।

इसलिये वर्तमान संकट के बाह्य स्वरूप के अतिरिक्त जनता के मन में अन्तःकरण का एक संकट जो एक आध्यात्मिक संकट है विद्यमान है। मुझे आशा है कि इस आध्यात्मिक संकट का अर्थात् इस अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के एक उत्तम मार्ग को ढूंढने के इस प्रयत्न का, केवल मात्र शक्तिशाली प्रतिक्रियायें गला नहीं घोंट सकेंगी। यह सिद्ध हो चुका है कि वह मार्ग यदि जनता के दमन के लिये, चाहें वह कहीं भी हो और कैसी भी क्यों न रहती हो, सशस्त्र सेनाओं के उपयोग पर आधारित है तो वह आधारित नहीं किया जा सकता है या किसी भी प्रकार से उसका कोई स्थायित्व नहीं हो सकता है। यदि उस सत्य को स्वीकार किया जाता है तो हमें पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहियें। चाहे वह साम्यवादी समाज है या ग़ैर साम्यवादी समाज। यदि एक बार हिंसा, हिंसा के ढंग तथा दमन के ढंगों को निकाल दिया जाय तब ये सभी विचारधारायें स्वतन्त्रता से कार्य कर सकेंगी। उन पर परीक्षण किये जा सकते हैं और हम दूसरों के अनुभव से सीखेंगे, ऐसी चीजें अपनायेंगे जो हमें पसन्द होंगी और जो हमें पसन्द नहीं होंगी उन्हें नहीं अपनायेंगे और इस प्रकार प्रगति करेंगे।

भाषण समाप्त करने से पूर्व मेरे सामने एक बात और भी है। मेरे सामने वह बाद प्रतिवाद है जो हंगरी सम्बन्धी संकल्प पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के मतदान के सम्बन्ध में हुआ। हमने लोक-सभा सचिवालय के द्वारा माननीय सदस्यों को हंगरी से सम्बन्धित वे दो भाषण परिचालित किये थे जो हमारे प्रतिनिधि श्री कृष्ण मेनन ने ८ तथा ९ नवम्बर को दिये थे। हमें वे परसों प्राप्त हुये थे।

†**आचार्य कृपालानी** (भागलपुर व पूर्निया) : हमें वे अभी यहां प्राप्त हुये हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे इसका खेद है। हमें वे परसों प्राप्त हुये थे और कल मैंने कहा था कि इसकी प्रतिलिपियां तैयार करनी होंगी। मैं कोई उद्धरण दूं उससे इन भाषणों को पढ़ने से मेरे द्वारा किसी उद्धरण के देने की अपेक्षा कहीं अच्छी जानकारी प्राप्त होगी।

उन दिनों जो मतदान हुआ था मुझे आज उसका अग्रेतर ब्योरा प्राप्त हुआ है। मैं खुशी से उसे परिचालित कर देता परन्तु मुझे आज सवेरे ही वह तार मिला है। उस संकल्प की नौ कंडिकायें हैं। मेरे विचार में आप में से कुछ सदस्यों के पास वह है। पहली पांच कंडिकाये में संकल्प की 'प्रस्तावना' रूप से है और अगली चार कंडिकायें प्रवर्ती कहलाती हैं। संकल्प की प्रत्येक कंडिका पर पृथक् रूप से मतदान हुआ था। मैं कह नहीं सकता कि क्या माननीय सदस्य वास्तविक आंकड़े चाहते हैं या यह जानना चाहते हैं कि भारत ने क्या किया था ?

प्रस्तावना १ : भारत ने मतदान में भाग नहीं लिया। कुल सोलह देशों ने मत नहीं दिया था और भारत ने भी नहीं दिया था। प्रस्तावना २ : भारत ने मतदान में भाग नहीं लिया।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : मैं प्रधान मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह हमें प्रत्येक मामले में यह बतायें कि अरब-एशियाई गुट की प्रतिक्रिया क्या थी और उसने किस प्रकार मत दिया था।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं पढ़ देता हूं। थोड़ी सी फेरबदल के साथ न्यूनाधिक देश एक से हैं।

प्रस्तावना के प्रथम भाग के सम्बन्ध में जिन देशों ने मत नहीं दिया वे थे अफगानिस्तान, आस्ट्रिया, बर्मा, कम्बोडिया, लंका, मिस्र, फिनलैंड, भारत, इंडोनेशिया, जार्डन, लैबनान, लिबिया, सऊदी अरब,

†मूल अंग्रेजी में।

सीरिया, येमन, यूगोस्लाविया । थोड़ीसी फेर बदल के साथ प्रस्तावना में मत न देने वालों का यही क्रम था ।

प्रस्तावना ३: प्रस्तावना २ के अनुसार ; भारत ने मत नहीं दिया ।

प्रस्तावना ४: भारत ने उस दल के साथ मत नहीं दिया ।

प्रस्तावना ५: भारत ने बड़े दल के साथ मत नहीं दिया ।

अब हम प्रवर्ती भाग की ओर आते हैं जिसकी चार कंडिकायें हैं

प्रवर्ती कंडिका १: भारत ने मतदान में भाग नहीं लिया ।

†**आचार्य कृपालानी** : क्या प्रधान मंत्री प्रवर्ती भाग को पढ़ने की कृपा करेंगे कि :

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : समस्त संकल्प ।

†**अध्यक्ष महोदय** : संकल्प की प्रतिलिपियां परिचालित की जा चुकी हैं । माननीय सदस्य कृपया संकल्प को देखें ।

†**डा० लंका सुन्दरम्** (विशाखापटनम्) : केवल श्री कृष्ण मेनन के दो भाषण परिचालित किये गये थे ।

†**श्री कामत** : प्रधान मंत्री ने मेरे विचार में शुक्रवार को कहा था कि भारत सरकार ने हंगरी से रूसी सेनाओं को हटाये जाने का समर्थन किया है । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या संकल्प के प्रवर्ती भाग की कंडिका १ के सम्बन्ध में मतदान में भाग न लेना सरकार की नीति के सुसंगत है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हंगरी के सम्बन्ध में चार संकल्प थे, भारत ने एक के पक्ष में मत दिया था और कुछ में मत नहीं दिया था । हमें इस संदर्भ में इसे पढ़ना चाहिये । जब भारत ने मतदान में भाग नहीं लिया था तो वह सेनाओं को हटाये जाने के पक्ष में था परन्तु इस समय मैं संदर्भ के सम्बन्ध में और इसे कसे प्रस्तुत किया गया था, तथ्य बता रहा हूं ।

प्रवर्ती भाग यह है —

> "बिना किसी अग्रेतर विलम्ब के सोवियट समाजवादी गणराज्यों के संघ की सरकार से हंगरी से अपनी सेनाओं को हटाने की मांग करता है ।"

यह एक बात है ।

दूसरा यह है —

> "विचार करती है कि शान्ति तथा व्यवस्था स्थापित होते ही, हंगरी की जनता को इस योग्य बनाने के लिये कि वे यह निश्चित कर सकें कि अपने देश में किस प्रकार की सरकार स्थापित करना चाहते हैं, संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में हंगरी में स्वतन्त्र चुनाव होने चाहियें;

'संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में' शब्दों पर पृथक् मतदान हुआ था । भारत ने इसके विरुद्ध मत दिया । पहिले बताये गये देशों के अलावा श्रीलंका और यूगोस्लाविया ने भी इसके विरुद्ध मतदान दिया । सारे संकल्प में भारत ने केवल 'संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में' शब्दों के विरुद्ध मतदान दिया । यह वास्तविक स्थिति है । कंडिका २ के शेष भाग के बारे में भारत ने मतदान में भाग नहीं लिया । तथा कण्डिका ३ और ४ के सम्बन्ध में भी उसने मतदान में भाग नहीं लिया ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**आचार्य कृपालानी** : इस समस्त संकल्प के विरुद्ध अन्य किन देशों ने मतदान दिया ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : रूस के साथी कई देशों के अलावा, यूगोस्लाविया, भारत, पोलैंड, रूमानिया, रूस इत्यादि लगभग ग्यारह देशों ने इसके विरुद्ध मतदान दिया ।

मैं अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री अशोक मेहता** (भंडारा) : हम इस जानकारी के लिये प्रधान मंत्री के कृतज्ञ हैं । हम यह बात भी जानना चाहेंगे कि भारत ने कुछ खंडों पर मतदान में भाग क्यों नहीं लिया ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं यह बता चुका हूं । इसलिये कि हम उस सारे प्रसंग को पसन्द नहीं करते थे ।

†**श्री अशोक मेहता** : हमें कंडिका वार सूचना चाहिये ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : उस दिन दो-तीन संकल्प रखे गये थे । हमें उनका उद्देश्य और सारा प्रसंग पसन्द नहीं आया । मोटे रूप से, निदेश यह है, उदाहरणार्थ यदि कोई संकल्प हो तो आपको उसका प्रसंग देखना चाहिये । उस समय आपको अपने निर्णय का विश्वास करना होगा । हमें बातों पर विचार करने के लिये पर्याप्त समय नहीं मिलता है ।

†**श्री कामत** : क्या भारत के संशोधनों की प्रतिलिपियां·····

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य आलोचना बाद में कर सकते हैं । उन्हें भाषण देने के लिये पर्याप्त समय मिलेगा ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं सुझाव दूंगा कि माननीय सदस्य श्री कृष्ण मेनन का भाषण पढ़ें । ये भाषण उन प्रश्नों से सम्बन्धित है अतः उनकी प्रतिलिपियां परिचालित कर दी गई हैं ।

†**श्री कामत** : मेरा सुझाव है कि भारत के संकल्प की प्रतिलिपियां अभी या कल तक परिचालित कर दी जायें । भारत ने कुछ संशोधन पेश किये थे । वे संसद् पुस्तकालय अथवा मंत्रालय, कहीं भी उपलब्ध नहीं हैं ।

†**श्री जवाहरलाल नहरू** : मैं विविध रूप से नहीं जानता कि हमने इस संकल्प पर कोई संशोधन प्रस्तुत किया था या नहीं । अन्य संकल्पों पर कुछ संशोधन रखे गये थे । मैं नहीं जानता कि वे इस संकल्प विशेष से सम्बन्धित हैं । मेरे पास इस विषय पर आगे और कोई जानकारी नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ । विभिन्न दलों के नेताओं को भाषण करने के लिये ३० मिनट, अन्य सदस्यों को पन्द्रह मिनट मिलेंगे ।

†**श्री अ० क० गोपालन** (कन्नूर) : मैं अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री के वक्तव्य तथा संयुक्त राष्ट्र में भारत के दृष्टिकोण का स्वागत करता हूं ।

मिस्र पर आंग्ल-फ्रांसीसी हमले के फलस्वरूप हमारे देश में उस देश के पक्ष में अभूतपूर्व मतैक्य हो गया है जिससे यह ज्ञात होता है कि कई मतभेदों के होते हुये भी शान्ति, स्वतन्त्रता तथा मानवता की प्रतिष्ठा के लिये हम सदैव एक हैं । यद्यपि इस मसले में हम सभी लोग एक हैं, तथापि हंगरी के सम्बन्ध में परस्पर मतभेद है । मैं प्रारम्भ में ही यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम लोगों को हंगरी निवासियों के साथ हार्दिक सहानुभूति है । यद्यपि मिस्र में युद्ध-विराम होने से सभी ने कुछ आराम का सांस लिया है तथापि हम प्रधान मंत्री की इस बात से सहमत हैं कि यदि आगे ऐसी प्रवृत्ति न रोकी गई तो पुनः युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है वस्तुतः अब भी स्थिति विस्फोटक है, तथापि पूर्व के सभी स्वतन्त्र देश शान्ति

---

†मूल अंग्रेजी में ।

के समर्थक हैं। इसका कारण यह है, कि एशिया व अफ़्रीका के उक्त देश हाल में ही स्वतन्त्र हुए हैं और व धीरे-धीरे उन्नति कर रहे हैं जिसके लिये वे शान्ति चाहते हैं किन्तु उनकी यह स्थिति साम्राज्यवादी देशों को सह्य नहीं है क्योंकि इसमें उपनिवेशवाद के विनाश के बीज निहित हैं। मध्यपूर्व की घटनाओं को हमें इसी पृष्ठभूमि में देखना चाहिये, उस प्रक्रिया को पलटने का प्रयत्न था जो पिछले युद्ध के बाद स्वतन्त्र हुये एशियाई तथा अफ़्रीकी देशों के रूप में संसार में हुई थी।

मैं अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में पारित किये गये इस संकल्प से बिल्कुल सहमत हूं कि आंग्ल-फ़्रांसीसी आक्रमण पुराने उपनिवेशवादी पद्धति का पुरावर्तन है, जिसका उद्देश्य मिस्र से नासर की सरकार को हटा कर उसके स्थान में किसी कठपुतली सरकार की स्थापना करना था, जिससे स्वेज नहर पर पुनः आधिपत्य हो सके। यदि वे इसमें सफल हो गये होते तो निःसन्देह अन्य अरब देशों पर भी आक्रमण होता और 'सीटो' तथा 'बगदाद करार' की तरह की अन्य सैनिक सन्धियां होतीं। अन्ततः भारत की स्वतन्त्र वैदेशिक नीति के ऊपर भी कुठाराघात होता। इस प्रकार यह आंग्ल फ़्रांसीसी आक्रमण का शिकार केवल मिस्र ही नहीं अपितु सारा एशिया व अफ़्रीका था। अतः सभी शान्तिप्रिय देशों ने इस आक्रमण का विरोध किया तथापि अमेरिका ने इस सम्बन्ध में दैध और धोखे की नीति बरती। आपको स्मरण होगा कि ३१ अक्टूबर को श्री केबट लाज ने कहा था कि अमेरिका अपने इस वचन का पालन करेगा कि वह आक्रमण के शिकार मिस्र की सहायता करेगा। लेकिन मिस्र में बमबारी होने के बावजूद भी श्री केवट लाज ने संयुक्त राष्ट्र महा-संभा में कोई ठोस कार्यवाही करने के स्थान में केवल कोरी सहानुभूति प्रदर्शित की तथा ब्रिटेन और फ़्रांस के ऊपर दोषारोपण किया।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में अमेरिकन साम्राज्यवाद की पोल अच्छी तरह खुल गई, क्योंकि जब परिषद् ने अमेरिका तथा रूस से इस आक्रमण के खिलाफ संयुक्त कार्यवाही करने को कहा तो अमेरिका ने इस प्रस्ताव का विरोध किया।

५ नवम्बर को जब रूस ने ब्रिटेन और फ़्रांस को गम्भीर चुनौती दी, तो अमेरिका ने उसका विरोध किया और यह कहा कि वह रूस को मध्य पूर्व में हस्तक्षेप नहीं करने देगा। इतना ही नहीं अमेरिका ने मिस्र में रूसी स्वयंसेवक भेजे जाने का भी विरोध किया।

वस्तुतः ब्रिटेन अमेरिका और फ़्रांस में मतभेद हो गया, अन्यथा अमेरिका भी एशियाई तथा अफ़्रीकी देशों की जाग्रति के विरुद्ध है। अमेरिका का विचार था कि मिस्र की पराजय के पश्चात् अमेरिका शान्ति प्रचारक के रूप में स्थान पायेगा और अफ़्रीकी तथा एशियाई देशों में अपना प्रभुत्व कायम रख सकेगा।

किन्तु रूस की चुनौती के फलस्वरूप २४ घंटे के भीतर ही ब्रिटेन व फ़्रांस को युद्ध बन्द कर देना पड़ा।

इस सम्बन्ध में, मैं राष्ट्रमंडल का जिक्र करना चाहता हूं। भारत राष्ट्र मंडल का सबसे बड़ा देश है। उससे इस आक्रमण के सम्बन्ध में कोई सलाह नहीं ली गयी। स्वेज नहर के बन्द होने से हमारी आर्थिक व्यवस्था को बहुत धक्का लगा है। उक्त बातों को ध्यान में रखते हुये भारत को संयुक्त राष्ट्र से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेना चाहिये। वस्तुतः युद्ध का खतरा अभी भी मौजूद है इसीलिये जनमत का ध्यान मिस्र से हंगरी की ओर हटाया जा रहा है।

हंगरी की घटनाओं को इस पृष्ठभूमि में देखना चाहिये कि हंगरी में प्रजातंत्रीकरण का कार्य उतनी शान्ति से सम्पन्न न हो सका जिस प्रकार पोलैंड में हुआ था। पहिली सरकार ने कुछ अवैधानिक कार्य एवं अतिचार किये। जनता की मांग तथा आवश्यकताओं की ओर आंखें बन्द कर दी गई थीं। इससे जनता में रोष पैदा हो गया और उक्त बुराइयों के विरुद्ध जनता में आग भड़क उठी। यहां यह बताना

[श्री अ० क० गोपालन]

असंगत नहीं होगा कि द्वितीय महायुद्ध के पूर्व हंगरी में तानाशाही सरकार का बोलबाला था और वहां की जनता की स्थिति यूरोप में सबसे बुरी थी। हंगरी की प्रजातंत्रात्मक सरकार ने इस बुराई को नष्ट किया किन्तु जब वहां की जनता ने इस सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया कि वे पुरानी सरकार के अधीन न रह कर समाजवादी सरकार के अधीन रहना चाहते हैं, किन्तु इस विद्रोह में कई ऐसे तत्व भी शामिल हो गये जो समाजवादी सरकार का समर्थन नहीं करते थे। यह बात भी अभी स्पष्ट नहीं हुई है कि यह शान्तिपूर्ण विद्रोह किस प्रकार हिंसात्मक विद्रोह में बदल गया। हंगरी की सरकार को इस बात की जांच करनी चाहिये और यदि जनता पर अत्याचार किया गया है तो उत्तरदायी व्यक्तियों को दंड दिया जाना चाहिये। वस्तुतः २४ अक्तूबर के पश्चात् वहां जो कुछ भी हुआ, उसमें विदेशी शक्तियों का बहुत बड़ा हाथ था। यह बात इसी से स्पष्ट हो जाती है कि अमरीकी सरकार समाजवादी देशों में विध्वंसात्मक कार्यवाहियों के लिये १००० लाख डालर प्रति वर्ष व्यय करती है। यही कारण है कि हंगरी की सरकार के बार-बार विनती करने, तथा विद्रोहियों को वांछनीय रियायतें देने पर भी, विद्रोह बढ़ता गया। रूसी सेनाओं के वहां भेजे जाने पर कई प्रकार की आलोचनायें हुईं। वस्तुतः यह दुख की बात है कि वहां की प्रजातंत्रात्मक सरकार विद्रोह को नहीं दबा सकी और रूसी सेना को वहां आना पड़ा। ३० अक्तूबर को रूस ने यह घोषणा की कि वह बुडापेस्ट से अपनी सेनायें हटा रहा है। तब प्रतिक्रियावादी शक्तियां अपने वास्तविक रूप में प्रगट हुईं। कार्डिनल मिनजेंटी ने बूडापेस्ट रेडियो से घोषणा की कि वहां पूंजीवादी व्यवस्था कायम हो जायेगी। नई सरकार ने रूस से सहायता मांगी। देश में गृह युद्ध की स्थिति हो गई। ऐसे समय जब कि हंगरी में समाजवादी नेताओं का कत्लेआम हो रहा था, उस समय मिस्र में आक्रमण हुआ किन्तु तब भी रूस अपनी पूरी शक्ति से मिस्र की सहायता को तैयार हो गया। वस्तुतः हंगरी की घटनाओं का मिस्र की घटनाओं से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। पूंजीवादी देश रूस पर अंगुली उठाने के लिये हंगरी में ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते थे ऐसे समय रूस को बहुत महत्वपूर्ण निर्णय करना था। यदि रूस हंगरी की सहायता न करता तो हंगरी में उसकी समस्त साख चली जाती। साथ ही विश्व शान्ति को भी खतरा पैदा हो जाता।

वस्तुतः रूसी सेना वहां स्थानीय सरकार के निमंत्रण पर गई। तथा वारसा सन्धि के अनुसार कार्य उसने किया जबकि मिस्र में उपनिवेशवाद के प्रचार के लिये तथा राष्ट्रीय स्वतन्त्रता को कुचलने के लिये ब्रिटिश सेना ने आक्रमण किया।

प्रधान मंत्री ने आशंका प्रगट की है कि इन घटनाओं से हंगरी की प्रगति को धक्का लगेगा। मेरा अपना विचार ऐसा नहीं, परन्तु वस्तुतः यदि ऐसा है तो हमें दुख है।

संयुक्त राष्ट्र संघ में हंगरी सम्बन्धी संकल्प पर भारत ने जिस प्रकार से मत दिया है, उसकी बहुत से लोग कटु आलोचना कर रहे हैं। परन्तु मेरे विचारानुसार भारत ने जो कुछ किया है बिल्कुल ठीक किया है। इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि इस संकल्प के प्रस्तावक देशों में पाकिस्तान भी है जिसने काश्मीर के एक भाग पर अवैध कब्जा किया हुआ है और वह इस संकल्प को पारित करा कर इससे काश्मीर के बारे में अपना स्वार्थ पूरा करना चाहता है। अतः हमारी कटु आलोचना करने वाले व्यक्ति इस तथ्य को अपने ध्यान में रखते हुए इस सारे मामले पर अच्छी प्रकार से विचार करें।

जहां तक हंगरी में रूसी सेनाओं के ठहरने का सम्बन्ध है, हंगरी सरकार ने घोषणा कर दी है कि वह इस सम्बन्ध में शीघ्र ही समझौता वार्ता प्रारम्भ कर देगी, और हमें आशा है कि इस बारे में शीघ्र ही कोई शान्तिपूर्ण निर्णय हो जायेगा।

जहां तक वारसा समझौते का सम्बन्ध है, हम तो सभी सैनिक समझौतों के विरुद्ध हैं। हम चाहते हैं कि सारे संसार में लड़ाई झगड़े उत्पन्न करने वाले सभी सैनिक समझौते समाप्त हो जायें और विदेशी सेनायें वापिस चली जायें।

इस सम्बन्ध में स्विटजरलैंड ने भारत समेत चार बड़े राष्ट्रों द्वारा उत्पन्न हुई समस्याओं के समाधान के सम्बन्ध में जो सुझाव दिया था, उसका मैं स्वागत करता हूं, परन्तु खेद है कि अमरीका ने उसे स्वीकार नहीं किया ।

मुझे आशा है कि रूस ने सेनाओं के घटाने के बारे में जो सुझाव दिया है, उसका सभी सदस्य स्वागत करेंगे । आज संसार की राजनीतिक स्थिति अत्यन्त गंभीर है, अतः हमारा कर्तव्य है कि हम यह प्रयत्न करें कि यह स्थिति और अधिक न बिगड़े । ताकि विश्व में शान्ति स्थापित हो सके ।

†**श्री अशोक मेहता** : प्रधान मंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि आज अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति अनिश्चित सी है । और मेरा यह कथन है कि हमारी सरकार की नीति भी अनिश्चित तथा अस्थिर सी है । अब हर्ष की बात है कि प्रधान मंत्री ने गलती को समझ लिया है और अब वे ठीक दिशा में इंगित कर रहे हैं ।

जहां तक पश्चिमी एशिया के बारे में भारत सरकार की नीति का सम्बन्ध है, मैं उसका पूर्णरूपेण समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि सरकार उस स्थिति को हर प्रकार से सुलझाने का प्रयत्न करे, और उपनिवेशवाद की दूषित कुवृत्तियों को समाप्त कर देने का प्रयत्न करे । परन्तु मैं इसके साथ ही साथ यह भी कह देना चाहता हूं कि यदि इस प्रकार का दृढ़ रुख पहले अपनाया जाता तो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न ही न होती ।

उदाहरणार्थ साईप्रस को ही ले लीजिये, वहां पर जनता द्वारा किये जा रहे आन्दोलन के पक्ष में भारत सरकार ने एक भी शब्द नहीं कहा है । क्या भारत सरकार ने ब्रिटिश सरकार को चेतावनी के रूप में कभी एक शब्द भी कहा है ? क्या साईप्रस को ब्रिटिश सैनिक अड्डा बनने से बचाने के लिये भारत सरकार ने कोई कार्यवाही की है ? मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री साईप्रस की स्थिति पर प्रकाश डालें ।

इसी प्रकार से अल्जीरिया की जनता भी फ़्रांसीसी साम्राज्यवाद से मुक्त होने के लिये संग्राम कर रही है, परन्तु फ़्रांसीसी सेनायें उनके संग्राम को कठोरता से दबा देने का प्रयत्न कर रही हैं । नवम्बर, १९५४ से १७००० से भी अधिक अल्जीरियन मारे जा चुके हैं । हिन्द चीन में होने वाले अत्याचरों का तो हमारे प्रधान मंत्री ने कड़ा विरोध किया था, परन्तु आश्चर्य है कि अल्जीरिया के इन अत्याचारों के प्रति वे बिल्कुल मूक हैं । यह सच है कि प्रारम्भ में हमारी सरकार ने कुछ प्रयत्न किया था, परन्तु फ्रांस ने उन प्रयत्नों की कुछ भी परवाह न करते हुये अल्जीरिया के आन्दोलन को कठोरता पूर्वक दबा देने के लिये वहां अपनी सेनायें भेज दीं । वास्तव में यह बड़ी लज्जा की बात है कि फ़्रांस की सरकार समाजवादी सरकार होते हुये भी इतने घृणित कार्य कर रही है । हमने तो उन समाजवादियों से अपना नाता तोड़ दिया है । हमारी सरकार भी उन्हें यदि इसी प्रकार का एक स्पष्ट करारा जवाब दे देती तो स्थिति इतनी बिगड़ती न ।

इसी प्रकार से अरब देशों और इजराइल के झगड़े को निपटाने के सम्बन्ध में भी हमने कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया है । वहां की स्थिति बड़ी ही नाजुक है: नित्य प्रति सीमा सम्बन्धी झगड़े होते रहते हैं, और संभव है कि वे झगड़े कहीं विश्व युद्ध का रूप धारण कर लें । अतः वे देश जो विश्व युद्ध को रोकने के तथा विश्व शान्ति को स्थापित करने के सच्चे दिल से इच्छुक हैं उन्हें इज़राइल और अरब राष्ट्रों के झगड़े को निपटाने की जिम्मेवारी सम्भालनी चाहिये । यह सच है कि इज़राइली सरकार ने बहुत कुछ ऐसी बातें की हैं जिनका हम विरोध करते हैं, परन्तु हमें याद रहना चाहिये कि हिटलर ने यूरोप में ५० लाख यहूदियों का वध किया था और आज इज़राइल के १७ लाख यहूदी जीवित रहने के संग्राम में व्यस्त हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री अशोक मेहता]

इज़राइल के १७ लाख यहूदियों का जीने का अधिकार हम छीन नहीं सकते । उन्हें भी संसार में रहना है । अतः इस झगड़े को निपटाने के लिये भारत सरकार को कोई उचित कार्य करना चाहिये ? नहीं तो मिस्र और इज़राइल का झगड़ा बड़ा भयंकर रूप धारण कर लेगा ।

अतः मेरा निवेदन है कि सरकार मिस्र के सम्बन्ध में अपनी नीति को पूर्णतया स्पष्ट कर दे । वह प्रथम आक्रमणकारी सेनाओं के मिस्र से हट जाने पर बल दे और संयुक्त राष्ट्र संघ पर इस बात के लिये जोर दे कि यदि वे देश अपनी सेनायें वापिस नहीं हटाते तो उन पर प्रतिबन्ध लगा दिये जायें ।

संयुक्त राष्ट्र संघ सेना में योग देने के निर्णय का मैं स्वागत करता हूं, और मैं सरकार की इस नीति का भी समर्थन करता है कि आक्रमण के प्रश्न तथा नहर स्वेज के प्रश्न को पृथक् पृथक् लिया जाये ।

जहां तक हंगरी के प्रश्न का सम्बन्ध है, उस बारे में सरकार की ओर से कई घोषणायें की गयी हैं, और इसलिये यह समझना बड़ा कठिन है कि इस बारे में सरकार की निश्चित नीति क्या है । हमारे प्रधान मंत्री के वक्तव्य से तो यह प्रतीत होता है कि हंगरी के लोग अपनी स्वतन्त्रता के लिये आन्दोलन कर रहे हैं । परन्तु संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारे प्रतिनिधि श्री कृष्ण मेनन ने बिल्कुल उल्टा वक्तव्य दिया है । इसलिये हंगरी के सम्बन्ध में हमारी क्या नीति है, इसे स्पष्ट नहीं किया गया है ।

२० अक्तूबर को कृष्ण मेनन ने यह कहा है कि हंगरी का मामला वहां के लोगों का एक व्यक्तिगत मामला है, क्योंकि हंगरी एक सम्पूर्ण प्रमुख सम्पन्न देश है । परन्तु क्या वास्तव में हंगरी एक स्वतन्त्र देश है ? क्या वहां के लोग स्वेच्छा से अपनी सरकार बना सकते हैं ? नहीं, वे स्वतन्त्र नहीं हैं, वे तो रूस के इशारे पर कठपुतली के समान नाचने के लिये बाध्य किये जा रहे हैं ।

पोलैंड में भी वही नाटक खेला जा रहा है । वहां की गोमुल्का सरकार को बाध्य करके इस बात के लिये तैयार कर लिया गया है कि उस देश में रूसी सेनायें ठहर सकती हैं । अब वहां पर भी रूस के विरुद्ध आन्दोलन हो रहे हैं । परन्तु खेद है कि हमारे साम्यवादी भाई इस स्थिति को समझ नहीं सके ।

मुझे इस बात की आशंका है कि हंगरी से रूसी सेनायें कभी भी वापिस नहीं जायेंगी, क्योंकि रूसी सरकार नहीं चाहती कि हंगरी उनके प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकल जाये, इसीलिये रूस हंगरी के लोगों द्वारा स्वतन्त्रता के लिये किये जा रहे आन्दोलन को कुचलने के लिये हर प्रकार का प्रयत्न कर रहा है । परन्तु दुःख की बात है कि श्री कृष्ण मेनन ने उन अत्याचारों को रोकने की बजाय यह वक्तव्य दिया है कि यह मामला हंगरी का एक आन्तरिक मामला है और इसीलिये उन्होने रूसी अत्याचारों के विरुद्ध एक भी शब्द नहीं कहा है । यही वास्तव में एक आश्चर्य की बात है ; और हमारे प्रधान मंत्री उस वक्तव्य का समर्थन कर रहे हैं, यह तो और भी आश्चर्य की बात है । वास्तव में कृष्ण मेनन हमारी भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते ।

३ नवम्बर को रूस के सरकारी समाचार पत्र 'प्रवदा' ने हंगरी पर आक्षेप लगाते हुये यह पूछा था कि हंगरी के लोग आन्दोलन क्यों कर रहे हैं । उसके उत्तर में हंगरी की साम्यवादी पत्रिका 'जाबद क्षेप' ने यह लिखा है कि हम एक स्वतन्त्र राष्ट्र के समान जीवित रहने के लिये आन्दोलन कर रहे हैं । मैं चाहता हूं कि श्री कृष्ण मेनन इस बात को अच्छी प्रकार से समझ लें कि वहां के लोग स्वतन्त्रता के लिये संग्राम कर रहे हैं, और उन्हें रूसी साम्राज्य से स्वतन्त्रता प्राप्त करने का अधिकार है ।

प्रथम नवम्बर को हंगरी के प्रधान मंत्री श्री नागी ने संयुक्त राष्ट्र संघ से यह अपील की थी कि हंगरी को रूसी सेनाओं से बचाया जाये । परन्तु हंगरी ने ज्यों ही रूस से अपना नाता तोड़कर निष्पक्ष रहने की घोषणा की, रूसी सेना ने हंगरी पर आक्रमण कर दिया । तीन नवम्बर को हंगरी के प्रधान मंत्री

ने सारे संसार से रक्षा के लिये अपील की। परन्तु उसकी सरकार को रूसी सेनाओं ने हटा दिया और दूसरी कठपुतली सरकार बना दी और आश्चर्य की बात तो यह है कि हमारे प्रधान मंत्री जानते ही नहीं कि वहां क्या कुछ हुआ है। मदाम आना केथली जिन्होंने स्वतन्त्रता और लोकतंत्र के संग्राम में एक प्रमुख भाग लिया है और जो विश्व में प्रसिद्ध हैं, मुझे एक तार भेजा है जिस में उन्होंने अनुरोध किया है कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ में अपने प्रतिनिधि मंडल से यह कहें कि वह कदार की कठपुतली सरकार को मान्यता न दे और हंगरी से रूसी सेनायें हटाये जाने के लिये जोर दे। मदाम केथली नाजी सरकार में राज्य मंत्री थीं।

जब तक कदार सरकार सत्तारुढ़ है, रूसी सैनिकों के वापस बुलाये जाने की चर्चा बेकार है। ऐसा तभी हो सकेगा जबकि कदार सरकार को हटा दिया जाये और नाज सरकार फिर सत्तारूढ़ हो। बातचीत नाज सरकार के साथ ही की जा सकती है। किन्तु इन सब मामलों में हमने पूरा उत्साह नहीं दिखाया। रूस जो कार्यवाही करना चाहे कर लेता है। उसे कोई कुछ कह नहीं सकता। देश में कोई जनमत नहीं है जो सरकार का विरोध कर सके। इसलिये हमें रूस के सामने स्पष्ट और जोरदार तरीके से अपनी राय प्रकट करनी है और रूसी नेताओं को यह अनुभव कराना है कि उनकी कार्यवाही के बारे में विश्व की प्रतिक्रिया क्या है ?

मुझे हर्ष है कि इस मामले में प्रधान मंत्री ने अपनी नीति जोरदार शब्दों में और स्पष्ट रूप से प्रकट कर दी है। किन्तु यदि पहले उन्होने हिचकिचाहट न दिखाई होती, तो बहुत सी हानि रुक सकती थी। मैं आशा करता हूं कि वह अपनी नीति पर स्थिर रहेंगे और हम कदार सरकार को हंगरी की असली सरकार नहीं मानेंगे और यह मांग करेंगे कि हंगरी से सैनिक तभी हटाये जा सकते हैं, जब वहां स्वतन्त्र सरकार स्थापित हो।

हमारे प्रधान मंत्री ने ठीक कहा है कि लोगों को अपनी सरकार चुनने का अधिकार है और यदि उनकी इच्छा हो, तो वे साम्यवादी सरकार भी चुन सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि दस वर्ष के साम्यवादी शासन के बाद हंगरी के लोगों को विश्वास हो गया है कि साम्यवादी सरकार उनके लिये उत्तम नहीं है। इसलिये हमारे लिये केवल इतना कहना काफी नहीं है कि स्थिति शोचनीय है। हमें स्पष्ट रूप से यह कहना चाहिये कि हम कठपुतली सरकार को मान्यता देने के लिये तैयार नहीं है। हम चाहते हैं कि नाजी सरकार पुनः सत्तारूढ़ हो और हम नाज सरकार की इन मांगों का समर्थन करते हैं कि विदेशी सैनिक हटा दिये जायें, वारसा संधि तोड़ दी जाये और हंगरी की तटस्था संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रत्याभूत की जाये।

†**श्री गाडगील :** जैसा कि प्रधान मंत्री ने कहा है स्थिति अब भी बहुत गम्भीर है और इसका प्रभाव विश्व के सभी देशों पर पड़ रहा है।

सबसे पहले आवश्यकता इस बात की है कि संघर्ष जहां भी हो उसे समाप्त किया जाये और एक ऐसा वातावरण पैदा किया जाये, जिसमें स्थायी शांति की बुनियाद रखी जा सके। यदि ऐसा न किया गया तो स्थिति के और भी खराब हो जाने का डर है। इसलिये मैं विरोधी दलों से अपील करूंगा कि वे दलबन्दी के दृष्टिकोण से न देखें और एक ऐसी नीति निर्धारित करें जो कि न केवल देश के बल्कि सारे विश्व के हित में हो।

जैसा कि मेरे मित्र श्री अशोक मेहता ने कहा है, झगड़ा इसलिये शुरू हुआ क्योंकि इज़राइल और मिस्र की आपस में नहीं बन सकी। मेरे विचार में जब तक मिस्र और इज़राइल की समस्या या दूसरे

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री गाडगिल]

शब्दों में इज़राइल और अरब जगत की समस्या को संतोषजनक रूप से हल नहीं किया जाता तब तक विश्व में शान्ति नहीं होगी और दोनों गुट उलझी हुई स्थिति से लाभ उठाते रहेंगे।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

ब्रिटेन ने जो कार्यवाही की है वह सब को मालूम है। प्रधान मंत्री के शब्दों में यह स्पष्ट आक्रमण है। किन्तु प्रश्न यह है कि क्या इस कार्यवाही से मिस्र और इज़राइल की समस्या या स्वेज नहर की समस्या हल हो गई है? नहीं। इसलिये हमारा यह कहना ठीक था कि उस आक्रमण को बन्द किया जाये। अब युद्ध विराम हो चुका है, चाहे यह हमारे प्रयत्नों या किसी की धमकी के कारण हुआ हो। हमने केवल अपना कर्तव्य पूरा किया है। यदि इस कर्तव्य को पूरा करने के लिये प्रधान मंत्री ने सावधानी से काम लिया है, तो इसे गलत नहीं समझना चाहिये, क्योंकि विश्व को भारत में काफी विश्वास है और यदि अपने भाषणों या कार्यवाही के कारण हम अपनी स्थिति स्वयं कमजोर कर दें तो यह न केवल देश के लिये बल्कि सारे विश्व के लिये हानिकर होगा। इसलिये हंगरी के बारे में प्रधान मंत्री के रवैये को समझने के लिये हमें पृष्ठभूमि को समझना चाहिये। हंगरी की स्थिति के बारे में हमें कई सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है। प्रतीत होता है कि यह किसी को भी विश्वस्त रूप से मालूम नहीं कि अमुक समय पर हंगरी में स्थिति क्या थी। इसलिये अपनी राय देने से पहले तथ्यों को जानना आवश्यक है। यदि हमारे प्रधान मंत्री ने विभिन्न स्थानों से जानकारी इकट्ठी करने का प्रयत्न किया है, तो इसमें कोई असंगति नहीं है।

मेरी राय में एक बात स्पष्ट है कि रूस ने हंगरी में लोकतंत्रीकरण की नीति अपनाई थी। कुछ समय तक उसने यह नीति चलने दी। बाद में जब उसने देखा कि कुछ लोग इसे संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं, तो उसने यह नीति बदल दी। अब जबकि स्थिति इतनी अस्थिर और अस्पष्ट है, क्या हमारे लिये कोई अन्तिम निर्णय देना उचित होगा? क्या व्यवहार-कौशल और राजनीति का तकाजा यह नहीं है कि हमें इस मामले में बहुत सावधानी से काम लेना चाहिये? भारत सरकार और कांग्रेस दल ने बार बार यह स्पष्ट किया है कि हम लोकतंत्र के पक्ष में हैं और जहां भी स्वतन्त्रता को खतरा होगा, हम स्वतन्त्रता के लिये लड़नेवालों की सहायता करेंगे।

वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या हम स्थायी हल चाहते हैं या बदलती हुई स्थिति से अपने लिये या अपने दल के लिये लाभ उठाना चाहते हैं? मेरे विचार में यह केवल राजनैतिक संकट नहीं है बल्कि नैतिक या आध्यात्मिक संकट है, जिसका विश्व को सामना करना पड़ रहा है। हमें इस प्रश्न का उत्तर देना है कि क्या हम राजनैतिक लाभ चाहते हैं या मानव की स्वतन्त्रता और प्रतिष्ठा चाहते हैं।

यह समझना गलत है कि आणविक शस्त्रों या डालरों से शान्ति स्थापित हो सकती है। हमें यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि हम सब अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों का हल शान्तिपूर्ण तरीकों से करना चाहते हैं मुझे विश्वास है प्रधान मंत्री यही प्रयत्न कर रहे हैं और हमारे लिये उनकी नीति का समर्थन करना बिल्कुल ठीक है संघर्ष के समाप्त होने के बाद लोगों को सम्मेलन करके विचार विनिमय करना चाहिये और स्थिति को वैसे ही नहीं छोड़ देना चाहिये। ताकि कहीं ऐसा न हो कि परिस्थितियों पर काबू पाने की बजाय, वे हम पर ही काबू पा लें।

†**डा० स० ना० सिंह** :साम्यवादी दल के नेता ने अपने भाषण में हंगरी के प्रश्न का घोटाला कर दिया। उन्होंने सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को 'शीर्षासन' में बदल दिया। आज की सही स्थिति यह है कि पूर्वी यूरोप और हंगरी में जो कुछ हो रहा है वह उस देश में स्टालिन वादी साम्राज्यवादियों द्वारा किये

†मूल अंग्रेजी में।

गये दुष्कृत्यों के विरुद्ध महान राष्ट्रीय क्रान्ति है इस क्रांति के सम्बन्ध में श्री कदार के विचार भी यही हैं। उनकी सम्मति में क्रांतिकारियों का उद्देश्य हंगरी में जनता की शक्ति को दौर्बल्य प्रदान करना नहीं अपितु पिछली त्रुटियों के विरुद्ध उसे सुदृढ़ता प्रदान करना है। हंगरी द्वारा तटस्थ नीति की घोषणा और प्रधान मंत्री का संयुक्त राष्ट्र को आह्वान--यही विवाद का मूल है। और बुडापेस्ट की यह जनहत्या पार्लियामेंट स्क्वायर में आरम्भ हुई। उन्हींने भूतपूर्व सरकार का विखंडन कर एक दूसरे व्यक्ति को प्रधान मंत्री के पद पर बिठा दिया।

आज हंगरी की सार्वभौम सत्ता ही नष्ट नहीं हुई है किन्तु दास राज्य की स्थिति में परिणत हो गया है। प्रधान मंत्री श्री नेहरू की यह उक्ति सर्वथा सत्य ही है कि हंगरी का मामला "मानवीय प्रतिष्ठा और स्वतन्त्रता के प्रति अनाचार" है। मिस्र में राष्ट्रपति नासिर शिला की भांति सुदृढ़ है और अक्रांता सरकार में परिवर्तन नहीं कर सके। किन्तु ब्रिटेन में लगभग आधी जनता सरकारी कार्यवाही के विरुद्ध थी।

आज भारत की स्थिति अत्यन्त अनुकूल है कदाचित् यह इतिहास का आदेश है कि हमारा देश और हमारे प्रधान मंत्री विश्व में इस बात के सतत प्रहरी बने रहें कि कहीं पर भी रक्तपात न हो। कई मामलों में हमारी तेकनोयतो के कारण ही सोवियत संघ की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। एक वर्ष पूर्व कामरेड ख्रुश्चेव ने दिल्ली में जनता की आजादी और उपनिवेशों की दलित जनता के बारे में जो कुछ कहा था आज उन्हें उसका स्मरण कराना है। सोवियत संघ ने पंचशील की भूरि-भूरि प्रशंसा की है और हमें आज उन्हें इसका स्मरण कराना है। अतः मित्र क नाते हम रूस से कहें कि वह हंगरी ही नहीं अपितु समूचे पूर्वी यूरोप से अपने आपको वापस हटा लें। रूस की अधिकांश सेना तथा संसाधन पूर्वी यूरोप में लगे हुये हैं तथा उन्हें वहां एक दिन हटना पड़ेगा। गोमुल्का से समझौता होने की पृष्ठभूमि में भी यही कारण है। युद्धोत्तर काल में स्टालिन विचार-धारा से प्रभावित रूस ने पोलैंड से विलनो तथा और नगर लेकर उसे क्षतिपूर्ति स्वरूप जर्मनी के कुछ भूप्रदेश द दिये। जर्मनी ने इसका प्रतिरोध किया। परिणामस्वरूप उन्हें अपना नियंत्रण बनाये रखने के लिये रूसी सैनिकों की सहायता लेनी पड़ी। पोलैंड के पास इतने सैनिक नहीं थे, रूसी सैनिकों की उपस्थिति का ही कारण था।

हंगरी का मामला उससे सर्वथा भिन्न है। हंगरी की वर्तमान क्रांति को स्टालिनवादी नृशंसता, उसका नग्न, निर्माण और छद्मपूर्ण रूप प्रकट कर दिया है।

श्री ख्रुश्चेव का कथन है कि जिस क्षण पश्चिमी शक्तियां पश्चिमी यूरोप से अपनी सेनायें हटा लेंगी उसी समय वह भी हंगरी, रुमानिया, पोलैंड तथा अन्य स्थानों से अपनी फौजें हटा लेंगे। हंगरी में अभी भी क्रांति जारी है। और संयुक्त राष्ट्र के मुख्य सचिव को बुडापेस्ट में जाने की अनुमति नहीं दी गई। हंगरी के आन्दोलन का समर्थन करना हमारा कर्तव्य है। हमारे प्रधान मंत्री ने आज प्रातःकाल ही कहा है कि क्रांति सफल होगी।

आज सर्वत्र रूस की प्रतिष्ठा कम हो रही है। यदि आज बुडापेस्ट को ग्रस्त करने वाले खतरों के प्रति सतर्क न रहें तो आपको काश्मीर तथा अन्य स्थानों पर भी अत्यन्त भयावह स्थिति का सामना करना पड़ेगा। संसद् सदस्य बनने के पश्चात् सर्वप्रथम मैंने ही पटल पर वह प्रलेख रखे जिनमें विश्व के विभाजन और काश्मीर तथा भारत पर स्टालिन की दृष्टि के सम्बन्ध में उनकी हिटलर के साथ हुई बातचीत दी गई थी। उन दिनों किसी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया तथा रूसी पत्रों ने मुझे अमेरिकन एजेंट की संज्ञा से विभूषित किया। ज्योंही नाज सरकार ने हंगरी के हित में कुछ कार्य करने का विचार किया कि उनका परिसमापन कर दिया गया।

रूस में स्वतः अपनी इच्छा से अपने ही हित में हंगरी से बाहर निकल जाना चाहिये। श्री ख्रुश्चेव का मत है कि न केवल सोवियत संघ के लिये किन्तु पड़ौसी देशों के लिये भी कुछ अंश में प्रजातंत्रीकरण आवश्यक है।

[श्री स० ना० सिंह]

यदि हम हंगरी से सबक नहीं लेते हैं तो इस ऐतिहासिक भूल के लिये हमें तथा आने वाली पीढ़ी को पश्चाताप करना पड़ेगा। कार्डिनल मिनजेंती ने जेल से बाहर आने पर लोगों से प्रार्थना करने के लिये कहा था और यह एक साम्यवादी तरीका है कि परमात्मा की प्रार्थना करने वाले व्यक्तियों को समाप्त कर दिया जाये और उन पर गोली चलाई जाये। यही कारण है कि सारा साम्राज्य ढह रहा है—सोवियत साम्राज्य, हंगरी में ही नहीं, पोलैंड, रूमानिया और सर्वत्र गर्त में जा रहा है। हमारे देश को हंगरी का प्रबल समर्थन करना चाहिये। हमें समूचे संसार में कह देना चाहिये कि हम हंगरी की स्वतन्त्रता का ही नहीं प्रत्युत प्रत्येक देश की स्वतन्त्रता का समर्थन करते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि कोई देश गोरी अथवा लाल उपनिवेशीय सत्ता के शोषण का भाजन बने। हंगरी के एक महान कवि—मेंडर पोटोफी ने लिखा है : "हमारी शपथ है, हम कभी दासता स्वीकार नहीं करेंगे।" इन शब्दों के साथ मैं हमारे देश की विदेश नीति का समर्थन करता हूं।

†**श्री वि० घ० देशपांडे** (गुना) : मैं वाद-विवाद के उच्च नैतिक स्तर से प्रभावित हुआ हूं।

पंडित कृ० चं० शर्मा : हिन्दी में बोलिये।

श्री वि० घ० देशपांडे : उपाध्यक्ष महोदय, जिस नैतिक स्तर पर और जिस आध्यात्मवाद के आधार पर यह वाद-विवाद चल रहा है, उसको देखकर मैं अत्यन्त प्रभावित हुआ हूं। परन्तु जिस प्रकार से इस सदन के विभिन्न विभागों ने एक बड़े नैतिक स्तर पर हमारे प्रधान मंत्री की नीति का समर्थन किया है उससे कभी न कभी मेरे अन्तःकरण में भय भी पैदा होता है। मेरे रक्तरंजित साम्यवादी भाई भी उनके नैतिक स्तर का समर्थन करने के लिये आज यहां खड़े हुए हैं। उनकी इन सब सद्भावनाओं का मैं आदर करता हूं। लेकिन इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि एक कृत्रिम वायुमंडल, एक आर्टिफिशल एटमसफीयर इस सदन में क्रियेट हुआ है, उसका निर्माण हुआ है, ऐसा मैं समझता हूं। बात यह है कि हम जंगल में जा रहे हैं और दूर से देखते हैं कि एक शेर ने दो तीन आदमियों को मार दिया है और उसके पश्चात हम और हमारे साथ जो दो तीन आदमी खड़े होते हैं, वे कहते हैं कि शेर गलती पर था जिसने इन आदमियों को मारा और कोई दूसरे आदमी कहते हैं कि ये आदमी गलती पर थे। इस तरह से मैजिस्ट्रेट का काम हम शुरू करते हैं और कहते हैं कि जो कुछ हंगरी में हुआ ठीक हुआ, जो कुछ ख्रुश्चेव ने किया ठीक किया; जो कुछ मिस्र ने किया ठीक किया या जो कुछ इज़राइल ने किया ठीक किया या ठीक नहीं किया। इस तरह से हमारा आज की दुनिया में केवल एक ही काम रह गया है कि हम दुनिया के प्रत्येक भाग में शान्ति को बनायें रखें। इस चीज को ध्यान में रखते हुए कृष्ण मेनन भाषण कर देते हैं और कह दते हैं कि यह ठीक हुआ या नहीं हुआ, यह गलत किया गया है या उचित किया गया है। इस प्रकार से निर्णय करके आपने एक प्रकार से कृत्रिम और एक काल्पनिक वायुमंडल का निर्माण यहां कर लिया है और कर रहे हैं, ऐसा मैं समझता हूं।

मैं एक बात को मानता हूं और वह यह है कि भारतवर्ष अभी-अभी आजाद हुआ है, भारतवर्ष अभी बड़ा कमजोर है और यदि शान्ति बनी रहे तभी हम उन्नति कर सकते हैं और तभी हमें कुछ लाभ हो सकता है। अगर ऐसा न हो तो जो कमजोर आदमी है वह ताकतवर नहीं बन सकता है। इस दृष्टि से जो अशक्त हैं, जो भलेमानस हैं, उनके लिये इस दिशा में थोड़ा बहुत प्रयत्न करना तो ठीक है और यहां तक तो मैं आपके साथ सहमत हूं। परन्तु इसके आगे जाकर केवल रूस में, इंग्लैंड में, मध्य एशिया में शान्ति प्रस्थापित करन क लिये हमको क्या क्या करना चाहिये, साइप्रस के लिये हमने लड़ाई क्यों नहीं की और दूसरे देशों के लिये लड़ाई क्यों नहीं की, इस प्रकार की बातें करना मैं समझता हूं व्यर्थ है। आज आप यहां देखते हैं कि दुनिया के बारे मे जो-जो बातें हम सोच रहे हैं और कह रहे थे वे बातें सब गलत साबित हुई हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

आज बीसवीं सदी में दो विश्व युद्ध देख लेने के पश्चात दुनिया में, मैं समझता हूं, आज कोई भी युद्ध मोल नहीं लेगा। बड़े-बड़े देश पंचशील पर अमल करने की घोषणा करने के पश्चात लड़ाई करेंगे नहीं, नेकिड एग्रेशन करेंगे नहीं, नग्न आक्रमण करेंगे नहीं, ऐसा हम समझते थे। पंचशील की संधि हमने बड़े बड़े देशों के साथ की है। ख्रुश्चेव और बुलगानिन यहां पहुंचे और उन्होंने ने हमें कहा कि अगर कोई आप पर आक्रमण करता है तो जरा पहाड़ी से आवाज दे देना और हम चले आयेंगे। हम समझने लगे थे कि स्टालिन, लेनिन इत्यादि को छोड़कर गौतम बुद्ध और पंडित जवाहरलाल के अनुयायी अब बुलगानिन और ख्रुश्चेव बन गये हैं और दुनिया में शान्ति का निर्माण होगा। अमरीका पर भी हमारा प्रभाव पड़ा और इंग्लैंड तो पहले से ही शान्ति का पुजारी था। तो इस प्रकार की आशा हम करते थे। हमने एकदम देख लिया है कि इजिप्ट जिसको हम बड़ा दुबला और कमजोर समझते थे उसने एकदम राष्ट्रीयकरण कर दिया। उसके पश्चात हम आशा लगा रहे थे कि अब शान्ति होगी। परन्तु इंग्लैंड और फ्रांस की फौजें हमारे देखते ही देखते वहां उतर गईं। उधर रशिया भी हंगरी में चला गया और हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। इन सब बातों से एक ही निर्णय पर हम पहुंचते हैं कि पंचशील हैज फेल्ड, (फेल हुआ है) यू० एन० ओ० हैज फेल्ड। मैं चाहता हूं कि उन्हें फेल नहीं होना चाहिये। दुनिया में हजारों लोग मार दिये गये हैं, हजारों का कत्ल हुआ है, खून की नदियां बही हैं और इन सब भयानक दृश्यों को देखकर तथा इन सबों बातों को सुनकर मुझे भी दुख होता है। पंचशील को असफल नहीं होना चाहिये। पंचशील की विजय मैं चाहता हूं, शान्ति की विजय मैं चाहता हूं। लेकिन अमरीका, इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस यहां सपथ लेने के पश्चात किस तरह से नग्न आक्रमण कर सकते हैं, यह हमने देख लिया है लेकिन फिर भी हम अपने इर्दगिर्द एक कृत्रिम एटमसफीयर (वातावरण) पैदा कर रहे हैं। क्या हम कह सकते हैं कि हिन्दुस्तान पर कोई आक्रमण नहीं करेगा और क्या हम केवल जज का ही काम करेंगे। हम तो वैसे ही कर रहे हैं जैसे कि एक मैजिस्ट्रेट म्यूनिसिपल केसिस में जिस साइकिल सवार के पास लाइट नहीं थी उसको दो रुपया जुर्माना कर देता है और अगर कहीं मोटर का एक्सिडेंट (दुर्घटना) हो गया तो उसको छः महीने की सजा कर दी। साइप्रस पर जजमेंट (निर्णय) दे देना, मिश्र के केस (मामले) में जजमेंट दे देना, हंगरी के बारे में जजमेंट दे देना, इतना ही धंधा आपका रह गया है, यह आप न समझें। आपके देश को भी खतरा हो सकता है। आज भी दुनिया के अनेक देश हैं जिनके हित आपके हितों से टकराते हैं। बड़े बड़े देश आपके देश के साथ लगे हुए हैं।

आपके पास ही पाकिस्तान है, जिसने अमरीका के साथ सैनिक संधि कर ली है और अमरीका की फौजें और शस्त्रास्त्र-बल उसके साथ हैं। हो सकता है कि कल वह आप पर आक्रमण कर दे। आप के एक ओर चाइना है और उधर आसाम में नागालैंड है। आप पर लाल संकट भी आ सकता है। ऐसे समय में आपके देश को क्या करना चाहिये, दुनिया के देशों के प्रति आपकी नीति क्या होनी चाहिये, इसका विचार आप अधिक कीजिये। इंग्लैंड के साथ आपके सम्बन्ध रहने से आप खतरे में पड़ सकते हैं या आपकी उन्नति हो सकती है, यह भी आप सोच लीजिये। आपकी इच्छा तो यह जान पड़ती है कि दुनिया देखे कि आप इजिप्ट के लिये मर रहे हैं। इजिप्ट के बारे में भी आप ठीक तरीके से सोचें। केवल यही न देखें कि किसी की सोवीरेन्टी (सत्ता) खतरे में है। केवल वही प्रश्न नहीं है। यू० एन० ओ० में जब इजिप्ट का प्रश्न आया, तो आप ने पक्ष में वोट दिया, परन्तु जब हंगरी के विषय में रेजोल्यूशन पर पैरा-ग्राफ-वाई-पैराग्राफ वोटिंग (पैरावार मतदान) हुई, तो श्री कृष्ण मेनन की गलती हुई और वह गलती पंडित जी के जोरदार समर्थन से सुधारी जा सकती है, यह मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं। उनकी यह बात तो समझ में आ सकती है कि वहां पर यू० एन० ओ० के तत्वावधान में इलैक्शन (चुनाव) के सिद्धान्त को मान लेने से एक गलत प्रकार का उदाहरण कायम हो सकता है, लेकिन फौजें निकालने के विषय में आपके रुख से तो एक ही बात दिखाई देती है और वह यह कि आप पूरी तरह से रसियन ग्रुप (रूसी गुट) में शामिल हो गए हैं और दूसरों के खिलाफ हो गये हैं। आपकी अशक्तता का ध्यान रखते हुए, दुनिया का मत

[श्री ति० घ० देशपांडे]

आपके बारे में यह हो, यह आप के लिये कोई सुरक्षितता की बात है, ऐसा मैं नहीं समझता । मैं आज आपको इस बात के लिये दोष देता हूं कि आप पाज़िटिवली, निश्चित रूप से इंग्लैंड और अमरीका को छोड़ कर रशियन ग्रुप के साथ बैठ गये हैं, जिस के कारण आपके देश को कभी भी खतरा हो सकता है। इजिप्ट के विषय में विचार करते हुए हमें यह बात भी अपने सामने रखनी चाहिये कि यह ठेस पहुंची हुई निर्दोषता का प्रश्न नहीं । ऐसी कोई बात नहीं है कि वह कोई रमणी है, जिस पर आक्रमण किया गया है और नाइट्स (वीर) अपनी शिवैलरी (वीरता) दिखाने और उसकी रक्षा और सहायता के लिये पहुंच रहे हैं । इजिप्ट के सामने क्या महत्वाकांक्षा है, यह हम जानते हैं । मक्का में नासिर साहब पहुंचे और उन्होंने ने कहा कि हमने अल्जीरिया से लेकर इन्डोनेशिया तक मुस्लिम हैजिमनी---मुस्लिम आधिपत्य---स्थापित करना है । संसार के सब मुसलमान राष्ट्रों का एक संघ बनाने की महत्वाकांक्षा लेकर इजिप्ट खड़ा हुआ है । मैं यह नहीं मानता हूं कि सब उसके नेतृत्व में चले जायेंगे । आज पाकिस्तान और इजिप्ट की भी लड़ाई है । बगदाद पैक्ट के भी टकड़े हो गये हैं । लेकिन फिर भी एक बड़ा संकट आप के सामने है । आज अमरीका और रशिया जैसे महान देशों में संघर्ष है और उनमें से किसी के विरुद्ध भी आपकी नीति होने से आपको खतरा हो सकता है ।

जहां तक इज़राइल का प्रश्न है, उसके विषय में मेरे सभी मित्रों, श्री अशोक मेहता, गाडगिल महाशय, जो कि बड़ी शान्ति और अहिंसा के प्रचार के लिये आज आए थे, और अन्य माननीय सदस्यों ने कहा है । दुनिया ने माना है कि उसको एक राष्ट्र के रूप में जीवित रहना चाहिये । स्वेज कैनाल के विवाद में हमने देखा कि इजिप्ट हमेशा अपना सामान ले जाने के विषय में उसका विरोध करता रहा । यह बात नहीं है कि इज़राइल पर कोई आक्रमण, कोई अन्याय, कोई पाप इजिप्ट ने नहीं किया है । इस तथ्य को सदा हमको अपने सामने रखना है ।

आज सबसे मुख्य आवश्यकता इस बात की है कि हम इस बात पर विचार करें कि हमको ब्रिटिश कामनवैल्थ में रहना चाहिये या नहीं । इंग्लैंड ने इजिप्ट पर हमला किया है, उसने पाप किया है और हम न्यायाधीश हैं, इसलिये हम उसको सजा दे दें, इस प्रकार हम को इस प्रश्न को नहीं देखना चाहिये । हमें यह सोचना चाहिये कि इंगलैंड के साथ रहने के कारण कहीं हम दुनिया के किसी संघर्ष में न फंस जायें और उसका कोई दुश्मन कभी हम पर हमला न कर दे । इस सम्बन्ध में एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं । हाल ही में वहां जो कुछ हुआ, उससे मैं बड़ा हैरान हो गया हूं । जब मैं इंग्लैंड का पांच छः सौ साल का इतिहास देखता हूं, तो पाता हूं कि विदेश नीति के बारे में कभी किसी अधिकारारूढ़ दल का विरोध नहीं किया गया । स्पेन के आरमेडा के साथ लड़ाई में इंग्लैंड के कैथोलिक और प्रोटैस्टेंट सब इकट्ठे हो गए । किन्तु आज मुझे यह देख कर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि लेबर पार्टी अधिकारारूढ़ दल का विरोध कर रही है और रास्तों पर प्रदर्शन हो रहे हैं । हमारे पंडित जी कहते हैं कि प्रदर्शन नहीं होने चाहिये, लेकिन वहां तो प्रदर्शन हो रहे हैं । अगर ऐसा यहां होता, तो यहां कोई मंत्री गोली चलवा देता, लेकिन इस प्रकार की कोई बात वहां नहीं हुई । मैं सोचने लगा कि ऐसा क्यों हुआ, अंग्रेज लोग तो बड़े होशियार , बड़े काबिल और बड़े डिप्लोमैट हैं । मैंने महसूस किया कि इसमें कुछ राज जरूर है, इसमें जरूर उनकी कोई चालाकी है। वह चालाकी बाद में मेरे ध्यान में आ भी गई। आज हिन्दुस्तान में लोग ब्रिटिश कामनवैल्थ के खिलाफ हैं, परन्तु कल चुनाव होता है और टोरी पार्टी हार जाती है और लेबर पार्टी विजयी होती है, तो सब भाई कहेंगे कि अब झगड़ा मिट गया, अब इंग्लैंड के साथ रहना बुरा नहीं है । एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिये आधा इंग्लैंड एक तरफ हो गया है और आधा इंगलड दूसरी तरफ हो गया है । वे भिन्न-भिन्न बातें करते हैं । परन्तु लक्ष्य दोनों का एक ही है । आज लोग कहते हैं कि इंगलैंड ने सीज-फायर (युद्ध-बंदी) कर दिया है । मेरी समझ में नहीं आता कि उसने क्या खाक सीज-फायर कर दिया है । यह तो

वही बात है कि चोरी कर ली, डाका मार लिया या लड़की उड़ा ली या तिजौरी अपने कब्जे में कर लो और फिर कहा कि अब लड़ाई बन्द, अब हम नहीं लड़ेंगे, गोली नहीं चलायेंगे। इंग्लैंड का उद्देश्य तो पूरा हो गया। उसकी सेनायें स्वेज क्षेत्र में पहुंच गई हैं और इन्टरनेशनल पुलिस फोर्स भी वहां पहुंच रही है। इजिप्ट और इंग्लैंड की लड़ाई ही इस बात पर थी कि स्वेज पर एक देश का नियंत्रण हो या अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण हो। अब जबकि उस पर अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण हो गया, तो इंग्लैंड को क्या किसी हकीम ने बताया है कि लड़ाई करते रहो। इसके बावजूद उसने अभी लड़ाई बन्द नहीं की है। अभी तक उसकी फौजें वहां मौजूद हैं और पहुंच रही हैं। मैं यह नहीं मानता कि वहां पर रशिया की धमकी के कारण, या श्री कृष्ण मेनन की इधर-उधर दौड़-धूप के कारण वहां पर लड़ाई बन्द हो गई है या युद्ध विराम सन्धि हो गयी है। मैं यह नहीं मानता कि इंग्लैंड ने सीज-फायर किसी से डर कर किया है। तथ्य यह है कि इंग्लैंड ने जो चोरी करनी थी, जो डाका मारना था, वह मार लिया है और अपना काम कर लिया है।

इन सब बातों से यह स्पष्ट हो गया है कि आज संसार में न कोई अहिंसा को मानने वाला है और न शान्ति को मानने वाला है और न ही नीति और न्याय के आधार पर अपना काम चला रहा है। ऐसी परिस्थिति में हम एक देश के साथ जुड़े रहें, इन-एविटेवली (अनिवार्य रूप से) बंधे रहे, तो हम किसी खतरे में ही फंस सकते हैं। मैं यह देख कर हैरान था कि एक तरफ इंग्लैंड की फौजें इजिप्ट की ओर बढ़ रही थीं और दूसरी तरफ एटली साहब यहां दिल्ली पहुंचे थे और पंडित जी से बातें हो रही थीं। उन्होंने वहां यह भी कहा कि हिन्दुस्तान कामनवैल्थ के बाहर नहीं जा रहा है। मैं तो समझता हूं कि इंग्लैंड के विरोधी दल और अधिकारारूढ़ दल का अन्दरूनी समझौता है कि आप विरोध कीजिये और हम जाकर हमला करते हैं, कल एटली चुन कर आये या ईडन चुन कर आये। वे सोचते हैं कि कामनवैल्थ कायम रहे कोई भी दल सत्तारूढ़ हो। देश के लिये वहां कोई भी दल सरकार से बाहर जा सकता है। इसके मुकाबले में हिन्दुस्तान में छोटी-छोटी बातों को लेकर मार-पिटाई चल रही है, एक दल में भी लड़ाई चल रही है। यदि हमको अपने हितों की रक्षा करनी है तो हमको पहली बात यह करनी पड़ेगी कि हिन्दुस्तान को ब्रिटिश कामनवैल्थ से एकदम बाहर निकाल लेना चाहिये।

श्री भागवत झा आजाद (पूर्निया व संथाल परगना) : नहीं, नहीं।

श्री वि० घ० देशपांडे : यहां पर हम कितने ही जोर से व्याख्यान दें या शान्ति और नीतिमत्ता की बातें कहें, उनसे हमारी इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। (**अन्तर्बाधा**)

†**उपाध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। पंचशील भले ही फेल हुआ हो किन्तु सदस्यों को कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिये।

श्री वि० घ० दशपांडे : आज हमारे चारों ओर खतरा बढ़ रहा है। शुक्रवार को हमार प्रधान मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि उनको तो भय प्रतीत होता है कि इन छोटी मोटी लड़ाइयों से बड़ी लड़ाई होने की आशंका हो सकती है——यह तो नमन हुआ है, जैसा कि गायन के पहले नमन होता है। इन बातों को दृष्टि में रखकर हिन्दुस्तान को बाहरी देशों के साथ अपने सम्बन्ध रखने चाहिये। हम अपने नैतिक स्तर से दुनिया में शान्ति का राज्य स्थापित करेंगे, यह महत्वाकांक्षा बड़ी अच्छी है, परन्तु उससे पहले हमको अपनी इन्टर्नल स्ट्रेंग्थ को——आन्तरिक शक्ति को——बढ़ाना होगा। और केवल मैं ही ऐसा नहीं कहता हूं। अभी परसों लखनऊ में डा० राधाकृष्णन जी ने कहा था कि बाहर के देशों पर निर्भर करके और तत्वों और नीति का प्रचार करके हमारी विदेश नीति अच्छी नहीं हो सकती। जिस तरह से मैं कहता हूं कि हमको कामनवैल्थ में नहीं रहना चाहिये उसी तरह और भी अन्तर्राष्ट्रीय गल्तियां हैं जिनकी ओर हमको ठीक तौर से ध्यान देना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री वि० घ० देशपांडे]

किसी भी देश को जब गुलाम करना होता है तो उस देश में पहले अपनी पार्टी पैदा की जाती है। कम्युनिस्ट पार्टी के कहने पर ही रूस हंगरी में घुसा। यहां पर कहा जाता है कि दोनों परिस्थितियों में अन्तर है। रूस तो हंगरी में कम्युनिस्ट पार्टी के कहने पर उसे मजबूत करने के लिये गया था। यहां भी हम देखते हैं कि जब विदेशों का जिक्र आता है तो नारे लगाये जाते हैं। हम इस प्रकार के दलों को यहां उत्तेजन देते हैं। अभी हमारे लोगों ने राष्ट्रीय स्वार्थ को समझा नहीं है। हम तत्व की बातें करने लगते हैं। लेकिन हमको मालूम नहीं कि हम अपने देश में विदेशों के कितने ऐजेंट पैदा कर रहे हैं, कोई यहां किसी विचारधारा के रूप में बैठे हैं और कोई किसी दल के रूप में हैं। और हम देखते हैं कि आज उनमें परिवर्तन हो गया है। वह कहते हैं कि हम रूस से सम्बन्ध नहीं रखते। वे पहले शान्ति की बात करते हैं, फिर प्रजातन्त्र की बात करते हैं और फिर स्वतन्त्र नीति की बात करते हैं, और जितना जितना ये लोग ऐसा करते हैं उतना-उतना मेरा शक बढ़ता जाता है। आज हमारे देश में और दुनिया में बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। इन परिवर्तनों को देखने के पश्चात हमको अपने घर की ओर देखना चाहिये। आप जानते हैं कि प्लेग पहले चूहों में पैदा होता है। हमको देखना चाहिये कि यह कौन-कौन से चूहों से पैदा होता है और फिर उन चूहों को मारने का काम भी हमको अपने इस देश में करना पड़गा। ये चूहे कोई विचारधारा के स्वरूप में, कोई जाति के स्वरूप में और कोई दल के रूप में पैदा हो गये हैं। हमारे पास पड़ौस में अनेक प्रकार के हमारे दुश्मन हैं। उनकी तरफ हमको ठीक तौर से ध्यान देना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि आपको कामनवैल्थ के साथ सम्बन्ध तोड़ना है। दूसरे देशों का जो प्रभाव इस देश में हो उसको कमजोर करना और उसका निर्मूलन करना है। इसके पश्चात् हमको देश की सैनिक शक्ति को बढ़ाना है और देश की सीमाओं की पूरी रक्षा करनी है। इन चीजों पर ध्यान न देना और यह कहना कि दुनिया का नेतृत्व हमारे पास है, और रूस की तरह हम भी बड़े राष्ट्रों में गिने जाते हैं, इसलिये हमको डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कोई हम पर हमला नहीं करेगा, मैं समझता हूं कि इस प्रकार सोचना बुद्धिमानों के स्वर्ग में रहने के समान होगा। मैं प्रार्थना करूंगा कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के साथ पहली बात आपको यह ध्यान में रखनी चाहिये कि किस प्रकार दुनिया में बरबरता का नग्न नृत्य हो सकता है और इसी प्रकार के किसी भी आक्रमण का सामना करने के लिये हमको देश की सैनिक शक्ति बढ़ानी चाहिये, देश की शस्त्र शक्ति बढ़ाने की तरफ ध्यान देना चाहिये। और इसीलिये आज मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि और सदन से भी अनुरोध करूंगा कि एक पंचवर्षीय योजना हमने समाप्त की है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का हमने प्रारम्भ किया है, हजारों करोड़ों रुपया हमने पहले खर्च किया है और आगे भी करने वाले हैं, किन्तु इन हजारों करोड़ में देश की रक्षा की योजना कहीं दृष्टिगोचर नहीं होती। मैं कहता हूं कि अगर आपको इस पंचवर्षीय योजना में कुछ परिवर्तन करना पड़े तो उसे आप करिये, लेकिन इसका कुछ हिस्सा देश में शस्त्रों के कारखानों के लिये रखिये ताकि आप अपनी नाविक, आकाश की और स्थल की तीनों प्रकार की सेनाओं को मजबूत बना सकें। आपको देश के अन्दर अनिवार्य सैनिक शिक्षा देकर देश को मजबूत बनाने की ओर भी ध्यान देना चाहिये। इसमें हमको निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है कि अमरीका और रूस तो बहुत आगे चले गये हैं, अगर अब हम शुरू करेंगे तो क्या बनेगा। पिछले छः सात सालों से हम ऐसे ही सोचते आ रहे हैं। मैं कहता हूं कि हमको यह काम कभी न कभी तो आरम्भ करना ही होगा और यदि आज भी हम प्रारम्भ कर देंगे तो पांच सात साल में हम बन जायेंगे और देश को मजबूत बना सकेंगे और इस शक्ति को हम अपने देश में और दुनिया में शान्ति प्रस्थापित करने के काम में लगा सकेंगे। हम अपनी शक्ति किसी देश को गुलाम बनाने के लिये नहीं बढ़ाना चाहते, जैसे कि रशिया हंगरी में कर रहा है या जैसा कि इंग्लैंड और फ्रांस ने इजिप्ट में किया है। परन्तु हमको अपने देश की रक्षा करने के लिये और पृथ्वी पर शान्ति प्रस्थापित करने के लिये

सैनिक दृष्टि से बलशाली बनना पड़ेगा और इसकी तरफ अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो केवल पंचशील और अहिंसा पर आधारित हमारी विदेश नीति सफल नहीं हो सकती। इतना ही मेरा अनुरोध है।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : विश्व की स्थिति आजकल बड़ी गम्भीर है और यदि कोई प्रभावशाली कदम न उठाये गये तो समस्त मानव जाति के अस्तित्व के लिये ही खतरा पैदा हो जायेगा।

इंग्लैंड और फ्रांस अब भी यह महसूस नहीं करते कि उन्होंने विश्व नैतिकता के विरुद्ध कोई कार्य किया है और युद्ध-बन्दी को भी उन्होंने अभी क्रियान्वित नहीं किया है।

इधर रूस ने हंगरी में जो किया है वह भी बड़ी शोचनीय बात है। संयुक्त राष्ट्रसंघ में बराबर उसने यह कहा है कि औपनिवेशिक देशों को स्वतन्त्र बना देना चाहिये। उसने पंचशील के सिद्धान्तों को भी स्वीकार किया है। इस सब के बावजूद भी हंगरी में उसने राष्ट्रीय क्रांति को अपनी सैनायें भेज कर दबाया है। यह बात बिलकुल समझ में नहीं आती।

श्री अशोक मेहता ने श्री कृष्ण मेनन की आलोचना करते हुए कहा कि वह भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करते। किन्तु यह बात सही नहीं है। श्री कृष्ण मेनन किस प्रकार अमुक निर्णय पर पहुंचे इस पर आलोचना करते समय हमें स्वयं को उनकी स्थिति में रखकर विचार करना होगा। हमारे प्रधान मंत्री यह अच्छी तरह स्पष्ट कर चुके हैं कि श्री कृष्ण मेनन ने संकल्प के विरुद्ध मत क्यों दिया। भारत की मुख्य आपत्ति केवल एक बात पर थी कि हंगरी में निर्वाचन संयुक्त राष्ट्रसंघ के अंतर्गत न हों, क्योंकि हम भी काफी अरसे पहले अपने यहां ऐसे ही सुझाव का सफलतापूर्वक विरोध कर चुके हैं। तब फिर हम इस प्रकार के संकल्प में भागीदार कैसे बन सकते हैं? इसलिये यदि रूस पंचशील के सिद्धान्तों पर दृढ़ है, तो हमें आशा है कि वह विश्व के सम्मुख उदाहरण प्रस्तुत करेगा।

मिस्र का मामला अब भी अनिश्चित स्थिति में है। इसका हल जो भी हो, मैं समझता हूं कि मिस्र का प्रश्न एक प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप की समस्याओं का निर्णय करेगा। मुझे विश्वास है कि वहां से श्वेत जातियों का प्रभुत्व, जो कि अश्वेत लोगों का रक्त-शोषण कर रहा है, समाप्त हो जायेगा। आज विश्व के समक्ष प्रश्न यह है कि क्या तीसरा विश्व-युद्ध छिड़ेगा? कुछ राष्ट्र युद्ध के पक्ष में हैं। किन्तु अन्य अनेक राष्ट्र इसके विरुद्ध हैं। तब क्या किया जाना चाहिये? हमारे प्रधान मंत्री ने कहा कि हमारे पास तो केवल नैतिक शक्ति है। वास्तव में इसी नैतिक शक्ति से महात्मा गांधी ने भारत के ४० करोड़ लोगों को स्वतन्त्रता दिलायी। मुझे आशा है कि इसी नैतिक बल से श्री नेहरू विश्व-मत का सम्पादन करेंगे जिससे की पंचशील संसार में स्थायी महत्व धारण करे। हमें यह भी देखना चाहिये कि सैनिक-गुट समाप्त कर दिये जायें। जब तक कि यह नहीं होता, विश्व में किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है। इसलिये हमारे प्रधान मंत्री को रूस, इंगलैंड तथा अमरीका से अपने अच्छे सम्बन्धों का ही प्रयोग नहीं करना चाहिये अपितु यह देखना चाहिये कि निर्बल राज्य बलवान राज्यों के साथ-साथ ही अपना अस्तित्व कायम रख सकें।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (होशियारपुर) : कुछ व्यक्ति हैं जिनका कहना है कि भारत को विश्व की घटनाओं से बिलकुल अलग रह कर एकदम तटस्थ रहना चाहिये। किन्तु मेरा विश्वास है कि आज की दुनिया में कोई भी राष्ट्र पृथकवाद की नीति अपना कर नहीं रह सकता और इसलिये भारत को ऐसी नीति नहीं अपनानी चाहिये।

कुछ लोगों ने हंगरी के मामले पर चर्चा करते समय श्री कृष्ण मेनन की कड़ी आलोचना की और यहां तक कहा कि वह भारत का और भारत सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं करते। किन्तु गत कुछ दिनों में संयुक्त राष्ट्रसंघ में श्री कृष्ण मेनन ने इस सम्बन्ध में जो कुछ कहा है उससे मुझे आशा है कि उन लोगों की गलतफहमी दूर हो जायेगी। उन्होंने जो मार्ग अपनाया था वह संयुक्त राष्ट्रसंघ के सिद्धान्तों के अनुकूल ही था।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री दो० चं० शर्मा]

एक भाषण में बड़े जोरदार शब्दों में यह कहा गया कि संयुक्त राष्ट्रसंघ असफल हो गया है और पंचशील असफल हो गया है। लेकिन यदि संयुक्त राष्ट्रसंघ और पंचशील असफल हुए हैं तो इसका यह तात्पर्य नहीं कि यह देश या इसकी विदेश नीति असफल हुयी है, यह तो मानवता की असफलता है।

यह कहा गया कि हमारा देश पाकिस्तान, चीन और नागाभूमि इत्यादि से घिरा हुआ है और इसलिये हमारी विदेश नीति ऐसी होनी चाहिये जिससे हमारी रक्षात्मक शक्ति बढ़े। किन्तु हमारा देश सब देशों के साथ मित्रता की नीति बरतता रहा है और सद्भावना का फल दुर्भावना की अपेक्षा जल्दी मिलता है। इसलिये मेरा कहना है कि हमारे पड़ौसी देशों के साथ मैत्री की नीति ही तनाव को कम कर सकती है।

यह भी कहा गया कि हमें राष्ट्र-मंडल से अलग हो जाना चाहिये। यह सत्य है कि जब कि हमारी नीति को अमरीका और रूस दोनों समझते जा रहे हैं, इंगलैंड के अखबारों में तथा रेडियो पर इस प्रकार का प्रचार हो रहा है कि भारत का एक गलत चित्र प्रस्तुत किया जाता है और प्रतीत होता है कि भारत राष्ट्रमण्डल का शत्रु है। यह बड़ी बुरी चीज है और मेरी समझ में नहीं आता कि इंगलैंड का प्रेस इस प्रकार की चीजें क्यों लिखता है। जहां तक हमारी विदेश नीति का सम्बन्ध है, कुछ सिद्धान्त हैं जिन पर कि हम चलते हैं और प्रधान मंत्री इन्हें स्पष्ट कर चुके हैं। क्या कोई इन सिद्धान्तों पर आपत्ति उठा सकता है? हमारी नीति के कारण ही प्रेसिडेंट नासिर ने हमें "भारतीय भाई" कह कर सम्बोधित किया है। मेरा विश्वास है कि जहाँ तक मिस्र का सम्बन्ध है, जहां तक हंगरी का सम्बन्ध है, जहां तक अन्य देश का सम्बन्ध है, भारत की आवाज़ सदा न्याय की आवाज़ रही है, अन्तर्राष्ट्रीय कानून की आवाज़ रही है, मानव-स्वतन्त्रता और मान-प्रतिष्ठा की आवाज़ रही है।

गत वर्षों में हमें कोरिया और हिन्द-चीन में संकटों का सामना करना पड़ा। आज फिर मिस्र और हंगरी में संकट उपस्थित हुआ है। इन सब मामलों पर हमने जो भी नीति अपनायी उस पर हमें गर्व करने का कारण है। यदि कोई यह कहता है कि किसी देश के सम्बन्ध में अपनायी गयी हमारी नीति सही नहीं है तो उसे एक-दो मास पश्चात् ज्ञात हो जायेगा कि हमारी नीति सही थी।

हमारी विदेश नीति का एक अच्छा परिणाम यह हुआ है। हमारे प्रधान मंत्री का बारबार यही कहना था कि सैनिक गुट बनाना गलत चीज है और खतरनाक चीज है। इनसे देशों को सुरक्षा का साधन नहीं मिलता अपितु वे दशायें पैदा हो जाती हैं जिनके निवारण के लिये कि उन्हें उनका सृजन हुआ है। हम बगदाद समझौते का परिणाम देख चुके हैं। इस गुट का स्वाभाविक अंत हो गया है।

इसलिये मेरा कहना है कि हमारी विदेश नीति उचित है। यदि कुछ लोग इसमें कहीं कोई कमी देखते हैं तो कुछ समय में ही वे इसकी सफलता स्वीकार करने लगेंगे।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** (वान्दिवाश) : आज की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में कुछ घोषणायें कर रहे हैं।

प्रधान मंत्री ने कुछ दिन हुए एक लिखित वक्तव्य दिया था और आज पुनः बिना तैयारी के वक्तव्य दिया है। इस वक्तव्य में उन्होंने अलग दृष्टिकोण अपनाया है। उनके पहले वक्तव्य में तीन बातें स्पष्ट थीं : कि मिस्र में आंग्ल-फ्रेंच दल ने इज़राइल की सहायता की है, दूसरी बात यह कि हमने हंगरी में रूस के हस्तक्षेप की कम कड़े शब्दों में निंदा की और इसे वहां का घरेलू मामला कहा। उनका आज का वक्तव्य बड़ा संगत एवं सैद्धान्तिक है और उन्होंने कोई बात संदिग्ध नहीं छोड़ी और हंगरी में हस्तक्षेप करने के लिये रूस की भर्त्सना की। तीसरी बात उन्होंने संयुक्त राष्ट्रसंघ में हमारे प्रतिनिधि श्री कृष्ण मेनन की सफाई में कही।

---

†मूल अंग्रेजी में।

पहले मैं आंग्ल-फ्रेंच आक्रमण की बात कहूंगा--मैं यह नहीं मान सकता कि यह आक्रमण किसी षड़यंत्र का परिणाम था। वास्तव में अंग्रेज तथा फ्रांसीसी पहले से ही स्वेज नहर को अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रहे थे और जब इज़राइल ने आक्रमण किया, उन्होंने भी कार्यवाही की। उन्होंने जो चेतावनी दी थी वह भी निरर्थक सी बात है--इसलिये, यद्यपि कोई षड़यंत्र तो नहीं था तथापि उन्होंने यह कार्यवाही स्वेज नहर में अपनी स्थिति ठीक करने के लिये की। सारी दुनिया ने इस आक्रमण की निंदा की है। जहां तक भारत का सम्बन्ध है--भारत ने हंगरी के मामले में रूस की निंदा करते हुए हिचकिचाहट दिखाई है। यह कहा गया है कि हंगरी के लोग वहां रूस की सेनायें चाहते थे। यह बहाना ठीक वैसा ही है जैसा आंग्ल-फ्रेंच दल ने मिस्र के बारे में दुनिया के सामने रखा है। रूसी भी वैसा ही बहाना करते हैं।

जहां तक रूस के हस्पक्षेप का सम्बन्ध है--मुझे प्रसन्नता है कि अब हमारे प्रधान मंत्री ने ठीक बातें कही हैं--और रूस की आलोचना स्पष्ट शब्दों में की है। हमें ऐसी ही नीति का अनुसरण करना चाहिये और घबराना नहीं चाहिये कि कोई हमारी सच्ची बातों से नाराज होगा या उन्हें पसन्द नहीं करेगा। रूसी हमारे नये मित्र हैं--पुराने मित्र अंग्रेज तथा फ्रांसीसी हैं जिनके विरुद्ध हमने बहुत सी बातें कही हैं और उन्हें शत्रु बना लिया है। जहां तक अमेरिका की मित्रता का सम्बन्ध है--वह मित्रता संदिग्ध है। वे चाहते हैं कि हम अपने नये मित्रों से बिगाड़ लें। मुझे आशा है कि पश्चिमी राजनीतिज्ञों के मुकाबले में हमारे नेता भी कम नहीं रहेंगे।

श्री कृष्ण मेनन के बारे में कहा गया है कि उस स्थिति में उन्होंने जो कुछ किया वह उचित था। मैंने वह संकल्प देखा है। हमारे प्रतिनिधि ने संकल्प के उस भाग का विरोध किया जिसके अनुसार हंगरी में संयुक्त राष्ट्रसंघ की देखरेख में निर्वाचन कराये जाने का प्रस्ताव था। दूसरे भागों पर उन्होंने मत नहीं दिया। यदि इस भाग के सम्बन्ध में भी वह मत न देते तो कोई बुरी बात नहीं थी। इसलिये यह गलती थी। उन्हें इस मामले पर दोबारा विचार करना चाहिये था।

हमारा रवैया स्पष्ट रहा है--न तो हम रूसी गुट के साथ हैं और न अमेरिकी गुट के साथ। हम यही कहते हैं कि हिंसात्मक कार्यवाही समस्त संसार को नष्ट कर देगी। इस तटस्था की नीति से हमें लाभ होगा। इस समय लोग हम पर नाराज हो सकते हैं--क्योंकि किसी को पता नहीं था कि हमें विभिन्न हिंसात्मक कार्यवाहियों की निंदा करनी पड़ेगी।

हमारे प्रधान मंत्री ने पोलण्ड, हंगरी तथा रूमानिया में रूसी हस्तक्षेप के विरुद्ध पहले कुछ नहीं कहा--अब उनके पास जानकारी है और वह स्पष्टतया इसका विरोध करते हैं। रूसी सेनाओं के हंगरी में बुलाने के बारे में भले ही कुछ कहा जाये--किन्तु सचाई यह है कि उन सेनाओं ने वहां बड़ी क्रूरता दिखाई है।

यदि हम वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति बनाये रखना चाहते हैं तो हमें पंचशील का अनुसरण करना चाहिये--तथा किसी के घरेलू मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। यह बात ठीक है कि शक्तिशाली राष्ट्र हमारी बात न मानें--किन्तु इस समय हमें अपनी नैतिक शक्ति की परख करनी चाहिये। एक प्रकार से हम मिस्र में युद्ध विराम में सफल हुए हैं किन्तु स्थिति अभी तक संतोषजनक नहीं हुई है। अंग्रेजी सेनायें अभी मिस्र में मौजूद हैं और वापस जाना नहीं चाहतीं।

१९३५ से पहले भारत में तीन धर्म थे--हिन्दू धर्म, बुद्ध धर्म तथा इस्लाम। १९३५ में बुद्ध जुदा हुए और १९४७ में मुसलमान। यहां हिन्दू राज है--हमने धर्म निर्पेक्ष सरकार बनाई है--हमारे चहुं ओर विभिन्न धर्म वाले देश हैं--इसे ध्यान में रखते हुए हमें ऐसी नीति पर चलना है कि हम किसी के मामले में दखल न दें और न कोई दूसरा हमारे मामलों में दखल दे। किसी समय हम सोचते थे कि

[श्री न० रा० मुनिस्वामी]

हमारा पड़ौसी पाकिस्तान हमारा मित्र होगा--किन्तु वह सदैव भारत विरोधी प्रचार में लगा रहता है। पाकिस्तान सरकार सदैव हमारी गलतियों से लाभ उठाने के अवसर ढूंढा करती है। अन्य बहुत से देश भी हमारे शत्रु हैं--क्योंकि हम उन्नति कर रहे हैं और तथाकथित बड़े देश हमारे प्रधान मंत्री से सलाह लेते हैं। इसका कारण यह है कि हम निष्पक्ष हैं और पंचशील के सिद्धान्त पर चलते हैं।

अन्त में मैं यही कहूंगा कि हमारे प्रधान मंत्री ने अब जो बातें कही हैं वे स्पष्ट हैं। हमारी स्थिति स्पष्ट हो गयी है--एक दिन सारी दुनिया हमारी नीति को समझेगी और इसका अनुसरण करेगी।

†**श्री वें० शिवा राव** (दक्षिण कन्नड़--दक्षिण) : आज का वाद-विवाद पहले से कुछ भिन्न है। पहले जब भी विदेश नीति पर चर्चा हुई, अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति ज्यों की त्यों ही होती थी--किन्तु अब संसार में बहुत ही घटनायें घटी हैं।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुए]

प्रधान मंत्री ने शुक्रवार को कहा कि अब स्थिति वैसी ही है जैसी कि द्वितीय विश्व युद्ध से कुछ महीने पहले थी और हो सकता है कि यह भयंकर आग फैल जाये।

इस वक्तव्य में निराशा थी--और आज के वक्तव्य से भी वह निराशा दूर नहीं होती।

हमें चाहिये कि हम इस समय ऐसी बात करें जिससे हमारी सरकार लाभ उठाये--किन्तु एक बात मैं अवश्य कहूंगा कि हमें अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं की गई।

मैं आशा करता था कि प्रधान मंत्री के पहले भाषण के बाद वैदेशिक कार्य मंत्रालय संयुक्त राष्ट्र महासभा की कार्यवाही तथा संकल्प आदि हमें एक ज्ञापन के रूप में भेजेगा--मैंने प्रयास भी किया--केवल आज ही प्रातःकाल मुझे महासभा में भारतीय प्रतिनिधि के भाषणों की एक प्रति मिली है। यह आज **हिन्दुस्तान टाइम्स** में भी छपी होगी। मैं चाहता हूं कि ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के बारे में हमें वैदेशिक कार्य मंत्रालय जानकारी दिया करे। आज प्रधान मंत्री ने कहा था कि हमारे मंत्रालय में बहुत से देशों से जानकारी आती है। अधिक जानकरी तो गोपनीय होती है--किन्तु कुछ जानकारी अवश्य ही ऐसी होती होगी जो कि सदस्यों को भेजी जा सकती है।

इस स्थिति में हम यह नहीं कह सकते कि ऐसी स्थिति कब तक चलेगी। ब्रिटेन वाले कहते हैं कि उन्होंने मध्यपूर्व में रूस के प्रवेश का प्रयास विफल बना दिया है और इसी प्रकार रूस वाले हंगरी के मामले में ऐसी ही बातें कहते हैं। ब्रिटेन वाले मिस्र के युद्ध को साधारण लड़ाई समझते हैं और इसी प्रकार जो लोग हंगरी में मारे गये वे सब रूसियों की दृष्टि में प्रतिक्रियावादी थे। मैं यह समझता हूं कि इन बातों की निंदा मात्र से ही मामला ठीक न होगा। प्रश्न यह है कि क्या इस बढ़ते सन्देह तथा झगड़ों को रोकने के लिये कोई तरीका है? मुझे इस बात पर प्रसन्नता है कि प्रधान मंत्री ने श्री राजगोपालाचारी तथा अन्य व्यक्तियों के इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया कि भारत को राष्ट्र-मण्डल से अलग हो जाना चाहिये। हमारे राष्ट्र-मण्डल से अलग हो जाने से मिस्र अथवा विश्व को कोई लाभ नहीं होता। हमें ब्रिटिश जनता से केवल इसलिये अपना सम्पर्क नहीं तोड़ लेना चाहिये कि वहां की सरकार ने गलती की है। हमारे सम्पर्क बनाये रखने से हमारा दृष्टिकोण ऐसा बन जाता है कि हम किसी विशेष महाद्वीप या जाति विशेष से ही दिलचस्पी नहीं रखते।

इसलिये हमें इस समय समस्या को सुलझाने के उपाय ढूढने चाहिय। केवल असहयोग से कोई लाभ नहीं होगा। मेरा सुझाव है कि सर्वप्रथम हमें ऐसे प्रयत्न करने चाहियें कि जिनके द्वारा विश्व की

†मूल अंग्रेजी में।

स्थिति और आगे खराब हो जाने से रुक जाये। और जब इन प्रयत्नों से कोई लाभ हो तो हमें इस तनाव को बहुत समय के लिये कम करने के उपायों पर विचार करना चाहिये।

अगले मास हमारे प्रधान मंत्री वाशिंगटन जाने वाले हैं। राष्ट्रपति आइजनहोवर और श्री नेहरू की भेंट इस समय बड़ी महत्वपूर्ण है तथा इसके बड़े स्थायी और दूरगामी परिणाम निकल सकते हैं। परन्तु फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि भविष्य में योरोप में क्या होने वाला है। इसलिये इस सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है कि यह भेंट यथाशीघ्र हो जानी चाहिये।

गत सप्ताह, कोलम्बो शक्तियों के संयुक्त वक्तव्य में तथा प्रधान मंत्री के शुक्रवार के भाषण में इसी पर अधिक बल दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र की शक्ति बढ़ाई जाये जिससे भविष्य में विश्व में शांति रहे। इस प्रश्न पर विचार करते समय मेरा ध्यान संयुक्त राष्ट्र के घोषणापत्र की ओर जाता है जिसमें बहुत सी कमियां हैं। उदाहरणत: इसके अनुच्छेद ५२ के अनुसार सैनिक करार किये जा सकते हैं। जब तक यह उपबन्ध रहेगा तब तक विवादों को सुलझाने का सही उपाय नहीं किया जा सकता। वास्तव में यह अनुच्छेद इसलिये रखा गया था कि छोटे-छोटे झगड़े इसमें सुलझाये जा सकें।

१९४५ में सान फ्रांसिस्को में जब संयुक्त राष्ट्र का संगठन किया गया था उस समय इसकी सदस्य संख्या ५१ थी जिनमें से एशिया के प्रतिनिधि केवल ६ देश थे तथा दक्षिणी अफ्रीका को छोड़कर अफ्रीका के दो देश थे। वास्तव में भारत उस समय इसका सदस्य नहीं था क्योंकि हम उस समय स्वतन्त्र नहीं थे। भारतीय शिष्टमण्डल के सदस्यों का चुनाव अंग्रेज़ प्राधिकारी करते थे तथा एशिया की कोई बात नहीं सुनी जाती थी। आज ११ वर्ष हो चुके हैं तथा स्थिति कुछ भिन्न है। संयुक्त राष्ट्र के ७९ सदस्य हैं जिनमें से १८ एशिया तथा ६ अफ्रीका के हैं। तथा यह २४ देशों का वर्ग महत्वपूर्ण हो जाता है।

मेरा यह सुझाव नहीं है कि घोषणापत्र के पुनरीक्षण का काम आसान है। बल्कि मेरा विश्वास है कि संयुक्त राष्ट्र में आज की आवश्यकताओं के अनुसार कुछ परिवर्तन होना चाहिये। यह समय घोषणापत्र के पुनरीक्षण पर चर्चा का नहीं है परन्तु फिर भी मैं यह अवश्य कहूंगा कि इस पत्र में यह कहा गया है कि इन झगड़ों की जड़ औपनिवेशिकता की भावना है।

मैं संयुक्त राष्ट्र की औपनिवेशिक क्षेत्रों के लिये विशेष समिति का ५ वर्ष तक सदस्य रहा हूं तथा मैंने घोषणापत्र के अध्याय ११ में बहुत त्रुटियां पाई हैं। इसमें संदेह नहीं कि आर्थिक, सामाजिक तथा शिक्षा के क्षेत्रों में कुछ प्रगति हुई है परन्तु फिर भी मैंने एक प्रतिक्रिया की भावना पाई हैं। मेरा विचार है कि संयुक्त राष्ट्र में एशिया तथा अफ्रीका के २४ देश निश्चित रूप से औपनिवेशिक प्रशासन के उपबन्धों को शक्तिशाली बनाने का समर्थन करेंगे। केवल यही देश नहीं अपितु लैटिन अमरीका के गणतन्त्र भी औपनिवेशिक जनता की प्रगति तथा कल्याण का ध्यान रखेंगे। मुझे आशा है कि बांडुंग शक्तियां इस मामले पर गंभीरतया विचार करेंगी।

†**श्री जोकीम आल्वा** (कनारा) : हमारी विदेश नीति की आलोचना की गई है। यह वैसी ही है जैसी पहले थी। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् हमारे मित्रों ने शंका प्रकट की थी कि भारत प्रगति नहीं कर पायेगा परन्तु उन सबको मुंह की खानी पड़ी।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् हमारी विदेश नीति एक ही रही है जो कि हिन्दु शास्त्र के दर्शन, बुद्ध के तत्वज्ञान तथा इस्लाम, ईसाई तथा सिखों की सहनशीलता पर आधारित है। मुझे खेद है कि मेरे मित्र श्री जयप्रकाश नारायण तथा श्री अशोक मेहता जिन्होंने घरेलू नीति का विरोध किया था उन्हें हमारी विदेश नीति भी दोषपूर्ण मालूम हो रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री जोकीम आल्वा]

मिस्र पर आंग्ल फ्रांसीसी आक्रमण गत महायुद्ध के पश्चात् इस शताब्दी का बड़ा खराब आक्रमण है। गत सौ वर्षों में नैपोलियन के पश्चात् मिस्र ने बहुत हानि उठायी है तथा अब भी स्वेज़ नहर क्षेत्र में गड़बड़ी हो रही है। काहिरा में मिस्री मंत्रियों से मेरी बातचीत हुई तथा मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मिस्री देशभक्त हैं। उनकी बड़ी सेना है तथा वह शक्तिशाली हैं परन्तु उदारता तथा नम्रता को भी उन्होंने नहीं छोड़ा है। उन्होंने मुझे बताया कि वह अमरीका से एक पैसा भी उधार नहीं लेंगे।

हमने महात्मा गांधी के नेतृत्व में शिक्षा पाई है तथा इसीलिये मिस्र पर आक्रमण के समय हमने ब्रिटेन की आलोचना की तथा अब हंगरी में रूस के प्रवेश पर हमारे प्रधान मंत्री रूस की आलोचना कर रहे हैं। जब तक कांग्रेस दल सत्तारूढ़ है तब तक हम अपनी स्वतन्त्रता को कभी भी खतरे में नहीं डालेंगे तथा जो कोई आक्रमण करेगा उससे उसी प्रकार लड़ेंगे जैसे अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ते रहे हैं।

कनाडा के प्रधान मंत्री जब तक भारत में रहे तब तक गोआ के सम्बन्ध में एक बात कहते रहे लेकिन जैसे ही वह यहां से गये उन्होंने कुछ और कहना शुरू कर दिया। काश्मीर के सम्बन्ध में भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। इसलिये हमें इसका सर्वदा ध्यान रहना चाहिये कि कौन-कौन हमारे शत्रु हैं तथा कौन-कोन मित्र।

श्री अशोक मेहता ने श्री कृष्ण मेनन की आलोचना की है। श्री कृष्ण मेनन कई सम्मेलनों में गये तथा वहां बातचीत की तथा हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ाई। उनके दोष निकालना उचित नहीं है क्योंकि आप अपने मुकदमे के लिये जब किसी वकील को नियुक्त करते हैं तो वह आपके आदेशों का पालन न करके जो वह ठीक समझता है वह करता है।

अभी कुछ दिन पूर्व स्विस सरकार ने यूरेनियम ईंधन परियोजना के लिये अमरीकी निरीक्षक भेजने के विचार को अस्वीकार कर दिया क्योंकि स्विस सरकार नहीं चाहती थी कि अमेरिका स्विटजरलैंड के रीएक्टर के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर ले। यही बात हंगरी के सम्बन्ध में है कि वह भी नहीं चाहती कि संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षक वहां जायें। हमें काश्मीर के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षकों का बड़ा अनुभव है। ये पर्यवेक्षक राजनीति से अलग नहीं होते तथा इनको हंगरी में घुसने न देना कोई गलती नहीं है।

अन्तर्राष्ट्रीय शिष्टाचार को ब्रिटेन तथा फ्रांस ने समाप्त कर दिया है तथा रूस ने भी ऐसा ही किया है। पंचशील के सिद्धान्त पर अभी तक अमल नहीं हुआ। जब रूसी नेता यहां आये थे तब हमने शानदार स्वागत किया था परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि हम हंगरी की ओर से अपनी आंखें बन्द रखें। हमें अपने मित्र या शत्रुओं से पूछना है कि क्या वे शांतिपूर्वक तरीके अपनायेंगे। मार्शल टीटो का बिल्कुल ठीक-ठीक वक्तव्य तो मेरे पास नहीं है किन्तु मैं चाहता हूं कि आप उसे प्रमाणित कर लें। संभवतः उन्होंने कहा है कि रूस को पहला निमंत्रण गलत था किन्तु दूसरा निमंत्रण स्वेज क्षेत्र में सेनाएं जमाने में सहायक हुआ था। यदि ब्रिटेन यह सोचता है कि वह नासिर को गिरा सकता है, तो उसका विचार गलत है। ४ नवम्बर, १९५६ के **न्यूयार्क टाइम्स** में निकोसिया से एक प्रसिद्ध अमरीकी लेखक श्री हैन्सन बाल्डविन ने समाचार भेजा था कि नासिर के पास एक गुप्त हथियार है और वह है अरब राष्ट्रवाद। मैं पहले बता चुका हूं कि न हमें हिटलर की यह बात अच्छी लगी कि वह ५० लाख यहूदियों को जर्मनी में खतम कर दे और न हमें यह पसंद है कि रूस हंगरी में विधि तथा व्यवस्था का उल्लंघन करे और हिंसा का आश्रय ले। अपने मित्रों के साथ चाहे वे पूर्व म हों या पश्चिम में हमारी सहानुभूति है।

जापान में अमेरिका के नाभिकीय प्रयोगों के विरुद्ध सब से पहले आवाज उठाने वालों में हमारे प्रधान मंत्री भी थे। किसी ओर या जिस ओर भी आक्रमण और हिंसा होती है हम उसकी निन्दा करते हैं। किन्तु हमें मुख्य कारण भूलना न चाहिये। १३ जून को ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेनाएं स्वेज नहर के

लिये रवाना हुईं और १३० दिनों के अन्दर ही, इजराइली सेना के पीछे-पीछे उन्होंने मिस्र पर हमला कर दिया। इकोनोमिस्ट के अग्रलेख में कहा गया है कि इस दशा में यह कोई नहीं बता सकता कि यदि उसके पास बल उपलब्ध होता और मोर्चे पर होता, तो उसने पहले ४८ घंटों में मिस्र के विरुद्ध बल प्रयोग किया होता या नहीं और वास्तविकता यह थी कि बल मोर्चे पर उपलब्ध नहीं था और इसी भावना के कारण नासिर पर प्रारम्भिक हमला करने में बाधा पड़ी। इस दृष्टिकोण से हम मोरक्को, ट्यूनिस और अल्जीरिया पर फ्रांसीसी आक्रमण भूल जाते हैं। अल्जीरिया में ब्रिटिश अड्डे हैं और वे भी उतने ही ख़तरनाक होते हैं जितना कि फौज रखना। यदि संपूर्णतया उत्तरी अफ्रीका, एशिया या अन्य भागों में अड्डे फैलाये जाते हैं, यदि अमेरिका ग्वाटेमाला में स्वतन्त्र सरकार का विरोध करता है, यदि रूस अपनी सीमा राइन नदी पर कहता है और अमेरिका अपनी सीमा राइन के इस पार कहता है तो क्या यह बहुत अनुचित है कि रूस अपने चारों तरफ एक मित्र राज्य स्थापित करना चाहे। हम किसी भी देश को चाहे वह इंग्लैंड, अमेरिका हो या रूस या चीन, विश्व के मानचित्र से हटाना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि वे समानता से रहें। तभी पंचशील का आधार दृढ़ हो सकता है और हमारी अपनी सुख समृद्धि में वृद्धि हो सकती है।

मध्य पूर्व में आक्रमण-पीड़ित देशों को सहायता देने के सम्बन्ध में १९५० की तीन राष्ट्रों की घोषणा का उपयोग केवल इसलिये किया जा रहा है कि मिस्र को हड़प करना था और ब्रिटिशों को स्वेज वापस ले लेना था। सभा यह न भूल जाये कि मिस्र ने भारत के लिये काफी कष्ट सहन किया है और इसलिये हमें सदा ही उसके प्रति सहानुभूति रखनी होगी और सहायता देनी होगी।

इंग्लैंड के परराष्ट्र सचिव श्री सेल्विन लायड ने दिल्ली की एक सार्वजनिक सभा में हमें बताया था कि बगदाद संधि संभवतः उत्तरी राष्ट्रों के लिये की गई है। अब उस बगदाद संधि की धज्जियां उड़ गयी हैं, फिर भी वे उसमें प्राण डालना चाहते हैं। सभा को स्मरण होगा कि इस देश में अमेरिका के उपराष्ट्रपति श्री निक्सन के दौरे के बाद, जब कि वे कराची गये और वाशिंगटन वापस लौटेने पर पाकिस्तान को शस्त्रास्त्र देने का निश्चय किया गया, कैसा आन्दोलन हुआ। हम उसी पैमाने से अन्य राष्ट्रों को समझें। ब्रिटिश फ्रांसीसी गठबन्धन से संयुक्त राष्ट्रसंघ की प्रतिष्ठा समाप्त हो गयी है। जब तक कि वे मिस्र से हट नहीं जाते और इजराइल सिनाई रेगिस्तान से हट नहीं जाता तब तक मध्य-पूर्व में शांति नहीं हो सकती। मध्य-पूर्व में शांन्ति की स्थापना करने वालों को याद रखना चाहिये कि हम यह चाहते हैं कि मिस्र और इजराइल समानता से, आर्थिक सहकारिता से और शरणार्थी समस्या को सुलझा कर साथ-साथ शांतिपूर्वक रहें और यह तभी हो सकता है जब कि ब्रिटिश-फ्रांसीसी और इजराइली सेना मिस्र से हट जाये।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि माशल बुलगानिन की कल की घोषणा शांति के पथ पर एक अगला कदम है। उस घोषणा के लिये यह समय उचित है या अनुचित, अथवा उसके पीछे क्या उद्देश्य है इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। किन्तु रूसियों का अमरीका के खुले निरीक्षण के प्रस्ताव से सहमत हो जाना बहुत बड़ी प्रगति है। यह पहला ही अवसर है जब कि भारत को इन बड़े राष्ट्रों के साथ सम्मेलन में बैठने के लिये आमन्त्रित किया गया है। आशा है कि शीघ्र ही चीन भी उसमें सम्मिलित किया जायेगा।

†**श्री सारंगधर दास** (ढेंकानाल–पश्चिम कटक) : मेरे मित्र श्री अशोक मेहता ने हंगरी के बारे में जो कुछ कहा है मैं उसका पूर्णतः समर्थन करता हूं। आरम्भ से लेकर अब तक हंगरी के सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया है उसे प्रधान मंत्री ने आज अपने भाषण में पूरी तौर से बता दिया है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह शिकायत की जाती है कि मैंने उन्हें किसी तरह भी मदद नहीं की है। जो कुछ संभव हुआ मैंने सब कुछ किया है। मैं पहले बता चुका हूं कि सामान्यतया मतदान का ब्योरा हमारे पास नहीं आता और प्रत्येक पैरा पर अलग अलग मतदान होता है। यदि अधिक ब्योरा जरूरी हो तो वह मुझे मंगाना पड़ता है। श्री कृष्ण मेनन का भाषण परसों रात मुझे प्राप्त हुआ है। कल मैंने उसकी प्रतियां मंगायी और वह आज प्रातःकाल प्राप्त हुई। जहां तक संभव था, मैंने किया और इससे पूर्व मैं नहीं कर सका।

†**श्री सारंगधर दास** : मैं राष्ट्र संघ में मतदान के विषय की विवेचना नहीं करने जा रहा था।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रधान मंत्री ने अब यह स्वीकार कर लिया है कि हंगरी में अपनी सरकार बनाने का हंगरी की जनता को पूरा पूरा अधिकार था और किसी दूसरे राष्ट्र को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये था। यदि यह बात प्रधान मंत्री बहुत पहले ही कह देते तो संभवतः स्थिति आज कुछ भिन्न होती और हंगरी की जनता का सारा कष्ट दूर हो जाता। जो भी हो अब उन्होंने हंगरी के विषय में पूरा चित्र खींच कर योग्य रूप से दोषारोप किया है जिस प्रकार कि मिस्र पर ब्रिटिश-फ्रांसीसी और इजराइली आक्रमण के बारे में वे करते रहे हैं। मैं समझता हूं कि अब वे दूसरे गुट के एक बड़े राष्ट्र की ओर हो गये हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : अपने देश के अतिरिक्त मैं किसी राष्ट्र के साथ नहीं हूं। हम अनेक विषयों में अमेरिका से सहमत हैं किन्तु कुछ विषयों में असहमत हैं। उसी प्रकार हम रूस से अनेक विषयों में सहमत हैं और कुछ विषयों में उससे असहमत हैं।

†**श्री सारंगधर दास** : मेरा तात्पर्य यह था कि प्रधान मंत्री ने जो कुछ कहा है वह अमेरिकी रुख के अनुरूप है, क्योंकि अमेरिका ने प्रारम्भ से ही हंगरी में रूसी कार्यवाही की निन्दा की है। मेरा यह मतलब नहीं था कि अमेरिका ने हमें रास्ता दिखाया और हमारे प्रधान मंत्री ने उसका अनुसरण किया। प्रधान मंत्री ने वह स्थिति अब बिल्कुल स्पष्ट कर दी है।

पिछले दो तीन सप्ताह से मिस्र और हंगरी पर विपत्ति के बादल मंडरा रहे हैं किन्तु उसमें संतोष का विषय केवल यही है कि दोनों मामलों में अमेरिका के राष्ट्रपति ने उचित रुख अपनाया है। साम्यवाद का प्रसार रोकने के लिये पिछले कई वर्षों से अमेरिका ने सैनिक संधियों के रूप में और करोड़ों डालर खर्च कर सब कुछ किया है। ऐसा करने में उसने प्रतिक्रियावादी लोगों के साथ संबंध जोड़ लिया है और कभी-कभी उपनिवेशवाद का समर्थन किया है। यही कारण है कि भारत में तथा अन्यत्र, खासकर कम्यूनिस्ट मित्र अमेरिकी साम्राज्यवाद के बारे में चिल्लाते रहे हैं। मुझे विश्वास है कि कहीं भी अमेरिकी साम्राज्यवाद नहीं है। पिछली शताब्दी में विशेषकर दक्षिणी अमेरिका में संभवतः डालर साम्राज्यवाद रहा हो किन्तु इस शताब्दी में अब स्थिति बहुत बदल गयी है और अब साम्राज्यवाद नाम की कोई वस्तु नहीं है। साम्यवाद को रोकने के लिये उसने जहां कहीं संधियां की हैं और उसका वास्तविक अर्थ यह था कि उसने इंग्लैंड और फ्रांस के उपनिवेशवाद का समर्थन किया था। गत विश्व-युद्ध के बाद इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका में काफी सहमति थी। पिछले तीन चार वर्षों में कई बार यह कहा गया था कि रूसी सरकार उनमें भेदभाव उत्पन्न करने का प्रयत्न कर रही है। ब्रिटेन और फ्रांस का साथ देकर अमेरिका निश्चय ही उपनिवेशवाद का समर्थन कर रहा था। किन्तु इस मामले में ज्योंही ब्रिटिश फ्रांसीसी और इजराइली सेनाओं ने आक्रमण किया, उसन उसकी निन्दा की। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि अमेरिकी महाद्वीप से इंग्लैंड और फ्रांस को तल भेजन की योजना रोक ली गयी है। मैं समझता हूं कि इंग्लड और फ्रांस के विरुद्ध यह आर्थिक दबाव है।

---

†मूल अंग्रजी में।

उसी तरह अमेरिका के राष्ट्रपति ने हंगरी में रूसी कारनामों की भी वैसे ही शब्दों में निन्दा की है। जब कि हमारे प्रधान मंत्री अमेरिका जायेंगे, दोनों गुटों के बीच मध्यस्थता करने का यह बड़ा अच्छा अवसर होगा। यदि वे उचित रूप से मध्यस्थता कर न केवल हंगरी में बल्कि अन्य यूरोपीय देशों और मिस्र में सेनाएं हटवा सकें तो बातचीत शुरू की जा सकती है और अमेरिका तथा अन्य देशों को विदेशों से अपने अड्डे हटा लेने के लिये राजी किया जा सकता है। तब वह एक बहुत बड़ी बात होगी और मिस्र तथा हंगरी के कष्ट निरर्थक नहीं होंगे। निश्चय ही हमें याद रखना होगा कि यह कोई सरल काम नहीं है। फिर भी प्रयत्न अवश्य किया जाना चाहिये और विश्व को इस आतंक से बचाना चाहिये। किसी समय छोटा-मोटा युद्ध तृतीय विश्व युद्ध का भयंकर रूप न ले ले यह आशंका दुनिया से दूर कर दी जानी चाहिये।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह (जिला गढ़वाल, पश्चिम व जिला टिहरी गढ़वाल व जिला बिजनौर उत्तर) : श्रीमान्, प्रधान मंत्री के स्पष्टीरकरण को हम सभी ने सुना। हमें आलोचना से डरना नहीं है। हमारी जितनी आलोचना की जायेगी उतना ही हमारा लाभ होगा क्योंकि आलोचना किसी भी त्रुटि को दिखाने के वास्ते होती है। और आलोचना चाहे किसी भी विचार से की जाये, जिसकी आलोचना की जाती है उसका लाभ ही होता है। इसलिये आलोचना को तो हमें अपनाना है। हमें तो केवल यही ध्यान रखना है कि हम ठीक कार्य करते रहें और जहां तक हो सके सब के साथ भलाई करते रहें और दूसरों की मदद करते रहें। यही हमारे लिये सब से अधिक श्रेयस्कर होगा कि हम सब के साथ मित्रता बनाये रखें।

आज मिस्र पर अनुचित हमला हुआ है और हंगरी पर अनुचित हमला हुआ है। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसके मन में इससे दुःख न हुआ हो और कौन ऐसा होगा जो इसकी निन्दा न करे। इन बातों से हमको दुःख होना स्वाभाविक ही है।

झगड़ा निबटाने के बहाने मिस्र पर हमला किया गया यह किसी से छिपा नहीं है। यह बहुत ही निन्दनीय बात है। इसी प्रकार हंगरी पर आक्रमण भी निन्दा की ही वस्तु है।

संयुक्त राष्ट्रसंघ जनरल असेम्बली के प्रस्ताव की एक धारा का हमने विरोध किया। मैं अपने को राजनीतिज्ञ तो नहीं कहती, लेकिन जहां तक मेरी समझ में आया है, यह बात हमने उचित ही की है कि उस प्रस्ताव की एक धारा का हमने समर्थन नहीं किया। आज अगर हम पर भी इसी प्रकार काश्मीर के मामले में बीत जाये तो क्या जो हमारे मित्र देश हैं वह इस बात का समर्थन करेंगे ? हरगिज नहीं करेंगे। इसलिये मेरे तुच्छ विचार में हमने इस मामले में जो किया है वह ठीक ही किया है।

आज बड़े-बड़े राष्ट्र अणु बम जैसे घातक अस्त्रों का निर्माण कर रहे हैं और उनका परीक्षण करने से नहीं रुक रहे हैं। इसका क्या अर्थ लगाया जाये ? इसका यही अर्थ लगाया जा सकता है कि अधिक से अधिक लड़ाई और संहार करने के लिये नये-नये उपाय सोचे जा रहे हैं। इसके लिये हमको यही सोचना है कि हम इन परीक्षणों को कैसे रोकें और उन देशों को कैसे समझायें कि उनको ये बातें नहीं करनी चाहिये। इनसे केवल संहार ही होगा, कोई लाभ नहीं होगा।

श्रीमान्, मैं आपसे पूछती हूं कि पाकिस्तान का हमारे साथ किस तरह का व्यवहार है। कब तक हम अपनी सहन शक्ति को मजबूत बनाये रखेंगे। ईश्वर करे हमारी सहन-शक्ति न डिगे और हम सदा उचित बात ही करें। पाकिस्तान पर हमारा कितना ऋण है जो वह हमको वापस नहीं कर रहा है और फिर भी हमसे मांग अन्न की और दूसरी चीज़ों की की जाती है। और जहां तक हम से हो सकता है हम वे चीज़ देते रहे हैं। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि हमारी सहन-शक्ति का बांध न टूटे।

[श्रीमती कमलेन्दुमती शाह]

कुछ दिन हुए हमारे यहां लंका के प्रधान मंत्री आये थे और उन्होंने यहां बहुत प्रेम प्रदर्शित किया। पर यह भी विचारणीय बात है कि लंका में सदियों से रहते हुए जो हमारे भारतीय हैं उनको तो निकाला जा रहा है। तो केवल यहां आकर प्रेम प्रदर्शित करने से क्या लाभ हो सकता है। यह प्रेम का प्रदर्शन तो ऐसा हुआ कि मन में कुछ और है और व्यवहार में कुछ और है। यह नीति कहां तक उत्तम है और इससे किस तरह संसार का कल्याण होगा यह भी विचारणीय बात है। इसी प्रकार गोआ में भी भारतीय कब तक यातना सहते रहेंगे।

हमें तो सोचना है कि हम ऐसे कठिन समय में किस तरह से बचें। हमारे सामने यह प्रश्न है। मेरे विचार से तो इस प्रश्न का यही एक हल है कि जो उचित है उससे हम पीछे न हटें और उसे जाहिर करने में संकोच न करें। यही एक हल है जिससे हम अपनी स्थिति ठीक रख सकते हैं। हमें किसी से दुश्मनी नहीं करनी है। पर हमें उचित बात कहने में डरना नहीं है।

आज सब देश एक दूसरे को दबाना चाहते हैं। यह राजनीति कहां तक उचित है। कोई भी देश इस बात का हकदार है कि वह स्वतन्त्र रहे। इसलिये जहां तक हो सकता है हमें तो यही देखना है और यही प्रयत्न करना है कि सब देश स्वतन्त्र रहें और जिस देश को भी दबाया जाये, उसकी हमें सहायता करनी चाहिये, चाहे कितना बड़ा देश उसको दबाता हो। इससे यह मालूम हो जायेगा कि चाहे हम निर्बल हैं या बलवान हैं, पर हम सदा सत्य का ही साथ देते हैं और सत्य के बल पर ही हम किसी से डरते नहीं हैं।

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा–मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, संसार आज ऐसी विषम अवस्था में आ गया है कि जिसमें इस बात का पूरा खतरा नजर आता है कि एशिया और अफ्रीका के, या संसार के सभी दूसरे देश जो सैनिक अस्त्र-शस्त्र से सुसज्जित नहीं हैं, जिनके पास सैनिक ताकत नहीं है, उनकी स्वतन्त्रता खतरे में आ गयी है :

हम समझते थे, जैसा कि हमारे प्रधान मंत्री ने कहा, कि आज की दुनिया में इस तरह का नग्न आघात किसी देश की स्वतन्त्रता पर पड़ सकता है जैसा कि मिस्र देश पर पड़ा है। जब रूस के प्रधान मंत्री और वहां की कम्युनिस्ट पार्टी के मंत्री यहां आये थे तो उन्होंने हमारे प्रधान मंत्री के साथ मिल कर जिस नीति की घोषणा की थी उससे भी हमें और दुनिया के बहुत से मुल्कों को यह विश्वास हो गया था कि अब पुराने रवैये में आमूल परिवर्तन होगा और दूसरे देशों की स्वतन्त्रता का आदर किया जायेगा। और उनके भीतरी मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति बरती जायेगी। लेकिन हंगरी में जो वाकयात हुए हैं उनसे स्पष्ट मालूम होता है कि वहां की जनता में जो उस देश की व्यवस्था के खिलाफ उत्साह पैदा हुआ था उसके विरुद्ध रूस का वह रवैया नहीं रहा जिसकी हम आशा करते थे। हो सकता है कि रूस के सामने कुछ विशेष कठिनाइयां रही हों और उसको मजबूत होकर अस्त्र का सहारा लेना पड़ा हो, और दूसरे देश में अपनी फौज भेजनी पड़ी हो, लेकिन दुनिया के और मुल्कों को यह बात बिल्कुल स्पष्ट मालूम पड़ती है कि अगर रूस ने वहां पर शान्ति की नीति अख्तियार की होती तो अच्छा होता और जो दुनिया के वातावरण में एक नया परिवर्तन दिखायी दे रहा था उसमें वृद्धि होती। यद्यपि बहुत से देश पंचशील के सिद्धान्त को पूरे तौर पर नहीं मानते, और सह अस्तित्व के सिद्धान्त को पूरे तौर से नहीं मानते, पर ऐसा मालूम पड़ता था कि दुनिया के बहुत बड़े हिस्से के राष्ट्र ऐसी नीति अख्तियार करेंगे कि जिससे दुनिया में अमन कायम रहेगा। लेकिन हम देखते हैं कि पश्चिम का साम्राज्यवाद देख रहा है कि एशिया से और अफ्रीका से उसका कदम पूरे तौर पर उखड़ना चाहता है। वह सिंहावलोकन करके यह देख रहा है कि कहीं कुछ ऐसा रास्ता हम अख्तियार कर लें जिससे हमारा साम्राज्यवाद रूप चाहे परिवर्तित रूप में ही सही, लेकिन फिर भी एशिया और अफ्रीका के कुछ मुल्कों में रह जाये।

विश्व पर बिना किसी तरह के प्रवोकेशन के बिना किसी तरह क़ी उत्तेजना के जब कि सयुक्त राष्ट्र की सभा में यह बात तय हो गयी कि स्वेज समस्या को हल करने के लिये कुछ सिद्धान्त मान लिये गए और कहा गया और प्रस्ताव किया गया कि सम्बन्धित देश जैसे इंग्लैंड, फ्रांस और इजराइल यह सब मिल कर विश्व की समस्याओं को निश्चित सिद्धान्त पर तय करने की कोशिश करेंगे, इसके मान लेने के बाद भी यह देखा गया कि यकायक इजराइल ने मिस्र पर चढ़ाई कर दी और उसी के साथ-साथ इंग्लैंड और फ्रांस ने भी इजिप्ट पर चढ़ाई कर दी·····

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य कुछ और समय लेंगे ?

†**श्री श्रीनारायण दास** : जी, हां ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : तो वे कल अपना भाषण जारी रखें ।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, २० नवम्बर, १९५६ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

दैनिक संक्षेपिका

[सोमवार, १९ नवम्बर, १९५६] **पृष्ठ**

सभा पटल पर रखे गये पत्र **१४७–४९**

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गये :

(१) मंत्रियों द्वारा विभिन्न सत्रों में दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दिखाने वाले निम्नलिखित विवरणों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति/प्रत्येक विवरण के सामने उनके सत्र का उल्लेख किया गया है :

(१) अनुपूरक विवरण संख्या ३ लोक-सभा का तेरहवां सत्र, १९५६

(२) अनुपूरक विवरण संख्या ९ लोक-सभा का बारहवां सत्र, १९५६

(३) अनुपूरक विवरण संख्या ११ लोक-सभा का ग्यारहवां सत्र, १९५५

(४) अनुपूरक विवरण संख्या २३ लोक-सभा का आठवां सत्र, १९५४

(५) अनुपूरक विवरण संख्या २५ लोक-सभा का सातवां सत्र, १९५४

(६) अनुपूरक विवरण संख्या ३४ लोक-सभा का छठवां सत्र, १९५४

(२) बिहार तथा पश्चिम बंगाल (प्रदेशों का हस्तान्तरण) अधिनियम, १९५६ की धारा ५२ की उपधारा (२) के अन्तर्गत बिहार तथा पश्चिम बंगाल (प्रदेशों का हस्तान्तरण) निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन नियमों, १९५६ की एक प्रति जो दिनांक १५ नवम्बर, १९५६ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २७१३ में प्रकाशित हुए थे ।

(३) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत, इन केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क अधिसूचनाओं में से प्रत्येक की एक-एक प्रति :

(१) अधिसूचना संख्या १५–सी० ई० आर०/५६, दिनांक २० अक्तूबर, १९५६ ।

(२) अधिसूचना संख्या १६–सी० ई० आर०/५६, दिनांक २७ अक्तूबर, १९५६ ।

(३) अधिसूचना संख्या १७–सी० ई० आर०/५६, दिनांक ३ नवम्बर, १९५६ ।

पृष्ठ

(४) कोयला खनन सम्बन्धी औद्योगिक समिति के अगस्त, १९५६ में नई दिल्ली में हुए पांचवें अधिवेशन की कार्यवाही के सारांश की एक प्रति ।

(५) विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, १९५४ की धारा ४० की उपधारा (३) के अन्तर्गत, इन अधिसूचनाओं में से प्रत्येक की एक-एक प्रति, जिनमें विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम, १९५५ में कुछ संशोधन किये गये हैं :—

(१) अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २१८८, दिनांक २९ सितम्बर, १९५६ ।

(२) अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २५०३, दिनांक ३ नवम्बर, १९५६ ।

(३) अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २६१५, दिनांक १० नवम्बर, १९५६ ।

(४) अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २६१६, दिनांक १० नवम्बर, १९५६ ।

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा गया ।

श्री स० चं० सामन्त ने प्रतिलिप्यधिकार विधेयक के सम्बन्ध में संयुक्त समिति के प्रतिवेदन और संयुक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य की एक प्रति सभा-पटल पर रखी ।

प्रतिवेदित याचिका १४९

सचिव ने सूचना दी कि साधु तथा सन्यासी (पंजीयन तथा अनुज्ञापन) विधेयक के बारे में एक याचिका प्राप्त हुई थी जिस पर याचिका भेजने वाले के हस्ताक्षर थे ।

विचाराधीन प्रस्ताव ... ... १५०—८५

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया । उस पर चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

मंगलवार, २० नवम्बर, १९५६ के लिये कार्यक्रम—

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति सम्बन्धी प्रस्ताव पर आगे और चर्चा होगी ।

M33LSD—27-2-58—190—GIPF.